महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 31 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

जामिया के प्रदर्शनकारियों पर 'नाबालिग' ने चलाई गोली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में निकले मार्च के दौरान होली फैमिली अस्पताल के पास गुरुवार दोपहर पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स ने प्रदर्शनकारियों पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी। इसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्र शादाब फारुख के हाथ में गोली लग गई। गोली चलाने वाला नाबालिग बताया जा रहा है। वो गोली चलाने से पहले 'भारत माता की जय, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, ये लो आजादी' के नारे लगा रहा था।

घायल शादाब को एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। नाबालिग हमलावर गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने बाकी पेज 8 पर

गोली चलाने से पहले 'भारत माता की जय, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, ये लो आजादी' के नारे लगा रहा था।

हिरासत में लिए गए चार लोगों को रिहा किए जाने के बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया।

मुंबई हवाईअड्डे से कफील खान गिरफ्तार
कन्हैया कुमार कुछ देर के लिए हिरासत में
-खबरें पेज 8 पर

प्रदर्शनकारियों पर पिस्तौल ताने नाबालिग।

घटना के बाद अवरोधक फांदने की कोशिश करते प्रदर्शनकारी। फोटो : अरुष चोपड़ा

कठोरतम कार्रवाई के निर्देश : शाह

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को निर्देश दिया कि वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया के निकट प्रदर्शनकारियों पर बाकी पेज 8 पर

छात्रों ने स्थिति को समझदारी से संभाला : कुलपति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति नजमा अख्तर ने गुरुवार को कहा कि विश्वविद्यालय गोलीबारी में जख्मी हुए छात्र शादाब फारुक के इलाज का खर्च उठाएगा। उन्होंने कहा कि जामिया घायल छात्र के इलाज का भुगतान बाकी पेज 8 पर

चुनाव के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

दिल्ली में सीएए सहित अन्य मुद्दों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति को नाजुक बताते हुए दिल्ली पुलिस ने निर्वाचन आयोग से चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 30 अतिरिक्त कंपनियां मांगी हैं। दिल्ली में बाकी पेज 8 पर

अनुराग ठाकुर व प्रवेश वर्मा को चुनाव प्रचार से रोका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में विवादित बयान देने के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को तीन दिन और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा को चार दिन तक चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग ने दोनों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। आदेश के अनुसार ठाकुर गुरुवार शाम पांच बजे से अगले 72 घंटे तक और वर्मा 96 घंटे तक दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर सकेंगे।

विवादास्पद टिप्पणियों पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई, वर्मा पर चार दिन और ठाकुर के तीन दिन तक दिल्ली में प्रचार करने पर पाबंदी

इस मामले में ठाकुर पर रिठाला विधानसभा क्षेत्र में 27 जनवरी को एक जनसभा में विवादित नारे बाकी पेज 8 पर

केरल में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि केरल में कोरोना वायरस के एक मामले की पुष्टि होने की सूचना है। प्रभावित चीन के वुहान विश्वविद्यालय का छात्र है। वहीं, त्रिपुरा के एक 23 वर्षीय युवक की मलेशिया में कोरोना वायरस की वजह से मौत होने की खबर है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन यात्रा से लौटे लोगों के लिए परामर्श भी जारी किया है।

मंत्रालय ने बताया कि केरल के छात्र की जांच के परिणाम पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे अस्पताल में अलग वार्ड में रखा गया है। प्रभावित की हालत स्थिर है और उसके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। त्रिपुरा के एक परिवार ने बताया बाकी पेज 8 पर

प्रभावित चीन के वुहान विश्वविद्यालय का छात्र है

त्रिपुरा के एक युवक की मलेशिया में कोरोना वायरस की वजह से हुई मौत

प्रभावित भारतीयों को विशेष विमान से लाने की तैयारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि चीन में किसी भी भारतीय के कोरोना वायरस से प्रभावित होने की पुष्टि नहीं की गई है और उसने वायरस प्रभावित चीन के हुबेई प्रांत में रहने वाले 600 से अधिक भारतीयों के साथ संपर्क स्थापित किया है। इन सभी को विशेष विमान भेजकर चीन से लाने की तैयारी की गई है। इसके लिए भारत सरकार ने गुरुवार को चीनी विदेश मंत्रालय से संपर्क किया और अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि चीन में किसी भी भारतीय के कोरोना वायरस से प्रभावित होने की पुष्टि नहीं गुई है। हालांकि, गुरुवार को केंद्रीय बाकी पेज 8 पर

छह सौ भारतीय छात्रों के साथ संपर्क स्थापित, विशेष विमान भेजने को चीन सरकार से अनुमति मांगी गई

कश्मीर के पूर्व विधायक के संपर्क में था आतंकी नवीद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के निलंबित उपाधीक्षक देविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार आतंकवादी नवीद बाबू ने अपने सियासी संपर्कों के बारे में राज उगलने शुरू कर दिए हैं। हिज्बुल मुजाहिदीन के स्वयंभू कमांडर नवीद ने पूछताछ में राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) के सामने कबूल किया है कि वह जम्मू-कश्मीर विधानसभा के एक निर्दलीय विधायक के संपर्क में था। एनआइए के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सैयद नवीद मुस्ताक अहमद उर्फ नवीद बाबू फिलहाल एनआइए की हिरासत में है। उसे देविंदर सिंह के साथ 11 जनवरी को पकड़ा गया था। नवीद और उसके एक साथी एवं एक वकील को डीएसपी देविंदर सिंह घाटी से बाहर निकालने की कोशिश में था। इन दोनों के अलावा रफी अहमद रादर और इरफान शफी मीर को उसी दिन काजीगुंड में श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बाकी पेज 8 पर

डीएसपी देविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था नवीद, पुलवामा हमले को लेकर पूछताछ जारी

सीएए : ईयू संसद में प्रस्ताव पर भारत की कूटनीतिक जीत

मतदान टला तो भारत ने प्रधानमंत्री के ब्रुसेल्स दौरे पर लगाई मुहर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

यूरोपीय संघ की संसद में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर प्रस्ताव पर मतदान टाले जाने के बाद भारत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्च में ब्रुसेल्स दौरे पर मुहर लगा दी। सीएए को लेकर ईयू संसद में प्रस्ताव को लेकर ताजा फैसले को भारत की कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हमने यूरोपीय संघ की संसद में आज मतदान करने के लिए नागरिकता संशोधन का कानून (सीएए) के प्रस्ताव को नहीं रखने के फैसले का संज्ञान लिया है। हमने यूरोपीय आयोग के स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया है कि यूरोपीय संसद और उसके सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई राय यूरोपीय संघ की आधिकारिक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।' विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे राजनयिक इस मुद्दे पर ईयू संसद के सदस्यों के साथ संवाद जारी रखेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दोहराया कि सीएए हमारा आतंरिक मामला है। ईयू संसद में प्रस्ताव लाए जाने को लेकर भारत ने भारी विरोध किया था। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव का सख्त विरोध किया था और इसे अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करार दिया था। इस मुद्दे पर भारत को कई और देशों का साथ मिल गया। ऐसे में बने दबाव के कारण नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ यूरोपीय संसद (ईपी) में पेश पांच विभिन्न संकल्पों से संबंधित संयुक्त प्रस्ताव पर मतदान मार्च तक टाल दिया गया। पहले प्रस्ताव पर बुधवार को बहस के बाद गुरुवार को मतदान होना बाकी पेज 8 पर

भारत सरकार ने इस प्रस्ताव का सख्त विरोध किया था और इसे अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करार दिया था। इस मुद्दे पर भारत को कई और देशों का साथ मिल गया।

"हमने यूरोपीय संघ के संसद के फैसले का संज्ञान लिया है, उनके सदस्यों से संवाद जारी रहेगा।
-विदेश मंत्रालय

फरवरी में भारत दौरे पर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने भारत के दौरे पर आएंगे। यह यात्रा 24 से 26 फरवरी के बीच संभावित है। उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में भारत और अमेरिकी अधिकारी जुटे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुरुवार को इस बारे में दिल्ली की एक जनसभा में एलान किया और कहा कि ट्रंप का बाकी पेज 8 पर

फर्रुखाबाद : 20 बच्चों को बनाया बंधक

फर्रुखाबाद, 30 जनवरी (भाषा)।

फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद के कठरिया गांव में गुरुवार शाम को एक व्यक्ति ने अपनी बच्ची के जन्मदिन मनाने के बहाने करीब बीस बच्चों को अपने घर में बुलाकर बंधक बना लिया। पुलिस ने बताया कि यह व्यक्ति अपने घर से गोलियां चला रहा है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि पुलिस और जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर है।

उप्र एटीएस के कमांडो को भी घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है। सिंह ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एनएसजी कमांडो को भी बुलाने पर विचार कर सकते हैं।

एडीजी (कानून-व्यवस्था) पीवी रामाशास्त्री ने बताया कि मकान में करीब बीस बच्चे बंधक बनाए गए हैं। जिस व्यक्ति ने बंधक बनाया है उसके बारे में जानकारी मिली है कि वह हत्या के आरोप में जेल में बंद था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई और आला अधिकारियों को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं।

एडीजी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित निकालना है। आइजी कानपुर जोन मोहित अग्रवाल ने बताया कि इस व्यक्ति ने अपनी बच्ची के जन्म दिन के बहाने बच्चों को अपने घर बुलाया था और घर के नीचे बने बेसमेंट में इन बच्चों को रखा है। उसने मकान के अंदर से छह बार बाकी पेज 8 पर

घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी।

व्यक्ति ने अपनी बच्ची के जन्मदिन मनाने के बहाने बच्चों को अपने घर में बुलाकर बंधक बनाया।

उत्तर प्रदेश एटीएस के कमांडो बच्चों को मुक्त कराने में जुटे।

दरअसल

टोल नाकों पर लग रहीं लंबी कतारें | रफ्तार बनाम कतार | वॉलेट में पैसा कम होने पर भी दोगुनी वसूली

फास्टैग लेन में बिना टैग की गाड़ियों पर दोगुना टोल

सुशील राघव
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

टोल नाकों पर बिना टैग वाली गाड़ियों और फास्टैग वॉलेट में कम पैसे होने पर दोगुना टोल लिया जा रहा है। इसकी वजह से नाकों पर चालकों और वहां के कर्मचारियों के बीच रोज बहस व लड़ाई हो रही हैं। बिना फास्टैग वाले चालक नकद की लंबी कतार में लग रहे हैं। दूसरी ओर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) देश भर के टोल नाकों पर 15 फरवरी से पूरी तरह से फास्टैग व्यवस्था लागू करने जा रहा है।

गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर आठ पर स्थित खेड़की दौला टोल पर भी ऐसी स्थिति कमोबेश हर रोज रहती है। दिन के व्यस्त घंटों के दौरान यहां पर दोनों ओर दो किलोमीटर तक जाम लग जाता है। इसकी वजह से लोगों का समय और ईंधन बेकार जाता है। टैग रीडिंग में समस्या के अलावा फास्टैग वॉलेट में कम बैलेंस होना और बिना फास्टैग वाली गाड़ियों के फास्टैग लेन में आने से भी कतारें लंबी हो रही हैं। इस टोल पर कुल 25 लेन हैं जिनमें से छह नकद की और बाकी फास्टैग लेन हैं। 15 फरवरी के बाद सिर्फ दो नकद लेन (एक आने की और एक जाने की) रह जाएंगी।

कई बार ऐसे चालक भी फास्टैग लेन में आ जाते हैं जिनके वॉलेट में पैसे कम होते हैं। इसके बाद कर्मचारियों और चालक के बीच बहस होती है लेकिन उन्हें बाद में दोगुना टोल देना ही पड़ता है। इसके अलावा ऐसे लोग भी फास्टैग लेन में आ जाते हैं जिनकी गाड़ी पर फास्टैग लगा ही नहीं होता है और उन्हें भी दोगुना टोल देना पड़ता है।

अकसर यहां से गुजरने वाले एक ट्रक ड्राइवर श्याम वीर ने बताया कि यहां टैग रीडिंग में हर दिन समस्या होती है। बाद में टोल पर काम करने वाले लोग हाथ की मशीन से टैग स्कैन की कोशिश बाकी पेज 8 पर

अब नहीं मिल रही छूट

पहले की व्यवस्था में चालक के पास सिंगल या वापसी यात्रा का टोल एक साथ लेने का विकल्प होता था। हालांकि यह व्यवस्था सभी टोल पर उपलब्ध नहीं थी। वापसी यात्रा का टोल लेने पर 30 फीसद तक की छूट मिलती थी। ये छूट 24 घंटे के दौरान ही ली जा सकती थी। लेकिन फास्टैग व्यवस्था में यह सुविधा नहीं है। यदि कोई गाड़ी दस मिनट बाद भी उसी टोल से गुजर रही है तो उसे पूरा टोल देना होगा।

पंद्रह फरवरी के बाद क्या

हर नाके पर एक आने की और एक जाने की नकद लेन रहेगी। यहां चालकों से दोगुना टोल नहीं लिया जाएगा। इस व्यवस्था में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ही बदलाव कर सकता है। गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर आठ स्थित खेड़की दौला टोल पर कुल 25 लेन हैं, जिनमें से छह नकद की और बाकी फास्टैग लेन हैं। 15 फरवरी के बाद सिर्फ दो नकद लेन रह जाएंगी।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Sunder Devi Agarwal W/o. Rajindra Prakash Agarwal R/o.KC 62,Kavi Nagar, Ghaziabad-201002 have changed my name from Sunderi Devi to Sunder Devi Agarwal for all future purposes. 0040529552-1

I,PATEL VINAYKUMAR PRAVINCHANDRA,S/o-Pravinchandra Bhagwanbhai Patel,R/o-T-3,1804,Aranya Appartment, Parthla Market,Sector-119, Noida,G.B.Nagar UP-201301, have changed my name to VINAYKUMAR PRAVINCHANDRA PATEL. 0040529623-1

I,Nupur Singh W/o-Neeraj Kumar Rai R/o-H.No.18037, E-Block,16th-Avenue,Gaur City-2,Greater Noida-West, Shah Beri,Chhipyana, G.B.Nagar, U.P.-201009,have changed my name to Nupur Rai. 0040529559-1

I,Mohd Khubaib S/o Mohammad Yameen Qasmi, R/o-435,Sontad Rasoolpur-2, Thna, Bhavan,Sonta Rasoolpur,Shamli,U.P.-247777, inform that in my,passport my father name Mohd Yameen and mother name Halima wrongly, mentioned. Correct name of my.father Mohammad Yameen Qasmi and mother name Halima Begum.My correct Date-of-birth is 30.03.1989 instead of 01.01.1991. 0040529456-2

I,Deepak Bhalla S/o Jaswant Rai Bhalla R/o-Flat.No-104, Tower.No-3, Orange County, GH-4,Ahinsa Khand-I, Indira puram Ghaziabad(U.P.)-201014,have change my name to Deepak Kumar Bhalla for all purpose. 0040529632-1

I,Ashok Kumar S/o-Late. Jyoti Ram R/o-C-50 Gali.No.19 Hindan Vihar Sector-49, Noida(U.P.) I,have changed my name Ashok Kumar Mandhalia for all purpose. 0040529559-2

I,Anshu Bhatiya W/O MD.Muzaffar Alam R/o-Sec-22, Village-Chaura, Gautam Budh Nagar(UP),have changed my name to Anshu. In Future,I will be known as Anshu, for all purposes. 0040529559-3

I, hitherto Known as Khimli Devi W/o Shri.Maya Ram R/o-C-7/145, Sector-5 Rohini Delhi-110085,have changed my name and shall hereafter be Known as Kamla Devi W/o Shri.Maya Ram R/o-C-7/145, Sector-5, Rohini Delhi-110085. 0040529649-2

I, Zafer Imam S/O Mohd.Yahiya R/O-313/65-A, Plot-Old No.90, II-Floor, Anand Nagar, Inderlok, Delhi-110035. Changed my Name To Zafar Imam. 0040529599-7

I, Tej Kumar Jain S/o Sh. Babu Lal Jain, R/o 21, Amar Singh Marg, Freeganj, Ujjain, Madhya Pradesh-456010, have changed my name and shall hereafter be known as Rakesh Bafna 0070695494-1

I, Tanu Bala W/O Kuldeep Rajpal R/O-19/4, Ground Floor, Indra-Vikas Colony, Mukherjee Nagar, Delhi-110009. Changed My Name to Tanu Rajpal. 0040529628-10

I, Suraj Parkash S/O Honda Ram Khatter, D-26, Lord Krishna-Road Adarsh-Nagar Delhi -33 Have Changed My Name To Suraj Khatter Permanently. 0040529599-6

I, Shalni W/O Ujjwal Srivastav R/O Hno.1,Galino.1, Chandan Vihar, West Sant Nagar, Burari, Delhi-110084. Changed My Nameto Preeti Srivastav. 0040529609-2

I, Sandeep S/o Kamal Kishor R/o-T-216, Baljeet Nagar, Near-West Patel Nagar, Delhi-110008 have changed my name to Sandeep Vohra. 0040529599-5

I, Rimpy W/O Kanwarjeet Singh R/O 3048A, SantNagar, Rani Bagh, Delhi-110034. Have Changed My Name To Simran Kaur. 0040529609-3

I Ravi Solanki S/O, Basant Lal R/o H.no.11, Hauz Rani, Malviya Nagar, ND-110017 have changed my name to Ravie Solanky for all purposes. 0040529549-1

I Rajender Garg S/o-Tulsi Ram Gupta R/o-D-1, D-Block, Pushpanjali Enclave, Pitam pura, Delhi-110034 have changed my name to Rajinder Prasad Gupta for all purposes. 0040529554-1

I Pooja Munjal D/o Sh.Kul Bhushan Munjal W/o Sh.Hemant R/o House No.424, Housing Board Colony,Sector-22. Faridabad, Haryana-121005 have changed my name to Pooja Mehndiratta for all purposes. 0040529542-3

I Nishith Alias Nishith Barodia S/o Ramkishan R/o A-50A, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, Pandav Nagar, Shakarpur, Delhi-110092, have changed my name to Nishith Barodia 0070695491-1

I Saurav Garg S/o Sh.Sanjeev Garg R/o 26, Ground Floor, Park Area, Karol Bagh, New Delhi-110005 have changed the name of my minor son from Gauransh Aggarwal to Aadiv Kumar Garg for all purposes. 0040529542-4

व्यक्तिगत

I, Pooja D/o Sukhdev Raj Dewan R/o C-490, SFS Flats, Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi 110017, have changed my name to Puja Dewan for all future purposes. 0040529586-1

I, Rimpal Singh R/o A-29/19, Phase-1, DLF City,Gurgaon, Pin-122001 and Rajni Singh (as perdocuments) are same person. 0070695489-1

I, Rijul Bir Singh Arora S/o Tarlochan Singh R/o C-18, Old Gobind Pura, Main Parwana Road, Delhi-110051 have changed my name to Rijul Bir Singh 0040529541-1

I, Ravi Kumar Sharma S/O Amarnath R/O-13/276, Block No-13, Geeta-Colony, Delhi-110031, Have Changed My Name To Ravinder Kumar Sharma Permanently. 0040529628-8

I, Rashmi D/o Rajendra Dubey R/o 91C, AB Block, New Gopal Nagar, Najafgarh, Delhi-110043, have changed my name to Rashmi Dubey for all purposes. 0040529573-1

I, Pushpender S/o Lakhan T-475 F/F, BaljeetNagar, Patel Nager, central delhi- 110008, declare that name of father has been wrongly written as Lakhan in my 10th class certificate. The actual name of Father is Latkan Ahirwar, which may be amended accordingly. 0070695500-1

I, Naveen Kumar Yadav S/o Jai Bhagwan Yadav R/o WZ-492, Madipur Village, Delhi-110063, have changed my name to Naveen Yadav. 0040529599-3

I, Monish Agarwal s/o Satya Prakash Agarwal resident AE-8 Tagore Garden Delhi 110027 have changed my name to Moonish Agarwal 0040529593-1

I, Manoj Kumar S/O Gopi Chand R/O-Block No-5, Street No-5, H.No-2, Geeta Colony Delhi-110031. Changed My Name To Manoj Batra. 0040529628-3

I, Mandeep S/O Khyali Singh H.No-276, Village Near Bus Stand Pali-Panihara Mahendragarh Pin-123029. Changed My Name To Mandeep Singh. 0040529628-6

I, Lalit Sharma S/o Late M.C.Sharma R/o-4/249 Street No.4, Bholanath-Nagar, Shahdara Delhi-110032,have changed the name of my minor son Master Aarav Sharma Age-6 Years and he shall hereafter be known as Jayas Sharma. 0040529599-9

I, Atul S/o Yogendra Singh R/o-110, Sewa Nagar Part-4, Sihani Gate, Ghaziabad, U.P. have changed my name to Atul Raghav. 0040529599-4

I, Lalit Kumar Garg S/o Virendra Kumar Garg R/o J-65, Gautam Nagar Delhi-110049 have changed my name to Lalit Garg for all future purposes. 0040529646-1

I, Kuldeep Kumar Rajpal S/O Prabhu Dayal Rajpal R/O-19/4, Ground-Floor, Indra-Vikas-Colony, Mukherjee Nagar, Delhi-110009. Changed my Name to Kuldeep Rajpal. 0040529628-9

I, Keshav Raj Khanna S/o Shri. Ashok Kumar previously called Keshav Khanna resident of C-301,Sahani Tower, Sector 5, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, UP, solemnly inform that I reliquish the use of my former name of Keshav Khanna. I do hereby assume from 24/01/2020 the name Keshav Raj Khanna. 0040529602-1

I, Harshit Sharawat S/o Rajesh Sharawat R/o Choupal Wali Gali Singhu Delhi-110040, declare that my father Rajesh Sharawat & Rajesh Kumar are same person. 0040529649-1

I, Hareesh M P S/o M Theyyunni Nair R/o-622 Group-3 Janta-Flat Hastsal Uttam-Nagar New Delhi-110059 changed my name to M P Hareesh Nair. 0040529649-5

I, Gaurav Kumar Rehan S/o Ram Tirath Rehan R/o-Building A-33 Flat D-6 Opp.HDFC-Bank Ignou-Road Nev Sarai N.Delhi-110068 changed my name to Gaurav Rehan. 0040529649-6

I, Faisal Meer S/O Syed Abrar Meer H.No-3831/1, Third-Floor, David Street-Pataudi House-Daryaganj Delhi-110002. Changed My Name To Syed Faisal Mir. 0040529628-4

I, Bindlesh S/o Bali Karan R/o 46, village Badanpur, Kalapur, Uttar pradesh-222139, have changed my name to Bindlesh Kumar for all purposes. 0040529590-1

I, Bathena Susheel Kumar Rao S/o Bathena Rajnikant Rao R/o-BF-69, S/F,Janakpuri,ND-58, inform that in my bank record is written Susheel Kumar,that Susheel Kumar and Bathena Susheel Kumar Rao are the same name of one person. 0040529546-1

I Devaashish S/o Anil Bajaj R/o A-2/326 Sec-8 Rohini Delhi-110085., changed my name to Devaashish Bajaj 0040529628-1

I Deepak S/o Madan Lal R/o C-1-1055 Madangir, Dr. Ambedkar Nagar, Sector-IV, Delhi-110062 have changed my name to Deepak Arya for All Future purposes. 0040529641-1

I Anil Kumar S/0-Darshan Lal Bajaj R/o A-2/326 Sec-8 Rohini Delhi-110085, Changed My Name To Anil Bajaj. 0040529628-2

मैं, हरी राम गौतम पुत्र श्री फत्तू सिंह, म.नं. 12 मानसरोवर कॉलोनी, असौड़ा, हापुड़ सूचित करता हूं कि हरी राम और हरी राम गौतम दोनों मेरे ही नाम हैं।

मैं सैयद आसिफ अली पुत्र काज़ी इरशाद अली निवासी सैयदवाड़ा, हमीरपुर, यू.पी. सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे इंटरमीडिएट अंकपत्र तथा प्रमाणपत्र वर्ष 1990 अनुक्रमांक 337015 में त्रुटिवश में आसिफ अली पुत्र Qazi Irshad Ali अंकित हो गया है जिसे मैं बदलवा कर सैयद आसिफ अली पुत्र काजी इरशाद अली करना चाहता हूं

मैं, सैयद आसिफ अली पुत्र काज़ी इरशाद अली निवासी सैयदवाड़ा, हमीरपुर, यू.पी. सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे हाईस्कूल अंकपत्र तथा प्रमाणपत्र वर्ष 1988 अनुक्रमांक 0609036 में त्रुटिवश मेरा नाम आसिफ अली पुत्र इरशाद अली अंकित हो गया है जिसे मैं बदलवाकर सैयद आसिफ अली पुत्र काजी इरशाद अली करना चाहता हूं

मैं, साक्षी मेहरोत्रा, उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी श्री आवेग मेहरोत्रा, निवासी 621, कसमंडा रीजेन्ट अपार्टमेंट, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ ने विवाहोपरान्त अपना पुराना नाम स्वीटी अरोरा से बदलकर साक्षी मेहरोत्रा सभी उद्देश्यों हेतु कर लिया है।

I, Balraj S/o Gokal Chand Singhal R/o-WZ-41, Chhanna Mal-Park, East-PunjabiBagh, New-Delhi-110026, have changed my name to Balraj Singhal. 0040529609-4

I, Ajay S/o Gogan Singh Prajapati R/o H.No.334, Kumhar Mohalla, Devli Gaon, Delhi-110062, have changed my name to Ajay Kumar. 0040529599-2

I, Ricky Singh Marjara R/o 178-C Old Gupta Colony Vijay Nagar Delhi-9 changed my Minor Child name Rasneet Marjara to Rasneet Kaur Marjara. 0040529649-7

I Yogesh Kumari w/o Pankaj Kumar Gupta R/o-601 C16th-flr S.R.S Residency Sec-88, Kheri-Kalan Faridabad, Haryana-121002. have to change my name Sonali Gupta, for all future purposes. 0040529609-1

I Vishal Pathak S/O, Ram Sarup Pathak R/o 2nd Floor, C59, Near Dav School Ramprastha Ghaziabad UP-201011 have changed my name to Vishal Sarup Pathak 0040529547-1

I Tarun Chauhan S/o Late Vinod Chauhan R/o Flat No.G1/16, Sewak Park, Dwarka Mor, Behind Puran Store, New Delhi have changed my name to Taarun Chauhaan for all purposes. 0040529542-1

I Susheel Swroop Mehta alias S.S.Mehta alias Susheel S.Mehta alias Susheel Mehta S/o Late Bishamber Nath Mehta R/o Flat No.989, GH-13, Paschim Vihar, West Delhi, Delhi-110087 have changed my name to Susheel Swroop Mehta for all purposes. 0040529542-2

I Sophia Malhotra D/O, Rajesh Kumar Malhotra R/o C-303 Dabua Colony Nit Faridabad have changed my name to Sophia for all purposes. 0040529548-1

I Uma Rani W/o Ramesh Kumar R/o 594, BLK-B, Sec-7 Faridabad HR have changed my name to Uma Lanzara. 0040529599-1

I Shadab W/O Abubakar Ansari Flat No.303, Supertech-Estate Imperial-Block, Sec-9, Vaishali, Ghaziabad, U.P-201010. Changed My Name To Shadab Hayat. 0040529628-7

I Seema Rani Singhal W/O, Manoj Singhal R/o 2-a, 191 B, Nehru Nagar, Ghaziabad, UP have changed my name to Seema Singhal for all purposes. 0040529596-1

I Ravinder Kaur W/0-Hardeep Singh Sandhu R/o-4/A-308 2nd-Floor Samall Street-Nirankari-Colony Mukherjee Nagar Delhi-110009. Changed My Name To Rekha Sandhu 0040529649-3

I Mukta Goel Navdeep Dahiya, R/o.Tower H -602 Sixth Floor Godrej Frontier Sec 80 Gurgaon Have Changed My Name To Mukta Goyal As Per Document 0070695487-1

I Gulshan Mata S/O Jetha Nand R/O-414, 2nd Floor, Indra Vihar Delhi-110009 Have Changed My Name To Gulshan Matta. 0040529599-8

I Nikhil Gupta S/O Sunil Kumar Gupta H.No-1118/11, Street No-11, Near-Valmiki-Mandir, Govindpuri-Kalkaji Delhi-110019. Changed My Name To Nikhil Kumar Gupta. 0040529628-5

I Hardeep Singh S/o Gurpal Singh R/o-4/A-308 2nd-Floor Samall-Street Nirankari-Colony Mukherjee-Nagar Delhi-110009. Changed My Name To Hardeep Singh Sandhu. 0040529649-4

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that **VED PRAKASH S/o LATE ATAR SINGH AGE 63, R/o H. No. 18, NEAR BAGICHHI, BRAHAMAN MOHALLA, NIZAMPUR, DELHI-110081,** declare that my Grandfather actual and correct name in all service and revenue records is RAM NARAYAN but in the AADHAR CARD, VOTER CARD & PAN CARD of my father LATE ATAR SINGH it is mentioned as PYARE LAL whereas both the name are of one and same person which may corrected accordingly.

(VED PRAKASH)

खोया+पाया

I, Harsh Kapoor S/o Raj Kumar Kapoor R/o-15/24 west patelnagar Delhi-08. have lost my original/certificate class-10th year-2019 Rollno-8252979 CBSE-Delhi. 0040529609-6

I, Priya D/o Desh Raj R/o A-61, Ganesh Nagar Pandav Nagar, Delhi-92 has lost my Class Xth, C.B.S.E. Marksheet Roll No.8617219 Year 2013. Those who found please contact-9319972206. 0040529555-1

I, SAGAR S/o Satparkash R/o h.no-84 Jatkhore jat-khod Delhi-39. have lost my original, certificate class-10th year-2017 Rollno-8188239 CBSE-Delhi. 0040529609-7

I, Shraddha Garg D/o Mukul Kr Garg R/o-505, Narwana Apartment, I.P.Extn, Patpar ganj, Delhi-110092 have lost my original index pass certificate of class-10th,1184927/059, year-2018 issued by ICSC, Welham-Girls School, Dehradun(UK) Finder contact-9873443310. 0040529609-9

I, Satnam Kaur W/o Sh.Balbir Singh R/o NP-83, Ground Floor, Pitampura, Delhi-110034, have lost original Demand Letter, DDA Possession Letter and Site Possession Slip of above FLAT No.NP-83, Pitampura, Delhi, having file No.F-5(535)83/HB/NP/LIG, alongwith Electicity & Water Connection File. Finders may contact at above address. 0040529211-6

I, HARJOT Singh S/o Prem Singh R/o-Ladha munda gurdaspur punjab-143514.have lost my original/certificate class-10th(2017) Rollno-8100186 class-12th (2019) Rollno-9100157 CBSE-Delhi. 0040529609-8

I Mr.Iqbal Ahamed S/o.Late Mohd Hanif R/o-8844, Gali-Nal Wali Naya Mohalla,Pul Bungues Azad-Market Delhi-110006,I am the Owner of DDA Shop No-S-1/39, Block-E, Situated at Prashant-Vihar Delhi,that my Original allotment-cum-demand letter, possession letter Site possession Slip NOC-Water and Electricity of the above Shop issued by DDA have been Lost(Mo-No.8375855740) 0040529538-1

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Makhan Singh S/o Late Shri Gurdyal Singh, along with his wife Smt. Kamlesh Rani, R/o 70 Radhey Shyam Park Parwana Road Delhi-110051, have debarred/ disclaimed their son namely Sh. Daljeet Saini and his wife Sonia Saini (including their child) from their movable and immovable properties and have broken down all their ties and relation with them. My client shall not be responsible for any kind of dealing, illegal decision, act, conduct and police or court proceedings against them.

Sd/-
LEENA SONI (ADVOCATE)
C-64 C.L. Joseph Block
Tis Hazari Court

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client Smt. Geeta Sharma, W/o Late Satya Pal Sharma, R/o Flat No. 59, Ground Floor, Block J-3, Kalkaji, New Delhi, Mutatte of Flat No. 59, Ground Floor, Category Janta, Block J-3, in the area of Kalkaji, New Delhi has applied for conversation of the aforesaid flat from lease hold to free hold on dated 18.10.2011 in DDA. The Original Documents i.e. DDA Demand Letter, Possession Letter Bank Challan, NOC and Site Possession Slip of the above said flat have been lost. An FIR to this effect has been lodged vide LR No. 1917777/2019, dated 20.11.2019, with Crime Branch, Delhi.

Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of the original documents may write/ contact with above named person at above address/ Phone Number 9210092100 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property can personally inform or write to Dy. Director (LAB) H or Director (H)-1, D-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

D.K. SAREEN (Advocate)
Ch.No. C-35, C.L. Joseph Block,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of Public at large that my clients Sri Suresh Kumar S/o Sri Chatar Sain and Smt. Rukmani Devi W/o Sri Suresh Kumar, both R/o House No- 702, Basant Vihar, Muzaffar Nagar-251001 have disowned their son namely Mr. Sunny Verma S/o Sri Suresh Kumar and their Daughter-in-Law Ms. Neha W/o Mr. Sunny Verma, at present working at Punjab National Bank, Pilakhuwa (UP), from all their movable and immovable properties/ assets with immediate effect due to the FIR No- 0797 dated 18.11.2019 in PS-Chandpur, District- Bijnor (UP), lodged by Ms. Neha W/o Mr. Sunny Verma against my clients and also due to their rough, rude, arrogant and objectionable behavior with my Clients. Anybody dealing with the above Ms. Neha and Mr. Sunny Verma shall do so at his/her own risk, cost & consequences and my Clients shall not be liable/ responsible for the same in any manner what so ever.

Sd/- **VAGEESH SHARMA**
Advocate, Supreme Court of India
Chamber No- 471, Delhi High Court,
Sher Shah Road, New Delhi
Mobile : 9810591846

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that our client intends to purchase Agricultural Land measuring 10 Kanal 17 Marle, comprised in Khasra No. 38//3/2 (5-8), 7/1/1 (3-19), 8/1 min east (1-10) And Land measuring 6 Kanal 0 Marle comprised in Khasra No. 38//8/1 min west (6-0), total land measuring 16 Kanal 17 Marle, situated in village Ullahwas, Tehsil Wazirabad, District Gurugram. Any person having any objection, right, title, share, interest and/or any claim against and/or in respect of the Said Land, or any part or portion thereof or demand of any nature whatsoever or otherwise howsoever are hereby requested to inform the same in writing along with supporting documents to the undersigned, within a period of 10 (ten) days from the date of the publication hereof, and satisfy the undersigned about their claim, failing which, the claim/s, if any, of such person/s shall be considered to have been waived, released, relinquished and/or abandoned.

Adv. Subodh Vats
For Progressive Law Group
9/14, Third Floor,
East Patel Nagar,
Delhi 110008.
Mob.: 9811122828

रैली में बच्चे होने पर शिकायत

पणजी। गोवा के एनजीओ 'स्टॉप चाइल्ड अब्यूज नाउ' ने पिछले सप्ताह सीएए के खिलाफ आयोजित रैली में 'बच्चों की मौजूदगी' के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। (भाषा)

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल उषा नयाल W/O स्व. श्री जगमोहन सिंह नयाल R/O House No. N-649 सेक्टर-8, आर. के. पुराम नई दिल्ली-110022 ने अपने पुत्र निशांत उर्फ़ निशु व उसकी पत्नी बबीता व पोते नमन, तथा दूसरा पुत्र शुभम उसकी पत्नी सुनीता रावत. उपरोक्त सभी को उनके गलत आचरण व गलत व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल-अचल संम्पत्ति से बेदखल कर सभी संबंध विच्छेद कर लिए है, इनके किसी भी कृत्य हेतु मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होगा।

BIJAY KUMAR (ADVOCATE)
CH. NO-746 Lawyer Block
Saket Court New Delhi

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that I, **ANSARO KHATOON** W/O NASIMUDEEN R/O MCD FLAT NO. 271, GATE NO. 4, JAHANGIR PURI, DELHI- 110033, I am the owner of **MCD FLAT NO. 271, GROUND FLOOR**, GATE NO. 4, JAHANGIR PURI, DELHI-110033, and has misplaced / lost the all original Property Papers etc. near SBI Bank, Jahangirpuri, Delhi, in respect of above said property & I have lodged a FIR/NCR Vide LR No. 297145/2015, Date 17/04/2015, if anybody finds the said documents, Please inform at the above said address.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients Ms. Rashmi Malhotra W/o. Sh. Rajnish Malhotra & Sh. Rajnish Malhotra S/o. Sh. Krishan Gopal Malhotra Both R/o. H.No.B-86, Top Floor, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009, have severed all their relations with their son Sh. Saurabh Malhotra and his wife Ms. Ambika Nayyer because of their ill behaviour towards my clients and my clients have also debarred them from their all moveable and immovable properties for all purposes in future. Any body dealing with them shall be doing so at his/her own risk and responsibilities and my clients shall not be responsible for any act of the aforesaid persons.

Sd/-
NARENDER SHARMA (ADVOCATE)
CH. NO. 634, WESTERN WING,
TIS HAZARI COURTS, DELHI - 54

PUBLIC NOTICE

My Clients Smt. Usha Rani W/o Sh. Som Lal & Sh. Som Lal, S/o Late Kashmiri Lal, Both R/o H.N. 67/14, New CVD Line Sadar Bazar, Delhi-10, here by Disowned and debar all the relation from their Son Sh. Vikas Birla S/o Sh. SomLal R/o H.No. 67/14, New CVD Line Sadar Bazar, Delhi-10, and his wife namely Smt. Ankita Birla, from all moveable and immovable properties and also severe with relation with them as they are not obedient and not performing their duties, towards my clients and their relatives anybody deals with them shall be at their own risk cost and consequence.

Sd/-
S.K. JHA (Advocate)
Ch. No. 520, Rohini
Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Smt. Rajrani Sharma W/o Late Sh. Begraj Sharma R/o 3026/57, Gali No.4, Ranjit Nagar, Patel Nagar, New Delhi-110008, has served her relations, disowned her son Sh. Virender Sharma from her moveable-imoveable properties from today onwards, due to his unethical acts and deeds. If anybody deals with him in respect of the properties and belongings and any kind of acts, of my above client, shall be doing so, at their own risk and consequences. My above said client will not be held responsible for their acts and misdeeds in any manner whatsoever.

(Rakesh Kumar) Advocate
Enrol. No. D/2220/2017

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instructions from & on behalf of my client **Mahinder Singh** S/o Munsha Singh, R/o T-517/D-37, Near Gurudwara Hill Marg, Baljeet Nagar, New Delhi-08 have debarred his sons **Paramjeet Singh** his wife **Kuldeep Kaur & Taranjeet Singh** his wife **Nisha Singh** & their children from all his immovable propetties and moveable assets, and severed all relations with them due to their disobedience and misbehavior. Anybody dealing with them, will do at his/her/their own risks, costs and responsibility & my client & all his other family members shall not be responsible for any acts done by themselves. **J.C. Trikha** (Advocate) C.S. Tis Hazari Courts, Delhi-54.

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my client **Smt. Kamni Grover** W/o Sh. Deepak Grover R/o FF-50-A, Flat No.302, Third Floor, Mangal Bazar, Laxmi Nagar, Delhi-92, have disowned her son namely **Kapil Dev Grover** & his wife namely **Sunita Grover** and their children and they shall have no right or concern with my client or any of my client's moveable and immoveable properties. In future my client shall not be held liable and responsible for the acts and deeds of said **Kapil Dev Grover Bisht & Sunita Grover. Tarun Babbar** (Advocate) 64, Manu Appts., Mayur Vihar-I, Delhi-110091.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I MANPREET SINGH CHADHA S/O JASBIR SINGH R/O L-2/62, SF, NEW MAHAVIR NAGAR NEW DELHI-110018 declare that name of mine, my wife, my minor son & daughters has been wrongly written as MANPREET SINGH, TEENA KAUR, HARGUN KAUR, JASPAHAR KAUR & JAPSAMRATH SINGH in my minor son & daughters HARGUN KAUR CHADHA aged 17years, JASPAHAR KAUR CHADHA aged 12 years & JAPSAMRATH SINGH CHADHA aged 11years in their school records, 10th class marksheet and certificate. The actual name of mine, my wife, my minor son & daughters are MANPREET SINGH CHADHA, TEENA KAUR CHADHA, HARGUN KAUR CHADHA, JASPAHAR KAUR CHADHA & JAPSAMRATH SINGH CHADHA respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

"General public is hereby informed that my client, Mr Kailash Chander Anand and his wife Mrs Shama Anand both R/o A 120, Gur Mandi, Delhi-110007 have severed all relations and ties with their son, Mr Kunal Anand, his wife Ms Priyanka Kohli and their daughter Ahana Anand, citizens of Australia, all residents of Victoria, Melborune, Australia and disown and debar them from all their movable and immovable properties. Accordingly my client is not responsible / liable for any action / financial /transaction done or entered into by them with any person/institution/ organization. Anybody dealing with them shall do it at his own risk, cost and consequences and my client shall not be responsible or liable for any of their financial and other acts and deeds."

Sd/-
V.K. ANAND (ADVOCATE)
Seat No. 137, Civil Side,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

अदालती सूचना

PROCLAMATION REQUIRING ATTANDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
IN THE COURT OF SH. ARUN GOEL, ROHINI COURT, DELHI, ROOM NO. 216. 2nd Floor, Administrative Civil Judge/ Commercial Civil Judge/ Add. Rent Controller (N/W), Rohini Courts, Delhi

CS/1428/19
VARUN SHARMA ...... Plaintiff
of
against
M/S GRID INDIA POWER CABLES PVT. LTD ....Defendant

Defendent no. 1
==> M/S Grid India Power Cables Private Lmt.
==> Plot no. 63, Sector-5, I.M.T. MANESAR-122050, Gurugram (Haryana)
Also At
==> A-2/121, Janakpuri, New Delhi- 110058
Also At
Defendent no.2
==> M/S Navdhatu Wires Pvt. Ltd.
==> Plot no. 144, Sector-3, I.M.T. MANESAR-122050, Gurugram (Haryana)
Also At
==> R/O A-2/121, Janakpuri, New Delhi- 110058

WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 02 day of..March..2020..the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this....28..day of...January...2020.

Sd/-
Judge
Seal **Administrative Civil Judge/ Additional Rent Controller (N/W), Distt. Courts Rohini, Delhi**

कामरा के समर्थन में आया इंडिगो विमान का कप्तान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

मुंबई से लखनऊ की उड़ान में पत्रकार के साथ बदसलूकी मामले में कार्रवाई झेलने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को इंडिगो की उस उड़ान के चालक दल के कप्तान का समर्थन मिला है। दरअसल, बदसलूकी के आरोप के बाद इंडिगो ने कुणाल कामरा को छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इसको लेकर इंडिगो की उड़ान के कप्तान का बयान सामने आया है। उन्होंने इंडिगो से सवाल किया है कि बिना उसकी परामर्श के एअरलाइन ने कॉमेडियन पर प्रतिबंध क्यों लगाया?

पायलट ने इंडिगो को पत्र लिखकर पूछा है कि कंपनी ने बिना उनके परामर्श के कामरा पर प्रतिबंध क्यों लगाया? उसने पत्र में लिखा कि यह जानकर बेहद दुख हो रहा है कि मेरी एअरलाइन कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर ही फैसला ले लिया, जबकि कामरा का व्यवहार कार्रवाई के लिए तय किए गए मानक लेवल-1 के अनुरूप नहीं था। पायलट द्वारा लिखे गए पत्र पर इंडिगो की तरफ से भी बयान सामने आया है। इंडिगो ने कहा कि हमने कुणाल कामरा और अर्णब गोस्वामी की फ्लाइट के पायलट के पत्र का संज्ञान लिया है। हमें संबंधित बयान मिले हैं और आंतरिक समिति ने इस घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी है। बुधवार को इंडिगो मुंबई से लखनऊ जा रही उड़ान में कॉमेडियन कुणाल कामरा ने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी से अभद्रता की थी, जिसके बाद इंडिगो ने कॉमेडियन पर छह माह का प्रतिबंध लगा दिया था। इसके तुरंत बाद ही एअर इंडिया ने भी कामरा पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया। स्पाइसजेट और गो एयर ने भी कामरा पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया।

जीडीपी नहीं, लोगों की परेशानी से हो अर्थव्यवस्था का आकलन : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

- पाया गया है कि विकसित देश में मिजरी इंडेक्स 10 से ऊपर और विकासशील देशों में मिजरी इंडेक्स 20 से ऊपर जाता है तो सत्ता परिवर्तन होता है।

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर केंद्र की राजग सरकार की निंदा करते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि पहले जब बजट पेश किया जाता था तो इस देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के हिसाब से किया जाता था। यह देखा जाता था कि पांच साल में जीडीपी कितनी बढ़ी लेकिन आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन का मापदंड जीडीपी नहीं ग्लोबल मिजरी हंगर इंडेक्स (जीएमआइ) है। इसमें अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन लोगों को पेश आ रही परेशानी के आधार पर किया जाता है।

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने वित्त वर्ष 2020-2021 का आम बजट पेश किए जाने से पहले संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी अथर्शास्त्री ऑर्थर ओकून और रॉबर्ट बेरो ने जीएमआइ का इजाद किया। इसका आशय था – लोगों की परेशानी को मापने वाला इंडेक्स। अब इस इंडेक्स के चार पहलू बेरोजगारी दर, महंगाई दर, ब्याज दर और जीडीपी हैं। इन चार मापदंडों को जोड़कर एक स्कोर निकाला जाता है, जिसे मिजरी स्कोर कहते हैं। उन्होंने कहा कि अमूमन ये पाया गया है कि जो विकसित देश हैं, उसमें जब ये मिजरी इंडेक्स 10 से ऊपर जाता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। विकसित की अपेक्षा विकासशील देश में थोड़ी सहनशीलता ज्यादा होती है तो अमूमन जब ये मिजरी इंडेक्स 20 पर पहुंचता है या उससे ऊपर जाता है तो विकासशील देश में ये सत्ता परिवर्तन होता है।

तिवारी ने कहा कि वर्ष 2020 में अगर आप इस मिजरी इंडेक्स के ऊपर भारत का मूल्यांकन करें तो जो हमारा बेरोजगारी दर है, वो लगभग 8.5 फीसद है। जो हमारा महंगाई दर है, वो लगभग 7.35 फीसद है। जो हमारा ब्याज दर है वो 9.4 फीसद है। अगर आप जीडीपी को 3.75 फीसद लगाएं तो यह स्कोर ज्यादा बनता है। उन्होंने आंशका जताई कि साल 2020 के खत्म होते तक यह स्कोर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा।

दूसरी ओर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश आर्थिक बर्बादी के कगार पर है। उन्होंने ट्वीट कर दावा किया कि देश आर्थिक बर्बादी की कगार पर है। प्रशासनिक दिवालियापन हावी है। सोच व दृष्टि शून्य है। प्रगति पर ग्रहण लगा है।

अदालत ने ट्वीट पेश करने की थरूर की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की उस यचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की 2014 में मौत से पहले के कुछ ट्वीट पेश करने की अनुमति मांगी थी। पुष्कर की मौत मामले में थरूर एकमात्र आरोपी हैं।

विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत नियुक्त

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

अनुभवी राजनयिक विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह घोषणा की। साल 1988 के आइएफएस अधिकारी क्वात्रा को सेवानिवृत हो रहे मंजीव सिंह पुरी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में क्वात्रा फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं।

सोशल मीडिया कंपनियों को सक्रिय मोबाइल नंबरों का अलग डाटाबेस रखना होगा

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

सूचना प्रौगिकी (आइटी) मंत्रालय ने प्रस्ताव किया कि बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने ग्राहकों में अधिक सक्रिय रहने वाले मोबाइल नंबरों का एक अलग डाटाबेस रखना चाहिए। कंपनियों को सत्यापन कारणों को लकर यह डाटाबेस बनाना चाहिए। मंत्रालय के संशोधित नियमों में यह प्रस्ताव किया गया है।

एक सूत्र ने कहा कि यह प्रस्ताव तेजी से फैलते सोशल मीडिया क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को लेकर जानकारी नहीं होने जैसे मुद्दों से निपटने के उद्देश्य से किया गया है। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन के हिस्से के तौर पर पहली बार यह प्रस्ताव किया गया है। देश में 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को प्रमुख सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज माना जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ऐसी कंपनियों को नए नियमों के तहत कड़े दायित्वों का पालन करना होगा। इनमें उपयोगकर्ता का पता लगाने का मुद्दा भी शामिल है। आइटी मंत्रालय ने संशोधित नियमों का मसौदा पुनरीक्षण के वास्ते कानून मंत्रालय को सौंपा है। सूत्र का कहना है कि संशोधित नियमों में बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं, मंचों के मामले में उनके दायित्वों और जरूरतों के बीच फर्क पर भी जोर दिया गया है। इन कंपनियों पर लागू होने वाले नियमों में जरूरत और उनके दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा, याचिका पर रोक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा करने वाली महिला की याचिका पर तिरुवनंतपुरम की एक अदालत में शुरू हुई सुनवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाले पीठ ने मामले को तिरुवनंतपुरम से मुंबई स्थानांतरित करने की पौडवाल की याचिका पर 46 वर्षीय महिला को नोटिस जारी किया।

महिला ने तिरुवनंतपुरम की अदालत में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि वे प्रसिद्ध गायिका की पुत्री हैं। उसने कथित तौर पर सही बचपन और जीवन नहीं मिलने के लिए अपने जन्म देने वाले माता-पिता से 50 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की। शहर निवासी करमाला मोडेक्स ने दावा किया था कि पौडवाल ने उसे 1974 में पोन्नाचन और आग्नेस नामक दंपती को सौंप दिया था, जिन्होंने उसका पालन-पोषण किया। दावा किया गया है कि पौडवाल अपने काम में व्यस्त रहती थीं और उस समय संतान नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पौडवाल का विवाह संगीतकार अरुण पौडवाल से हुआ था।

सांसद अतुल राय की याचिका, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने मऊ की घोसी संसदीय सीट से सांसद अतुल राय को सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए दो दिन की पेरोल देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में शुक्रवार को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

अतुल राय के खिलाफ 1 मई, 2019 को वाराणसी के लंका पुलिस थाने में बलात्कार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। राय ने घोसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और 19 मई, 2019 को उन्हें विजेता घोषित किया गया। जमानत नहीं मिलने की वजह से वे सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं कर पाए। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पीठ ने हाई कोर्ट के 23 जनवरी को सुनाए फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

Classifieds
EXPRESS EDUCATION
ANTHRO
Next Class for INTERVIEW
on Feb 01,2020
Interested Candidates
Please Contact Immediately
VAID'S ICS, DELHI
Ph: 0-9311337737, 0-9999946748
www.vaidsics.com
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

www.readwhere.com

जामिया इलाके में प्रदर्शनकारियों के साथ ही चल रहा था गोली चलाने वाला नाबालिग

पुलिस को नहीं लगी भनक

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

जामिया इलाके में प्रदर्शनकारी दोपहर करीब 12 बजे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जाने के लिए निकल रहे थे। संख्या अधिक होने की वजह से प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाला नाबालिग भी उनके साथ-साथ चल रहा था। पर उसकी भनक प्रदर्शनकारियों और उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस बल को नहीं लगी। वह अचानक से प्रदर्शनकारियों के बीच से निकला और कट्टा लहराते हुए गोली चला दी। इस मामले में कहीं अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि उसके फेसबुक अकाउंट से इस मार्च का कोई शख्स लाइव कर रहा था। नाबालिग ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कई विवादित पोस्ट भी किए थे। कासगंज में हुए तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन की हत्या के मामले का भी जिक्र किया था। हालांकि, बाद में गुरुवार शाम को तकनीकी कारण बताकर उसके फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया।

प्रत्यक्षदर्शी आमीर खान ने बताया कि मीडियाकर्मी भी आगे-आगे चल रहे थे। इसी बीच नाबालिग भीड़ से बाहर निकला और नारे लगाने लगा और गोली चला दी।

सोशल मीडिया से जुटाई गई भीड़ : पुलिस

दिल्ली पुलिस की ओर से कहा कि मामले के संबंध में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि मार्च करने के लिए लोगों की भीड़ सोशल मीडिया के माध्यम से जुटाई गई थी। मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं, गोली लगने से घायल हुए छात्र शादाब से मिलने के लिए विशेष पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और प्रवीर रंजन एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने बताया कि शादाब की हालत खतरे से बाहर है। आगे की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई है।

घर से स्कूल जाने की बात कह कर निकला था नाबालिग

जेवर के रहने वाले नाबालिग जेवर पब्लिक स्कूल में 12वीं का छात्र है। उसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। उसने परिजनों को कहा था कि स्कूल से लौटकर वह शादी समारोह में आएगा। पर जब परिजनों ने उसकी फोटो टीवी पर देखी तो उन्हें घटना के बारे में पता चला। परिजनों ने मीडिया में दिए बयान में बताया कि वह कुश्ती करने की बात कह कर एक विशेष संगठन से जुड़ गया था।

विरोध जामिया नगर इलाके में अवरोधक को तोड़ने की कोशिश करते युवक पर पुलिस की कार्रवाई। फोटो : अरुष चोपड़ा

जामिया नगर में हिंसा के बाद नेताओं के बोल

गृह मंत्री दें इस्तीफा : 'आप'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। संजय सिंह ने कहा कि जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह बने हैं तब से कानून व्यवस्था बद से बदतर हुई है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान 24 घंटे में 9 लोगों की हत्या, 1 महीने सड़कों पर 220 राउंड फायरिंग, वकीलों के ऊपर गोलियां और छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाने जैसी घटनाएं हुई हैं।

संजय सिंह ने कहा कि जामिया में इतनी भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद एक व्यक्ति खुलेआम आता है और गोली चला देता है। यदि उसके पास कोई बड़ा हथियार होता तो आज सैकड़ों लोगों की हत्या हो सकती थी।

'समाज को बांटने का काम कर रही है भाजपा'

दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने जामिया में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स के गोली चलाने के मामले में कहा कि गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। इसी दिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक युवक द्वारा गोली चलाए जाने से साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार देश को बांटने वाली ताकतों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, यह प्रकरण उसी सोच की पुनरावृति है।

'गोलीबारी भाजपा नेताओं की टिप्पणी का नतीजा'

माकपा ने गुरुवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया गोलीबारी की घटना को दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं और मंत्रियों के नफरत फैलाने वाले भाषणों का नतीजा बताया है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया है। 'भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा हिंसा का आह्वान और नफरते भरे भाषण का यह शर्मनाक परिणाम हुआ। सरकार इसी प्रकार का भारत बनाना चाहती है। शहीद दिवस।'

शरजील ने पुलिस के सामने स्वीकारा, वीडियो में मेरी है आवाज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेएनयू का शरजील इमाम ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि भाषण का वायरल वीडियो उसी का है। पुलिस को यह भी बयान दिया है कि उस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यह भड़काऊ भाषण उसने गत दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में दिया था।

सूरजकुंड मेले का राष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन

फरीदाबाद, 30 जनवरी (जनसत्ता)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक फरवरी को 34वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन करेंगे। समारोह की अध्यक्षता हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के अलावा उज्बेकिस्तान दूतावास के राजदूत फरहाद आरजिएव भी शामिल होंगे। इस बार मेला में सहयोगी देश उज्बेकिस्तान होगा और थीम राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश हिस्सा ले रहा है।

यह जानकारी हरियाणा के गृह सचिव और पर्यटन विभाग के वित्त सचिव विजयवर्धन ने दी। यह मेला एक से 16 फरवरी आयोजित किया जा रहा है। विजयवर्धन ने पर्यटन मंत्री के हवाले से बताया कि सूरजकुंड शिल्प मेला 1987 में पहली बार हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन की ओर से केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।

उजाला कॉमर्सियल्स लिमिटेड
CIN: L51909DL1985PLC021397
पंजी. कार्या: ए-6/343बी, 1ला तल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
ईमेल आईडी: csujala.commercial@gmail.com, वेबसाईट: www.ujalacom.in, फोन: 011-49879687

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

राशि (रु. में)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने		समाप्त वर्ष
	31 दिस. 19 अनंकेक्षित	30 सित. 19 अनंकेक्षित	31 दिस. 18 अनंकेक्षित	31 दिस. 19 अनंकेक्षित	31 दिस. 18 अनंकेक्षित	31 मार्च, 19 अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल आय	2,25,000.00	2,25,000.00	2,25,000.00	6,75,000.00	6,75,000.00	9,00,000.00
विशिष्ट एवं असाधारण मदों तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	57,012.75	75,227.75	14,916.03	2,13,291.65	45,315.03	43,595.91
कर, अल्पसंख्यक ब्याज तथा एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) के शेयर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	57,012.75	75,227.75	14,916.03	2,13,291.65	45,315.03	35,454.93
अवधि के लिये कुल व्यापक आय	57,012.75	75,227.75	14,916.03	2,13,291.65	45,315.03	35,454.93
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु.10/- प्रति)	1,11,90,000	1,11,90,000	1,11,90,000	1,11,90,000	1,11,90,000	1,11,90,000
पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित	-	-	-	-	-	35,07,000.00
आय प्रतिशेयर (रु.10/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं) क) मूल ख) तरल	0.05	0.07	0.01	0.19	0.04	0.03

टिप्पणी:
1. उक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थे जिसकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 30 जनवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक अंकेक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में दाखिल की जा रही है।
2. उपरोक्त सेवी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का सार है। सांविधिक अंकेक्षकों के सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.msei.in तथा कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.ujalacom.in पर उपलब्ध है।

उजाला कॉमर्सियल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
गणेशराय
(निदेशक)
DIN: 00463635

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 30.01.2020

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईजीएल भवन, 4, सामुदायिक केन्द्र, सैक्टर-9, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022
फोन : 46074807, फैक्स : 26171863, वेबसाइट : www.iglonline.net
ई-मेल : investors@igl.co.in, सीआईएन : L23201DL1998PLC097614

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 6 फरवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जायेगा।

कंपनी की ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी, 2020 से बन्द है तथा वह 6 फरवरी, 2020 को अनकेक्षित वित्तीय परिणामों के सार्वजनिक होने के पश्चात 48 घंटों तक बन्द रहेगी।

हस्ता/-
एस. के. जैन
(कम्पनी सचिव)

दिनांक : 29 जनवरी, 2020
स्थान : नई दिल्ली

शैक्षिक संचार संकाय
आईयूएसी कैम्पस, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067
फोन: 011-24126418, 24126419, 24126420
फैक्स: 011-24126416 वेब: www.cec@nic.in

शुद्धिपत्र

वॉक-इन-इंटरव्यू

शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी) ने अनुबंध आधार पर परामर्शदाता (आईसीटी) के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों को वॉक-इन-इंटरव्यू में आमंत्रित करने के लिए 28.01.2020 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। वॉक-इन-इंटरव्यू 07.02.2020 को प्रातः 11.00 बजे होना निर्धारित था। उम्मीदवारों को सलाह दी गई थी कि वे बायो-डाटा फार्म एवं विस्तृत जानकारी के लिए सीईसी की वेबसाइट देखें।

सीईसी की वेबसाइट सर्वर फेल हो जाने के कारण पहुंच योग्य नहीं है और इसे कार्यरत होने में 10 दिन लगेंगे। **इस कारण से परामर्शदाता (आईसीटी) के रूप में नियुक्ति के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू आगे बढ़ाया गया है और अब इसे 20.02.2020 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित किया जाएगा।** अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

असुविधा के लिए खेद है।

(मुख्य प्रशासनिक अधिकारी)

PAISALO DIGITAL LIMITED
(Formerly known as S. E. Investments Ltd.)
Regd. Off. : CSC, Pocket-52, Near Police Station, CR Park, New Delhi-110019 (Phone: 011-43518888)

Possession Notice
(for immovable property)

Whereas,
The undersigned being the authorised officer of **M/s Paisalo Digital Ltd. (Formerly known as M/s S.E. Investments Ltd.)** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under section 13 (2) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 30.08.2019 calling upon the Borrower - **M/s Pankhuri Investments and Securities Ltd., Corporate Guarantor - M/s Rishyab Infratech Private Limited and Evinix Industries Limited, Personal Guarantors – Mr. Rakesh Gupta, Mr. Krishan Murari Gupta and Mrs. Deepti Gupta** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 4,38,87,201/- (Rupees Four Crore Thirty Eight Lakh Eighty Seven Thousand Two Hundred One Only)** as on 30.08.2019 along-with future interest at the rate of 18% per annum w.e.f. 30.08.2019 within 60 days from the date of receipt of the said notice.
The Borrower and Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower, Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 29th day of January of the year 2020.
The Borrower and Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **M/s Paisalo Digital Ltd. (Formerly known as M/s S.E. Investments Limited)** for an amount of **Rs. 4,38,87,201/-** as on 30.08.2019 and interest thereon.
The Borrower and Guarantors' attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Properties

1. Land admeasuring 7 Biswas in Khasra No. 956/1 Min in Revenue Estate Village Bahapur, Tehsil Kalkaji, B-214, Chittranjan Park, New Delhi – 110019 mortgaged by **Mrs. Deepti Gupta (Guarantor)** through Letter Evidencing Deposit of Title Deeds dated 28.05.2010.

Date : 29.01.2020
Place : NEW DELHI

Sd/-
Authorised Officer
M/s Paisalo Digital Ltd.
(Formerly known as S. E. Investments Ltd.)

रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
दूरभाष: +91 (129) 4288888 फैक्स: +91 (129) 4288822-23 ई-मेल: info@raunaqintl.com वेबसाइट: www.raunaqinternational.com
सीआईएन: L51909HR1965PLC034315

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही						समाप्त नौ माह				समाप्त वार्षिक	
		एकल			समेकित			एकल		समेकित		एकल	समेकित
		31.12.2019 (अनअंकेक्षित)	30.09.2019 (अनअंकेक्षित)	31.12.2018 (अनअंकेक्षित)	31.12.2019 (अनअंकेक्षित)	30.09.2019 (अनअंकेक्षित)	31.12.2018 (अनअंकेक्षित)	31.12.2019 (अनअंकेक्षित)	31.12.2018 (अनअंकेक्षित)	31.12.2019 (अनअंकेक्षित)	31.12.2018 (अनअंकेक्षित)	31.03.2019 (अंकेक्षित)	31.03.2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	**452.39**	329.93	1,223.29	**1,493.57**	1,261.07	2,354.01	**1,321.89**	3,579.05	**4,395.51**	6,883.17	4,627.58	9,281.69
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं से पूर्व)	**(32.39)**	(365.81)	(103.00)	**(48.27)**	(416.83)	(91.53)	**(1,715.21)**	(360.62)	**(1,773.14)**	(317.45)	(626.56)	(544.07)
3.	अवधि के लिए कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद)	**(32.39)**	(365.81)	(103.00)	**(48.27)**	(416.83)	(91.53)	**(1,715.21)**	(360.62)	**(1,773.14)**	(317.45)	(626.56)	(544.07)
4.	अवधि के लिए कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद)	**(101.70)**	(273.49)	(73.09)	**(115.63)**	(328.72)	(63.75)	**(1,318.20)**	(356.10)	**(1,365.38)**	(310.51)	(527.62)	(461.49)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [जिसमें अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है]	**(96.77)**	(268.50)	(67.39)	**(110.70)**	(323.73)	(58.05)	**(1,303.40)**	(339.01)	**(1,350.58)**	(293.42)	(508.10)	(445.15)
6.	समता अंश पूंजी	**334.32**	334.32	334.32	**334.32**	334.32	334.32	**334.32**	334.32	**334.32**	334.32	**334.32**	**334.32**
7.	प्रतिअंश आय ₹10/- प्रत्येक (*अवार्षिकृत) मूल एवं तरल	***(3.04)**	*(8.18)	*(2.19)	***(3.46)**	*(9.83)	*(1.91)	***(39.43)**	*(10.65)	***(40.84)**	*(9.29)	**(15.78)**	**(13.80)**

टिप्पणी :
1. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किए गये तिमाही एवं नौ माह के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही एवं नौ माह के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं कंपनी की वेबसाइट www.raunaqinternational.com पर उपलब्ध हैं।
2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षाकृत एवं सिफारिश के पश्चात् 30 जनवरी, 2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
हस्ता/-
सुरिंदर पॉल कंवर
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 जनवरी, 2020

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालय: दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
धरोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 03.03.2020 को सांय 5.00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता कॉर्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 04.03.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. स.	शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई-मेल आईडी	ऋणधारक/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड
1	**पृथला शाखा, श्री महेश माल्या,** मो. 8826229090, फोन: 01275-26212, ईमेल: cb1540@corpbank.co.in	उधारकर्ता: (1) मैसर्स जय श्री राम फिलिंग स्टेशन प्रोप. श्री पृथ्वी सिंह (2) श्री पृथ्वी सिंह पुत्र लेख राम, गारंटर (1) सुमन देवी पत्नी पृथ्वी सिंह	सम्पत्ति (खाली भूमि) जिसका खेवत / खतौनी नं. 658/588, खाता नं. 757, रैक्ट. नं. 224, किला नं. 1/9(1-6), क्षेत्रफल 14 मारला, जोकि गाँव तहसील होडल जिला पलवल, हरियाणा में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में - 15फीट चौडी लेन, दक्षिण में - अन्य की भूमि/मैसर्स सोनालिका ट्रक्टर एजेंसी, पूरब में - अन्य की भूमि, पश्चिम में - बॉय पास मेन हाईवे एनएच-2, यह सम्पत्ति श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री लेखी राम के नाम पर है। क्षेत्रफल 14 मारला = 423.50 वर्ग गज	**रु. 2,33,09,408.00 दिनांक 05.07.2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**	**₹ 101.00 लाख** **₹ 10.10 लाख** **₹ 1.00 लाख**	**04-03-2020** **पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार**	**खाता नं. 1540013881200101 IFSC कोड: CORP0001540**

कृप्या विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों के संदर्भ हेतु लिंक देखें: **https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jai_shree_ram_filling_station_.pdf** और वेबसाईट : **www.bankauctions.in & https://ibapi.in** देखें।

दिनाक: 30.01.2020, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

ऐ भाई...

आम आदमी पार्टी के एक नेता को भाजपा की सदस्यता दिलाते दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी।

'आप' ने राजनीति में फंसाई मुफ्त इलाज योजना : शाह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओछी राजनीति की वजह से दिल्ली वालों को पांच लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की योजना का लाभ नहीं मिला। अमित शाह ने कहा कि अब दिल्ली की जनता तय करेगी कि उसे अगले 5 साल तक भाजपा की कर्मठ सरकार चाहिए या धरना प्रदर्शन करने वाली सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता का एक-एक वोट देश और दिल्ली को सुरक्षित करने के काम आएगा।

अमित शाह ने कहा कि अन्ना के आंदोलन की आत्मा को छलते हुए पांच साल पहले अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की और दिल्ली की जनता ने इन्हें अपनी पलकों पर बिठाकर मुख्यमंत्री बना दिया लेकिन बदले में आप पार्टी से जनता को झूठ और धोखा मिला। अमित शाह ने गुरुवार को छतरपुर विधानसभा प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर, कस्तूरबा नगर प्रत्याशी रवींद्र चौधरी, आरके पुरम अनिल कुमार शर्मा व मालवीय नगर से शैलेंद्र सिंह मोंटी के समर्थन में रोड शो और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया।

अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सत्ता में आए तो सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन शपथ लेने के बाद सबसे पहली फाइल इसी से संबंधित मंजूर की। 'आप' का दावा था कि दिल्ली में 1000 क्लीनिक खोले जाएंगे। 1000 खोलना तो दूर, जो कुछ खुले भी, उनमें दवाएं व सुविधाएं नहीं है। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल जैन, सांसद रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, गुजरात से सांसद जसवंत सिंह भाभोर समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

आज जारी होगा भाजपा का संकल्प पत्र

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराह ने बताया कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री व चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, भाजपा उपाध्यक्ष व दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू, केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, चुनाव प्रबंधन कमेटी के संयोजक एवं राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुघ, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल समेत सभी सांसद उपस्थित रहेंगे।

केजरीवाल को चुनाव आयोग से कारण बताओ नोटिस

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए छह जनवरी को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद तीस हजारी अदालत परिसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से मोहल्ला क्लीनिक खोलने का वादा करने पर चुनाव आयोग ने गुरुवार को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया।

चुनाव आयोग ने केजरीवाल को भेजे नोटिस में उनसे 31 जनवरी को शाम पांच बजे तक इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार मकर संक्रांति से पहले 13 जनवरी को वकीलों द्वारा आयोजित लोहड़ी समारोह में केजरीवाल ने दिल्ली के सभी अदालत परिसरों में जमीन मुहैया कराए जाने पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने का वादा किया था। इस मामले में दिल्ली भाजपा के नेता नीरज की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल से जवाब तलब किया है। आयोग ने इसे प्रथम दृष्टया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उनसे इस बारे में अपना पक्ष रखने को कहा है।

नोटिस में आयोग ने वकीलों के समक्ष केजरीवाल के भाषण में दिल्ली की सभी अदालतों में मोहल्ला क्लीनिक और जिम खोलने का वादा करने की सीईओ द्वारा पुष्टि करने की भी बात कही है। नोटिस के अनुसार तीस हजारी अदालत में दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा था कि वह सभी अदालतों में मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए तैयार हैं, अगर इसके लिए अदालत के अंदर जगह मुहैया करा दी जाए तो मोहल्ला क्लीनिक और जिम बनवा देंगे।

दिल्ली में दो चुनावी रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

आगामी सप्ताह में दिल्ली का प्रचार और गर्म होगा। इस प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और जनता से भाजपा के लिए मत देने की अपील करेंगे। डॉ. हर्षवर्धन ने गुरुवार को बताया कि अब दिल्ली का चुनाव प्रचार अपनी बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री तीन फरवरी और चार फरवरी को दिल्ली में रैली करेंगे। पहली रैली पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा के सीबीडी ग्राउंड में होगी। इस बैठक में उत्तर पूर्व व पूर्वी दिल्ली के सभी 20 प्रत्याशी भाग लेंगे। इसी प्रकार अगली रैली चार फरवरी को द्वारका के रामलीला मैदान में रैली होगी।

शाहीन बाग में चुनावी इंतजामों का जायजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यहां निर्बाध चुनाव संपन्न कराने के लिए इंतजामों का आकलन किया है। यहां पिछले एक महीने से प्रदर्शन चल रहा है। विशेष आयुक्त (खुफिया) प्रवीर रंजन ने बताया कि इस क्षेत्र में निर्बाध चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर पर आकलन किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी और निर्वाचन आयोग ने स्थिति की समीक्षा की। चुनाव अधिकारियों के पहुंचने और सामग्री को वहां तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना तैयार की गई है। अधिकारी ने कहा कि शांति बनाए रखने और मतदान के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चत करने के मकसद से प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के साथ सहयोग किया।

मतदाताओं को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

नई पहल

दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार दो चीजे पहली बार होंगी। 2917 वोटरों का उनके घर पर मतदान होगा। आठ फरवरी को चुनाव आयोग की टीम जाएगी और उनका वोट दिलवाएगी। दूसरा, दिल्ली के 11 मतदान केंद्रों पर वोट विदेशों की तर्ज पर होंगे। इन केंद्रों पर 'क्यूआर' कोड के जरिए भी मतदान की सुविधा मिलेगी। वोटरों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। प्रयोग के तौर पर चुनाव आयोग ने अपने हर जिले में एक मतदान केंद्र को इसके लिए तैयार किया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह ने इसकी पुष्टि की।

डॉक्टर रणबीर सिंह के मुताबिक आयोग ने फार्म 12 (डी) के जरिए दिल्ली में एक सर्वे किया। आयोग अपने उन मतदाताओं की जानकारी चाह रहा था जो चल फिर सकने में अक्षम हैं। रोग ग्रस्त या बिस्तर से न उठ सकने वाले दिव्यांग या अति वरिष्ठ नागरिक हैं। इसमें तीन हजार से ज्यादा लोग सामने आंए। उनकी स्थिति की जांच की गई। 2019 लोग ऐसे पाए गए जो किसी न किसी वजह से अपने मतदान केंद्र पर आ नहीं सकते हैं। और वे मतदान करना चाहते हैं। लिहाजा तय किया गया कि चुनाव में लगे अधिकारी उनके घरों पर जाकर उनका मतदान कराएंगे।

विदेश में रह रहे वोटरों के लिए मतदान की सुविधा आयोग डाक द्वारा मुहैया कराएगा

इसके अलावा तकनीकी रूप से केंद्रो और वोटरों को मतदान के लिए सक्षम बनाने की दिल्ली में हुई पहल इस बार प्रयोग के तौर पर आजमाया जा रहा है। आगे इसे ज्यादातर और फिर सभी केंद्रों पर लागू किया जाएगा। इसके लिए तय किए गए मतदान केंद्रों पर वोटरों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी गई है। बाकि केंद्रो पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। वोटर क्यूआर कोड से स्कैन होंगे। वे मतदान करेंगे। यह सुविधा फिलहाल कुछ चुनिंदा केंद्रों पर उपलब्ध होगी।

दिल्ली के 498 ऐसे वोटर हैं जो इस समय देश से बाहर हैं। उनके मतदान के लिए भी आयोग की ओर से विशेष व्यव्साथा की गई है। वे डाक के जरिए वोट करेंगे। इसके अलावा 80 साल के उम्र से ज्यादा वाले वे वोटर जो अपने मतदान केंद्र कर पहुंचने के लिए कैब चाहते हैं, उन्हें यह सुविधा आयोग दे रहा है। इसके लिए दिल्ली निवार्चन आयोग कैब का इंतजाम कर रही है। यह सुविधा लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों को चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर बात करनी होगी। उन्हें दो फरवरी तक कैब की मांग वाली जानकारी 1950 या आयोग के बेवसाइट के जरिए उनतक पहुंचानी होगी।

'आप' और कांग्रेस नेताओं ने ली भाजपा की सदस्यता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

दल बदल

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रह्मपाल भडाना और ब्रह्मपाल चंद्र प्रकाश ने गुरुवार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर व फूलों का गुलदस्ता देकर पार्टी में स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी विक्रम बिधूड़ी के समर्थन में 'आप' नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है।

ब्रह्मपाल भडाना ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यों से प्रेरित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है। ये बीते दो साल से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। इस बार इन्हें टिकट नहीं मिली थी। इससे नाराज होकर ब्रहमपाल भडाना ने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। गुरुवार को कांग्रेस से दो बार पार्षद रही नीतू चौधरी, डूसू के पूर्व अध्यक्ष मनीष चौधरी, ओलिंपियन जय प्रकाश पहलवान ने दल-बल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दिल्ली के प्रभार श्याम जाजू और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने इन्हें पार्टी का पटका पहनाकर औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया।

जनता और लवली का रिश्ता है काफी पुराना : नगमा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

हर दुख-सुख में यहां की जनता के साथ लवली खड़े रहे हैं

कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। गांधी नगर से कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली के लिए फिल्म अभिनेत्री नगमा प्रचार करने के लिए पहुंची थी। नगमा ने कहा कि पूर्व मंत्री लवली का गांधी नगर के निवासियों से बड़ा ही पुराना रिश्ता रहा है। हर दुख और सुख में वह यहां की जनता के साथ खड़े रहे हैं। लवली ही हैं, जिन्हें क्षेत्र की बेहतर जानकारी है।

नगमा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जनता एक जाने पहचाने चेहरे को अपना विधायक चुन कर भेजेगी। वहीं, अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली का परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए ब्लू लाइन बसों को हटा कर लो फ्लोर बसों की सौगात दिल्ली वासियों को दी, जो अभी तक याद की जाती है। यह भी कहा की गांधी नगर क्षेत्र को शेष दिल्ली से सुगम संपर्क स्थापित करने के लिए मेट्रो रेल पहुंचवाई। साथ ही साथ पूरी दिल्ली में सड़को पर ओवरब्रिज के जाल बिछा कर यातायात को व्यवस्थित किया।

कालकाजी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा ने गुरुवार को गांधी बस्ती और काली चरण कैम्प में पदयात्रा की और लोगों से जनसम्पर्क किया, उनके साथ क्षेत्र के बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे, जहां उन्हें भारी जनसमर्थन मिला। दोपहर बाद शिवानी ने हनुमान मंदिर में माथा टेका, सराय जुलेना, डबल स्टोरी अमृतपुरी गढ़ी, दुर्गा मंदिर, सीएससी फलैट, ईस्ट ऑफ कैलाश में भी पदयात्रा की।

शिवानी चोपड़ा ने कहा कि अपने जनसम्पर्क में लोगों से कहा कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अपनी मजबूत दावेदार ठोक रहे है, जबकि वह यह नहीं जानती की यदि आप पार्टी कालका जी में मजबूत होती तो केजरीवाल अपने उम्मीदवार को बदलते ही नहीं। वहीं, मुंडका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार डॉ. नरेश कुमार ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क और पद यात्रा की। गली-गली घूमकर चुनाव प्रचार में जुटे कुमार का दावा है कि कांग्रेस बुजुर्गों को पांच हजार रुपए पेंशन देना सुनिश्चित करेगी। कालोनियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और योग्य युवा को रोजगार दिलाया जाएगा।

केजरीवाल ने दिल्लीवालों से पूछा, क्या मैं आतंकवादी हूं?

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

सवाल

गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी मुझे आंतकवादी कह रही है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा देशहित को सर्वोपरि रखा है और दिल्ली वालों का बेटा व भाई बनकर काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह अब मैं दिल्लीवालों पर छोड़ता हूं कि मैं आतंकवादी हूं या दिल्ली का बेटा हूं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आइआइटी के बाद मेरे बहुत से साथी विदेश चले गए, मैंने देश में रहकर देश की समस्याओं को ठीक करने का निर्णय लिया। मैंने देश के लिए भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। मैं शुगर का मरीज हूं इसके बावजूद भी दिल्लीवालों के लिए 15-15 दिन तक अनशन किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे लिए देश हमेशा से सर्वोपरि रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली के हर बच्चे को अपने बच्चे के समान मानकर उनके लिए बेहतर शिक्षा का इंतजाम किया।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए देश के सबसे बड़े आंदोलन का हिस्सा बना और आयकर आयुक्त की नौकरी छोड़ दी। क्या कोई आतंकवादी ऐसा करता है?

हिसार में पैदा होने वाला दिल्ली का बेटा कैसे : हर्षवर्धन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी

तंज

आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के बेटे की छवि भाजपा को रास नहीं आ रही है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता डॉ. हर्षवर्धन ने इस छवि पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हिसार में पैदा हुए हैं और गाजियाबाद में रहते हैं, तो वे दिल्ली के बेटे कैसे हैं। प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता में डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि 2015 में अरविंद केजरीवाल का झूठ पता चल गया था लेकिन इस बार के चुनाव में यह झूठ नहीं चलेगा।

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि आज दिल्ली का चुनाव इस स्थिति में पहुंच गया है कि लोगों को समझ आ रहा है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। 'आप' सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। अब कमरों की औसत संख्या के आधार पर स्कूल बनाने का दावा किया जा रहा है। स्कूलों की तरह ही दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद खराब हुई है।

मोहल्ला क्लीनिक की खराब हालत सबके सामने आ गई है और लोग भी 'आप' को समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अबतक 'आप' ने दिल्ली के अलावा जितने भी राज्यों में चुनाव लड़े हैं, वहां हार का सामना किया है। लोकसभा चुनाव में 'आप' नेताओं की जमानत जब्त हुई थी। 'आप' ने साढ़े चार साल में केवल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए है। और अब छह माह में मुफ्त योजनाएं देकर जनता को गुमराह कर रही है।

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए बड़ी संख्या में पार्टी के नेताओं को दिल्ली में उतारा है। इस बात पर भी अरविंद केजरीवाल को आपत्ति है। एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के 200 सांसद, 70 मंत्री और 11 मुख्यमंत्री इस बार चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। दिल्ली वालों ने पांच साल खूब मेहनत से दिल्ली को संवारा है। उनकी मेहनत का अपमान मत करना। अतिथि देवो भवः। आपके लिए दिल्ली दर्शन का आयोजन किया है। अक्षरधाम, कमल मंदिर आदि का आनंद लीजिए।

ऐक्सिस बैंक — **आधिपत्य नोटिस**

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

जबकि अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत माग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुषगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र. सं.	ऋणी/सह-ऋणी/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1.	**श्री रईस अहमद (ऋणी)** पुत्र अमीर हुसैन निवासी म0नं0 211, बरवारा माजरा, भेनसाई निकट रामपुर दोराहा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश भारत-244001 **एवं** : द्वारा मेसर्स रईस अहमद बरवारा माजरा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश भारत-244001 **श्री मो0 अकील (सह-ऋणी)** पुत्र रईस अहमद **श्रीमती दिलवारी (सह-ऋणी)** पत्नी रईस अहमद निवासी म0नं0 211, बरवारा माजरा, भेनसाई निकट रामपुर दोराहा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश भारत-244001	स्थित एचआईजी-एल प्लाट नं0 5बी 277 नया मुरादाबाद योजना, दिल्ली रोड, पुलिस स्टेशन नशीला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001 जोकि **श्री रईस अहमद** के नाम **क्षेत्रफल- 72.00 वर्ग मी0** **चौहद्दी : पूर्व** : एम.आई.जी. प्लाट नं0 5बी-276, **पश्चिम**: एम.आई.जी. प्लाट नं0 5बी-278, **उत्तर** : सड़क, **दक्षिण**: एम.आई.जी. प्लाट नं0 5बी-286	रू.22,15,979.00 एवं रू.6,14,408.00 दिनांक 13.11.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि 13.11.2019** **कब्जा दिनांक 28.01.2020**
2.	**श्री जितेन्द्र कुमार (ऋणी)**, पुत्र गोपाल प्रसाद गुप्ता निवासी म0नं0 ईडब्ल्यूएस 1ए/215 लोधी विहार आवास विकास कालोनी योजना संख्या-9, ससनी गेट, अलीगढ़ उ0प्र0-202001 **एवं** : द्वारा मेसर्स जीतू गिरिजा गीत गारमेन्ट्स, दुकान नं0 5, गोल मार्केट, रेलवे रोड, अलीगढ़, उ0प्र0-202001 **श्रीमती दीप्ती गुप्ता (सह-ऋणी)** पत्नी जितेन्द्र गुप्ता उर्फ जितेन्द्र कुमार **श्रीमती मधू गुप्ता (सह-ऋणी)**, पत्नी गोपाल प्रसाद गुप्ता निवासी म0नं0 ईडब्ल्यूएस 1ए/215 लोधी विहार आवास विकास कालोनी योजना संख्या-9, ससनी गेट, अलीगढ़ उ0प्र0-202001	स्थित म0नं0 ईडब्ल्यूएस 1ए/215 लोधी विहार आवास विकास कालोनी योजना संख्या-9, ससनी गेट, अलीगढ़ उ0प्र0-202001 जोकि **श्रीमती मधू गुप्ता** के नाम **क्षेत्रफल-41.32 वर्ग मी0** **चौहद्दी: पूर्व**: म0 नं0 1ए/214 **पश्चिम** : म0नं0 1ए/216 **उत्तर** : सड़क **दक्षिण**: योजना की चौहद्दी	रू.7,74,953.00 दिनांक 11.10.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि 11.10.2019** **कब्जा दिनांक 27.01.2020**

दिनांक : 31.01.2020
स्थान : लखनऊ

(प्रा0 अधिकारी)
एक्सिस बैंक लि0

सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी : कांग्रेस के लिए साख का सवाल

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

लेखा जोखा

70 विधानसभा क्षेत्रों में सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी विधानसभा का परिणाम भी इस बार सबकी नजर पर रहेगा। बाहरी दिल्ली के उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के इन दोनों सुरक्षित विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के दो पूर्व विधायक, राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनके मुकाबले खड़े आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवारों ने भी प्रचार की गति तेज कर दी है। 1975-76 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर पक्का मकान देने के फैसले में करोलबाग, प्रसादनगर, आरकेपुरम आदि इलाकों से झुग्गी हटाकर जो पुनर्वास कॉलोनियां बनाईं उसमें मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी में बसाई गई कालोनियां भी शामिल हैं।

कांग्रेस का गढ़ सुल्तानपुर माजरा

1993 में विधानसभा गठन के बाद से सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र लगातार कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व सांसद सज्जन कुमार के सानिध्य में रहकर राजनीति में आए और पहले चुनाव से लेकर लगातार चार बार खुद और एक बार पत्नी को चुनाव जिताने का तमगा जयकिशन के नाम यहां दर्ज है। करीब पौने दो लाख मतदाताओं वाली इस विधानसभा में पिछले चुनाव में संदीप कुमार ने 'आप' की हवा में जयकिशन को पराजित किया था। इस बार यहां से कांग्रेस ने फिर जयकिशन पर दांव लगाया है। भाजपा के रामचंद्र चावड़िया और 'आप' के मुकेश कुमार अहलावत मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की जुगत में हैं। 2015 में संदीप कुमार 'आप' से जीतने के बाद केजरीवाल सरकार में मंत्री भी बने लेकिन सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो और राशन घोटाले में नाम आने के कारण उन्हें मंत्री पद से तो त्याग पत्र देना ही पड़ा, आप पार्टी से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया। इस बार 'आप' ने मुकेश अहलावत को भले ही टिकट देकर मैदान में उतार दिया है लेकिन तपे तपाए और हर घर में किसी न किसी तरह 25 सालों से अपनी पैठ बना चुके जयकिशन के मुकाबले उनकी दावेदारी कम दिखती है।

स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि 'आप' ने जिसे इस बार मैदान में उतारा है वह पहले बसपा फिर भाजपा और इस समय 'आप' का दामन थामकर विधानसभा पहुंचने की जुगत में है। अहलावत यहां से कई किलोमीटर दूर बवाना में रहते हैं। हालांकि भाजपा के उम्मीदवार भी जनकपुरी के हैं। इन दोनों के मुकाबले जयकिशन यहां 40 साल से ज्यादा समय से रहते हैं और पुनर्वासित कालोनी में कालेज और दो हायर सेकेंडरी स्कूल खोलकर आर्थिक रूप से कमजोर और दलितों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करते रहे हैं। बीते चुनाव में 'आप' से पराजित होने के बाद भी जयकिशन ने इलाके में अपनी सक्रियता नहीं छोड़ी और पिछले 25 साल से रहे विधायक की तरह लोगों से मिलते जुलते रहे। एक साल से तो उन्होंने घर-घर जाकर, गलियों और चौक चौराहे पर सभा कर लोगों से मांफी मांगकर यह कहते रहे कि इस इलाके में अगर कोई विकास का काम होगा तो उनके रहते ही होगा। ब्लॉकों में विभाजित, किशन विहार, जलेबी चौक और इंद्रा झील जैसे बस्ती से सजे दिल्ली के अन्य इलाके की तरह यहां भी समस्याएं उसी प्रकार की हैं।

मंगोलपुरी विधानसभा भी इस बार कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्षों में एक और इसी इलाके से लोकसभा चुनाव लड़े राजेश लिलोठिया को सुरक्षित सीट के नाते यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार के प्रभारी सचिव लिलोठिया को यह सीट दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राज कुमार चौहान का चुनाव नहीं लड़ने के कारण दी गई। करीब पौने दो लाख मतदाता के इस क्षेत्र से 'आप' की राखी बिडलान चुनाव मैदान में हैं।

राखी 'आप' की शुरुआती टीम की सदस्य, मंत्री और विधानसभा की मौजूदा उपाध्यक्ष हैं। जबकि भाजपा ने करमवीर सिंह करमा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के गढ़ इस सीट पर भी चौहान चार बार विधायक और शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे। बीते लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने लिलोठिया को टिकट दिया तो विरोध कर चौहान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले ही दोबारा वे कांग्रेस में आ गए और मंगोलपुरी से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। लिलोठिया चौहान को अपने पाले में कितने कर पाते हैं इस पर चुनाव परिणाम निर्भर करता है। सुल्तानपुरी से सटे होने के कारण यहां भी समस्याएं उसी प्रकार की हैं जिसे पूरा करने का दावा करते हुए तीनों पार्टियां मैदान में जुटी हुई है।

www.readwhere.com

अक्षय की सुधारात्मक याचिका भी खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की सुधारात्मक याचिका भी गुरुवार को खारिज कर दी। साथ ही, पीठ ने सिंह की वह याचिका भी ठुकरा दी जिसमें उसने एक फरवरी को तय फांसी पर रोक लगाए जाने की मांग की थी।

निर्भया मामला

न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने मौखिक सुनवाई की अर्जी खारिज की। जजों ने कहा, 'मौखिक सुनवाई की अर्जी खारिज की जाती है। मौत की सजा पर रोक का आवेदन भी खारिज किया जाता है। हमने सुधारात्मक याचिकाएं और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। 2002 के रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य के मामले में इस अदालत के फैसले में इंगित मानकों के तहत कोई मामला नहीं बनता। इसलिए सुधारात्मक याचिकाओं को खारिज किया जाता है।'

सिंह ने बुधवार को शीर्ष अदालत में सुधारात्मक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि अदालतें जनता के दबाव में व महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर सार्वजनिक राय के चलते मौत की सजा दे रही हैं। कानून की अदालत में किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध अंतिम कानूनी विकल्प सुधारात्मक याचिका का होता है। अक्षय ने कहा कि बलात्कार और हत्या के करीब 17 मामले ऐसे हैं जिनमें शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों वाली विभिन्न पीठों ने मौत की सजा को कम किया है।

उस के पास अब राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने का विकल्प है। वह मुकेश कुमार सिंह और विनय कुमार शर्मा के बाद सुधारात्मक याचिका दाखिल करने वाला तीसरा दोषी है। मामले में मुकेश कुमार सिंह और विनय कुमार शर्मा की सुधारात्मक याचिकाओं को शीर्ष अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। चौथे दोषी पवन गुप्ता ने सुधारात्मक याचिका दाखिल नहीं की है। जो वह अब भी कर सकता है।

दोषियों की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगा जवाब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों की याचिका पर शुक्रवार को जवाब देने को कहा।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
निगम एवं पंजी. कार्यालय : महानगर दूरसंचार सदन, पंचम तल, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
सीआईएन : L32101DL1986GOI023501

एमटीएनएल में परामर्शदाता के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति

एमटीएनएल द्वारा एन्टरप्राइज बिजनेस तथा कोई अन्य अतिरिक्त कार्य, जो उचित हो, कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें उप महाप्रबन्धक (नियमित ई-6 अथवा ऊपर) के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा का अनुभव हो, जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव एमटीएनएल/बीएसएनएल में एन्टरप्राइज बिजनेस/मार्केटिंग फंक्शन में नियमित उप महाप्रबन्धक के रूप में अवश्य हो, से अल्पकालीन अनुबंध आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

मुख्य प्रचालन अधिकारी (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) के रूप में स्वतंत्र प्रभार के कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। योग्यता मापदण्ड, नियुक्ति के नियम सहित सभी विवरण हेतु कंपनी की वेबसाइट **www.mtnl.net.in** देखें।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.02.2020 है।

अंतिम तिथि तथा समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

डीजीएम (पर्सनल) सीओ

ADDENDUM TO EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016 ("EXIT CIRCULAR") FOR THE ATTENTION TO THEREMAINING PUBLIC SHAREHOLDERS (DEFINED BELOW) OF

M/s IVES LEASING AND FINANCE LIMITED

CIN:U65921MP1992PLC007362
Regd. Off.504-Chetak Centre12/2 RNTMargIndore 452001
Tel. 0731-2518604, Email id : ivesleasing1992@rediffmail.com

This Addendum to Follow up Exit Offer Public Announcement ("Addendum to Follow up PA") is being issued by Mr. RamchadraAiren residing at 6/2, New Palasia Opp. Community Hall Indore- 452001and Mr. NarendraDani residing at 46, Janki Nagar, Indore – 452001 ("Offering Promoter"), Promoters of M/s IVES Leasing And Finance Limited ("IVES" or "the company" or "the ELC"),to provide exit opportunity to the Remaining Public Shareholders (defined below) of IVES in terms of the Exit Circular. This Addendum to Follow up PA should be read in conjuction with the Original Public Announcement dated 24th November, 2018, as Published in Financial Express (all edition) ,Jansatta (all edition), Indore Samachar(Madhya Pradesh), Nafa Nuksan (Jaipur) on 26th November, 2018 ["Original PA"]and Follow up Public Announcement dated 23rd May, 2019, as Published in Financial Express (all edition) , Jansatta (all edition), Indore Samachar(Madhya Pradesh), Nafa Nuksan (Jaipur) on 24th May, 2019 ("Follow up PA")

In terms of Original PA, Public Shareholders were given option to continue as shareholders of the IVES and/or Public Shareholders willing to reclassified as Promoter Instead of opting for Exit by providing an undertaking to this effect in the format available at the website of BSE Limited ("BSE") by the closure of business hours on Tuesday, December 11, 2018. Certain Shareholders of IVES have availed the option to continue as shareholders and/or willing to reclassified as Promoter instead of exit, details of Which are as follows:

Category	Number of Shareholders	Number of Equity Shares held	% of paid up share capital
Public Shareholders as on the date of submission of Plan of Action to BSE	Fully Paid up shareholders: 29 Partly Paid up Shareholders: 54 Total Public Shareholders : 83* (*10 shareholders are holding both partly and fully paid up shares)	Fully Paid up shares: 5,25,500 Partly Paid up Shares: 9,42,000 Total Public shares: 14,67,500	17.47 31.32 48.79
Public Shareholders who have opted to continue as Public Shareholders	0	0	0
Public Shareholders who have opted to reclassified as Promoter	Fully Paid up shareholders: 16 Partly Paid up Shareholders: 47	Fully Paid up shares: 1,39,300 Partly Paid up Shares: 8,42,100	4.63 28.00
Remaining Public Shareholders who are eligible for the Exit (Hereinafter referred to as "Remaining Public Shareholders")	Fully Paid up shareholders: 13 Partly Paid up Shareholders: 7	Fully Paid up shares: 3,86,200 Partly Paid up Shares: 99,900	12.84 3.32

Thereafter Offering Promoter in order to provide the exit to the Remaining Public Shareholders at a price of Rs.23.14 (Twenty Three Rupees Fourteen Paisa) to Per Fully Paid up Equity Shareholders and at price of Rs. 12 (Twelve Rupees) to Per Partly Paid up Equity shareholders ["Original Offer Price"] and Remaining Public Shareholders were invited to tender their Equity Shares of Rs. 10 each of IVES in accordance with Follow up PA.

However original offer price has been calculated based upon report of Independent Valuer dated 8th January, 2018 and Follow up PA was of dated 23rd May, 2019. Since a considerable period of time i.e. More than 15 months has been lapsed between original report of Independent Valuer and Follow up PA.

Hence Offering Promoter has requested to seek revaluation from Independent Valuer and therefore, Offering Promoter will provide the exit to the Remaining Public Shareholders at a price of Rs. 27.66 (Twenty Seven Rupees Sixty Six Paisa) to Per Fully Paid up Equity Shareholders and at price of Rs. Rs. 14 (Fourteen Rupees) to Per Partly Paid up Equity shareholders (equivalent to the revised fair value per Equity Share as determined by the Independent Valuer) ["Revised Offer Price"] and Remaining Public Shareholders are being hereby invited to tender their Equity Shares of Rs. 10 each of IVES with the below mentioned information:

Offer Price	Rs. 27.66 for Per Fully Paid up Equity Shares Rs. 14 for Per Partly Paid up Equity shares
Opening of Exit Offer Period	5th February, 2020
Closing of Exit Offer Period	11th February, 2020

The Remaining Public Shareholders are requested to send their Form of acceptance along with other relevant documents [as specifically provided in the Letter of Offer dispatched to the Remaining Public Shareholders separately], clearly marking the Envelope "IVES LEASING AND FINANCE LIMITEDEXIT OFFER" either by Registered Post/ Speed Post/ Courier, at their own risk or by hand delivery to our Appointed Independent Valuer at Navigant Corporate Advisors Limited, 423, A Wing, Bonanza, Sahar Plaza Complex, J. B. Nagar, Andheri – Kurla Road, Andheri (East), Mumbai – 400 059, on or before the closure of business hours on Tuesday, 11th February, 2020 (Closure date).

In accordance with the Exit Circular, Offering Promoter has executed Bank Guarantee in favour of Independent Valuer dated 23.04.2019 & 17.12.2019 with City Union Bank LTD, having its registered office at 149 , TSR (Big) street City Kumbakonam Tamil Nadu 612001.("Bank")amounting to Rs. 1,01,35,468 & 19,50,000 respectively, which is Equal to the 100% of the Total Consideration (Offer Price* Number of Equity Shares held by Remaining Public Shareholders) payable under the Exit Offer.

Upon receipt of Complete documents and checking their genuineness, OfferingPromoter shall acquire the tendered equity shares from the Remaining Public Shareholders at the Revised Offer Price Rs. 27.66 to Fully Paid up Equity Shareholders and at price of Rs. 14 to Partly Paid up Equity shareholders and Payment shall be made within maximum 15 working days of closing of Exit Offer Period.

The Remaining Public Shareholders may note that, those who could not tender their Equity Shares during the Exit Offer Period may do so during the Period between 11th February, 2020 to 10th February 2021, being one year from the closure of Exit Offer Period at the same price of Rs. 27.66 to Fully Paid up Equity Shareholders and at price of Rs. 14 to Partly Paid up Equity shareholders ["Exit Window Period"]. The procedure for tendering the shares during Exit Window Period shall be same except the payment of consideration, which shall be on a monthly basis within maximum 15 working days of the end of the relevant calendar month in which Shares have been validly tendered by the Public Shareholder("Monthly Payment Cycle").

This Revised Follow up PA is expected to be available at the website of BSE at www.bseindia.com

Sd/-
Mr. Ramchandra Airen
Mr. Narendra Dani
Promoters

Date : 30.01.2020
Place : Indore

चुनाव आयोग ने पटनायक का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक का कार्यकाल एक महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में लिखे गए पत्र के बाद चुनाव आयोग ने यह मंजूरी प्रदान की।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को पटनायक के कार्यकाल को फरवरी अंत तक बढ़ाने की अनुमति दी है। एजीएमयूटी कैडर के 1985–बैच के अधिकारी पटनायक शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे। पटनायक को जनवरी 2017 में दिल्ली पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया था। दिल्ली में चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में यहां प्रमुख सरकारी अधिकारियों के सेवा विस्तार या नई नियुक्ति के लिए चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी है।

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

VASTU HOUSING FINANCE

यूनिट 203 एवं 204, द्वितीय तल, ''ए'' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बन्दर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुम्बई 400015, महाराष्ट्र, सीआईएन : U65922MH2005PLC272501

विक्रय सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पास प्रभारित अचल/चल परिसम्पत्तियों की बिक्री। जबकि, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के अधिकृत प्राधिकारी ने नीचे वर्णित के अनुसार वीएचएफसीएल के बकायों तथा ब्याज की वसूली हेतु प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर निम्नलिखित ऋण खाते में ''जैसा है जहां है आधार'' तथा ''जो भी जैसा है आधार'' पर इसे बेचने के अधिकार सहित निम्नलिखित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है और जैसा कि बकायों के पुनर्भुगतान में असफल होने के परिणामस्वरूप कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा वीएचएफसीएल के बकायों की वसूली का प्रस्ताव करता है।

क्र. सं.	कर्जदारों तथा जमानतियों के नाम तथा पते, माँग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/यों का संक्षिप्त विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी	नीलामी की तिथि तथा समय
1	श्री रोहित सिंह (कर्जदार) तथा श्रीमती पूजा पी (सह–कर्जदार) माँग सूचना की तिथि : 13/08/2018 एवं **राशि रु. 14,65,597/– + ब्याज, लागत आदि**	प्रथम तल, प्लॉट नं. 22 एवं 23, खसरा नं. 91, बसन्त वैली विलेज, अकबरपुरा, परगना लोनी, निकट ग्रीन होटल, तहसील एवं जिला गाजियाबाद–201009 पर आवासीय फ्लैट सं. 001	रु. 14,54,640/– रु. 1,24,576/–	05/03/2020 को 11.00 बजे पूर्वा. 3.00 अप.
2	श्री सुनील कुमार (कर्जदार), श्रीमती पूजा देवी (सह–कर्जदार) एवं श्री रविन्दर कुमार (जमानती) माँग सूचना की तिथि 11/01/2019 तथा **राशि रु. 16,60,000/– + ब्याज, लागत आदि**	प्लॉट नं. 152, खसरा नं. 375, ग्राम टीला शाबाजपुर, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102	रु. 20,78,960/– रु. 1,41,100/–	05/03/2020 को 11.00 बजे पूर्वा. 3.00 अप.
3	श्री मोहम्मद सिराजुद्दीन सैफी (कर्जदार), श्रीमती शबाना बेगम (सह–कर्जदार) एवं श्री निजामुद्दीन पीपी (जमानती) माँग सूचना की तिथि 11/06/2019 तथा **राशि रु. 16,20,000/– + ब्याज, लागत आदि**	प्लॉट नं. 108 109 110 120 121 तथा 122, ग्राम समवली, सिकन्दराबाद सब्जी मण्डी, परगना एवं तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर 203202	रु. 19,45,440/– रु. 1,37,700/–	05/03/2020 को 11.00 बजे पूर्वा. 3.00 अप.
4	श्री दलावत महावीर सिंह के (कर्जदार) एवं श्रीमती कंचन राव (सह–कर्जदार) माँग सूचना की तिथि 17/09/2019 तथा **राशि रु. 37,67,101/– + ब्याज, लागत आदि**	सम्पत्ति सं. 153/A2 प्रथम तल, पीछे की ओर, खसरा नं. 26/25/1 गली नं. 1 पालम रोड, ग्राम दादरी, निकट शनि मन्दिर एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110045	रु. 33,65,320/– रु. 3,20,204/–	05/03/2020 को 11.00 बजे पूर्वा. 3.00 अप.

बिक्री के अन्य नियम एवं शर्तें : 1. अलग–अलग प्रस्तावों को ऊपर उल्लिखित के रूप में जमा धरोहर राशि (ईएमडी) हेतु गाजियाबाद में देय वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के साथ देना होगा। आरक्षित मूल्य से कम/ईएमडी के बिना प्रस्तावों को तुरन्त अस्वीकार कर दिया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 2. ईएमडी, पहचान तथा पते के प्रमाण जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास 02.03.2020 को 2.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए। 3. इच्छुक पक्ष उपर्युक्त सम्पत्ति का निरीक्षण 12.02.2020 को 12.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे अप. के बीच कर सकते हैं। 4. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी प्रस्ताव को स्वीकार या निरस्त करने अथवा नीलामी को स्थगित या विलम्बित करने या शर्तों को किसी भी समय परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार है। 5. उपर्युक्त सम्पत्ति या सम्पत्तियाँ **''जहाँ है जैसे तथा जो कुछ भी है यही है आधार''** पर बेची जायेंगी और वीएचएफएल किसी भी विधिक प्राधिकरण, एजेन्सी, स्थानीय निकायों के किसी भी प्रकृति की देयताओं, दायित्वों या प्रभार अथवा लिएन तथा सरकारी या किसी अन्य प्राधिकारण के के अन्य बकायों, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 6. बिक्री उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले क्रेता के पक्ष में सुनिश्चित की जायेगी। कृपया ध्यान दें कि अधिकृत प्राधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी परिस्थिति के आधार पर अपने पूर्ण विशेषाधिकार से इन्टर–से (पारस्परिक) बोली की अनुमति दे सकते हैं। 7. सफल संविदाकार को उचे उच्चतम संविदाकार घोषित करने पर विक्रय मूल्य का 25% तुरन्त जमा करना होगा और शेष 75% राशि नीलामी की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व जमा करनी होगी। किसी भी कारण से भुगतान में असफल होने पर अदा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी। 8. क्रेता/सफल संविदाकार को प्रयोज्य कानून के अनुसार प्रभारों, कन्वीएन्स हेतु देय शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण आदि तथा किसी अन्य प्रभारों का वहन करना होगा। 9. इच्छुक पक्षकार अधिक विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गाजियाबाद हेतु–सम्पर्क व्यक्ति : श्री महेश बंसल, सम्पर्क नम्बर : 8130346555, पता : वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ए–32, नारायण इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110028 से सम्पर्क कर सकते हैं। 10. यह सरफाएशी अधिनियम, 2002 के तहत 30 दिवसीय विधिक सूचना है। कर्जदार/जमानतियों को एतद्वारा अद्यतन ब्याज तथा अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि नीलामी की तिथि से पूर्व अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी तथा बकायों, यदि कोई हो, की वसूली ब्याज तथा लागत के साथ की जायेगी।

तिथि : 30.01.2020
स्थान : गाजियाबाद

अधिकृत प्राधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए ''केन्द्रित''
सी-3, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए लॉकर धारक, बैंक द्वारा दिनांक 09.03.2018, 02.06.2018, 22.06.2018 एवं 30.11.2019 को चेतावनी देने के बाद भी अपने अतिदेय लॉकर किराए का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इन परिस्थितियों में बैंक ऐसे लॉकरों को तोड़ने के लिए विवश है, तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के पश्चात, यदि संबंधित लॉकरधारक लॉकरों के अतिदेय किराए का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो बैंक द्वारा बैंकिंग नियमों एवं विनियमों के अनुसार लॉकर तोड़ने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। तोड़े जाने वाले लॉकरों का विवरण निम्नलिखित है:–

तोड़कर खोले जाने वाले अतिदेय (ओवरड्यू) लॉकरों की सूची

लॉकर खाता सं.	नाम	शुल्क वहन खाता सं.	लॉकर आईडी	बकाया राशि	किराए का भुगतान (रु.	पता
4500784521	श्री साहिब दित्ता नल एवं मोहिन्दर कौर	1011117624	145	8260.00	30.11.2015 तक	182, गांव–खिड़की, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017
4501677111	एसोसिएट्स बिजनेस ग्रुप	1011106441	306	8260.00	31.08.2014 तक	90/62 A, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017
4501124789	श्री संजीव सतीजा एवं शालिनी सतीजा	1011102550	319	9676.00	31.08.2013 तक	L-68, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
4502461281	श्री अशोक अरोड़ा एवं मीना अरोड़ा	1011152818	342	12394.00	01.09.2010 तक	23, नेशनल पार्क, विक्रम होटल के पास, नई दिल्ली -110024
4505716261	श्रीमती राधिका राय एवं ए रॉय	नकद	35D	7434.00	01.04.2015 तक	सी-3, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
4501242680	श्रीमती कमला मलहोत्रा	1011164674	438	10856.00	01.11.2012 तक	जे-3/42 बी, प्रथम तल, खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017
4501321528	श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह एवं सुनीता सिंह	1011168726	500	11092.00	01.09.2012 तक	ई-345, द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश पार्ट–II, नई दिल्ली -110019
4500758422	श्रीमती श्यामा नंद तरफदार	1011128499	70	7080.00	30.06.2015 तक	स.-25 एस ब्लॉक–एच, साकेत, नई दिल्ली-110017
4502275863	श्री शार्दुल सिंह	1011131875	93	6962.00	31.07.2015 तक	17-डी, शेख सराय-I, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017
4502041787	श्रीमती बलवीर कौर, सतपाल सिंह एवं हरपाल सिंह	1011116541	96	7670.00	31.01.2015 तक	जी-3/10, मालवीय नगर नई दिल्ली–110017

स्थान : मालवीय नगर, नई दिल्ली
दिनांक : 30 जनवरी, 2020

प्राधिकृत अधिकारी

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
रिकवरी क्लस्टर मेरठ

[नियम 8(6) परन्तुक देखें]
अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्यामूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित), कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी, **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,** नीचे उल्लिखित ऋणी ऋणी(ओं)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **07.03.2020** को बेचा जाएगा।

Sl. No.	ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता के नाम व पता	बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण (स्वामी का नाम)	कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	रिजर्व मूल्य	ईएमडी जमा मूल्य (ईएमडी) राशि	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ईएमडी प्रेषण खाते का विवरण जिसमें RTGS/ NEFT & IFSC code जमा होगा	निरीक्षण की तिथि व समय	नीलामी की तिथि व समय	बोली वृद्धि राशि	शाखा/प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी का नाम व संपर्क नं0	ज्ञात प्रभार
1.	**मैसर्स यमन टेनर्स** (प्रतिनिधित्व प्रो. श्री गौहर पुत्र श्री ग्यासुद्दीन) **(ऋणी)** पता 1: मकान नं0 61, इस्माइल नगर, गुदड़ी बाजार, मेरठ (उ0प्र0) पता 2: ग्राम बदरुद्दीन नानू, सरधना रोड, मेरठ (उ0प्र0) **श्री गौहर** पुत्र श्री ग्यासुद्दीन **(ऋणी/बंधककर्ता)** पता: मकान नं0 61, इस्माइल नगर, गुदड़ी बाजार, मेरठ (उ0प्र0), **श्री मौहम्मद आदिल** पुत्र श्री ग्यासुद्दीन **(गारन्टर)** पता: मकान नं0 61, इस्माइल नगर, गुदड़ी बाजार, मेरठ (उ0प्र0), **श्री मौहम्मद जमशेद** पुत्र मौहम्मद सदीक **(बंधककर्ता + गारन्टर),** पता: मकान नं0 65/34, आबाद रोड, मेरठ (उ0प्र0)	रू0 17844076.18 एवं ब्याज दिनांक 01.09.2018 से एवं लागत व अन्य खर्चे	**बंधक सम्पत्ति पता- 2 व 3:** बंधक एक वाणिज्यिक भूमि, माप क्षेत्रफल 0.2393 हेक्टेयर खसरा नं0 1745, 1746/1747/1, 1742/2 एवं 1748, नया खसरा नं0 1128, मौजा बदरुद्दीन नगर नानू, तहसील सरधना जिला मेरठ, सम्पत्ति स्वामित्व गौहर मोइन्नुद्दीन एवं मौहम्मद आदिल पुत्रगण स्व0 श्री ग्यासुद्दीन, निवासी 22, इस्माइल नगर, मेरठ	भौतिक	रू0 10700000/-	रू0 1070000/-	04.03.2020 सायं 5.00 बजे तक	52271181000018 E Auction Deposit Account IFSC: ORBC0105227	04.03.2020 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक	07.03.2020 प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे	रू0 30,000/–	श्री माणिक बनर्जी फोन नं0: 0121–4011929 मो0 नं0 9412704411	जानकारी में नहीं
			बंधक सम्पत्ति पता- 2 व 3: बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड भूमि माप क्षेत्रफल 1735 वर्ग मीटर, खसरा नं0 1745 स्थित ग्राम बदरुद्दीन नगर नानू, तहसील सरधना जिला मेरठ। सीमायें :-पूर्व: श्रीमती रेखा शर्मा की भूमि का खसरा नं0 1745 का भाग, पश्चिम: नाला, उत्तर: ग्राम सभा की भूमि, दक्षिण: खसरा नं0 1746, 1748, 1747/1 एवं 1747/2 की भूमि का भाग। कुल कवर्ड क्षेत्रफल 321.70 वर्ग मीटर का भाग, सम्पत्ति स्वामित्व गौहर मोइन्नुद्दीन एवं मौहम्मद आदिल पुत्रगण स्व0 श्री ग्यासुद्दीन, निवासी 22, इस्माइल नगर, मेरठ										
2.	मैसर्स हीना सेफ इंडस्ट्रीज (ऋणी), पता: 397, अर्जुन मार्केट, हापुड़ रोड, मेरठ शहर (उ0प्र0) श्री सलामुद्दीन पुत्र मौहम्मद जान (प्रोपराइटर एवं बंधककर्ता), पता: 109, पीपली खेड़ा, हापुड़ रोड, मेरठ शहर (उ0प्र0) श्री सलामुद्दीन पुत्र मौहम्मद जान (प्रोपराइटर एवं बंधककर्ता), पता: 397, जामा नगर, हापुड़ रोड, मेरठ शहर (उ0प्र0)	रू0 44,71,625/- एवं ब्याज दिनांक 01.10.2013 से एवं लागत व अन्य खर्चे	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड भूमि व भवन स्थित खसरा नं0 397ए एवं 397बी का भाग, जमना नगर, हापुड़ रोड, मेरठ, शहर, माप 169 वर्ग मीटर अर्थात 202 वर्ग गज, सम्पत्ति स्वामी श्री सलामुद्दीन पुत्र मौहम्मद जान। सीमायें:-पूर्व: 14' तदोपरान्त रास्ता 14' चौड़ा, पश्चिम: 46'4'' तदोपरान्त विद्या राम का प्लॉट, उत्तर: 60', तदोपरान्त सित्तो का प्लॉट, दक्षिण: 60'7'' सतेन्द्र राना का प्लॉट	सांकेतिक	रू0 23,40,000/-	रू0 2,34,000/-	04.03.2020 सायं 5.00 बजे तक	52271181000018 E Auction Deposit Account IFSC: ORBC0105227	04.03.2020 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक	07.03.2020 प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे	रू0 30,000/–	श्री माणिक बनर्जी फोन नं0: 0121–4011929 मो0 नं0 9412704411	जानकारी में नहीं
3.	मैसर्स सुधा इंडस्ट्रीज (ऋणी), पता: बी-308, मेजर ध्यान चंद नगर, दिल्ली रोड, मेरठ शहर (उ0प्र0) श्रीमति सुधा देवी पत्नी जगदीश चंद माथुर (प्रोपराइटर एवं बंधककर्ता), पता: बी-308, मेजर ध्यान चंद नगर, दिल्ली रोड, मेरठ शहर (उ0प्र0)	रू0 26,82,721/- एवं ब्याज दिनांक 01.08.2013 से एवं लागत व अन्य खर्चे	फैक्ट्री भूमि व भवन, स्थित बी-308, मेजर ध्यानचन्द नगर, दिल्ली रोड, मेरठ शहर, माप 50 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती सुधा देवी। सीमायें:- पूर्व: -10 मीटर तदोपरान्त प्लॉट नं. बी-307, पश्चिम :10 मीटर तदोपरान्त प्लॉट नं. बी-309, उत्तर : 5 मीटर तदोपरान्त रास्ता 6 मीटर चौड़ा, दक्षिण: 5 मीटर तदोपरान्त प्लॉट नं. बी-315	भौतिक	रू0 14,63,000/-	रू0 1,46,300/-	04.03.2020 सायं 5.00 बजे तक	52271181000018 E Auction Deposit Account IFSC: ORBC0105227	04.03.2020 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक	07.03.2020 प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे	रू0 30,000/–	श्री माणिक बनर्जी फोन नं0: 0121–4011929 मो0 नं0 9412704411	जानकारी में नहीं
4.	मैसर्स एस.जे.एम. प्लॉस्टिक (ऋणी), पता: बी-309, मेजरध्यान चंद नगर, दिल्ली रोड, मेरठ शहर (उ0प्र0) श्री संजय कुमार पुत्र जगदीश चंद माथुर (प्रोपराइटर एवं बंधककर्ता), पता 1: बी-309, मेजर ध्यान चंद नगर, दिल्ली रोड, मेरठ शहर (उ0प्र0), पता 2: निवासी: 1364/2, सेक्टर-1, माधवपुरम दिल्ली रोड, मेरठ शहर (उ0प्र0)	रू0 16,53,178/- एवं ब्याज दिनांक 01.06.2013 से एवं लागत व अन्य खर्चे	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड प्लाट नं. बी-309, एसजी-1, (वाणिज्यिक), स्थित मेजर ध्यानचंद नगर (स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स स्कीम) मेरठ, माप 50 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री संजय कुमार पुत्र जगदीश चंद माथुर, सीमायें: पूर्व: प्लॉट नं. बी-308, पश्चिम: प्लॉट नं. बी-310, उत्तर: 6 मीटर चौड़ी रोड, दक्षिण: प्लाट नं. बी-314	भौतिक	रू0 14,63,000/-	रू0 1,46,300/-	04.03.2020 सायं 5.00 बजे तक	52271181000018 E Auction Deposit Account IFSC: ORBC0105227	04.03.2020 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक	07.03.2020 प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे	रू0 30,000/–	श्री माणिक बनर्जी फोन नं0: 0121–4011929 मो0 नं0 9412704411	जानकारी में नहीं
5.	श्री मौहम्मद शाहिद पुत्र मौहम्मद खान **(ऋणी एवं बंधककर्ता),** पता 1: मकान नं0 197 सी, घंटे वाली गली, फिरोज नगर, मेरठ 250002 श्री सलाउद्दीन पुत्र सैदुद्दीन **(गारन्टर),** पता 1: मकान नं0 126, फिरोज नगर, लिसाड़ी रोड, मेरठ श्री शाहिद पुत्र आस मौहम्मद **(गारन्टर)** पता 1: मकान नं0 817, चुंगी वाली गली, रशीद नगर, मेरठ	रू0 1153301/- एवं ब्याज दिनांक 01.06.2018 से एवं लागत व अन्य खर्चे	बंधक आवासीय मकान म्यूनिसिपल नं0 25, माप क्षेत्रफल 70 वर्ग गज यानि 58.52, खसरा नं0 2159, स्थित फ्रैंड कॉलोनी मेरठ सिटी -250002, सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद शाहिद पुत्र महमूद, निवासी: 197-सी, घंटे वाली गली, फिरोज नगर, मेरठ। सीमायें:-पूर्व: 21 फीट शकील का प्लॉट, पश्चिम: 21 फीट रास्ता 15 फीट चौड़ा, उत्तर: 30 फीट अन्य का प्लॉट, दक्षिण: 30 फीट अन्य व्यक्ति का प्लॉट	भौतिक	रू0 12,20,000/-	रू0 1,22,000/-	04.03.2020 सायं 5.00 बजे तक	52271181000018 E Auction Deposit Account IFSC: ORBC0105227	04.03.2020 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक	07.03.2020 प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे	रू0 30,000/–	श्री माणिक बनर्जी फोन नं0: 0121–4011929 मो0 नं0 9412704411	जानकारी में नहीं

ऑनलाईन ई–नीलामी विक्रय के नियम व शर्तें :– 1. सम्पत्ति का विक्रय **"जहाँ है जैसा है" तथा "जैसे है जो है के आधार पर एवं बिना किसी आश्रय के आधार के"** किया जा रहा है। **2.** ई-नीलामी के नोटिस में वर्णित सम्पत्ति के विवरण (जैसे कि -विस्तार व माप आदि) का उल्लेख, बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार किया गया है तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण या गलती के लिए बैंक जवाबदेह नहीं होगा। वास्तविक माप व परिणाम में भिन्नता हो सकती है। **3.** बैंक द्वारा जारी ई-नीलामी का नोटिस, समान्य जनों की अपनी बोली लगाने के लिए एक निमंत्रण है तथा यह किसी भी प्रकार की संस्थापना नहीं करता है और न ही बैंक की ओर से किसी प्रकार की प्रतिबद्धता अथवा किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन की संस्थापना करता हुआ माना जाएगा। इच्छुक बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा कराने से पूर्व बैंक के पास रखी टाइटल डीड की प्रतियों को ध्यान से पढ़ लें तथा सम्पत्ति/आस्तियों के टाइटल की वर्तमान स्थिति एवं दावों/देयों के बारे में अपनी ओर से स्वतंत्र जांच/ड्यू डिलीजेंस करा लें। **4.** नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाइन इलैक्ट्रोनिक मोड" वेबसाइट **https://auctions.magicbricks.com** तथा **मैसर्स मैजिकब्रिक्स रियल्टी सर्विसेज लिमिटेड** के माध्यम से की जाएगी। **5.** बोलीदाता अपनी पसंद की जगह से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं, इच्छुक बोलीदाता के पास अपना इन्टरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क के समस्या, सिस्टम के कार्य न करने, पॉवर न आने जैसी समस्याओं के बैंक/सेवा प्रदाता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। **6.** विस्तृत जानकारी, सहायता, विधि तथा ई-ऑक्शन पर पर ऑनलाइन बिडिंग हेतु इच्छुक बोलीदाता, वा सर्विस प्रदाता **मैसर्स मैजिकब्रिक्स रियल्टी सर्विसेज लिमिटेड**, ऑक्शन हेल्प लाइन नं0: 9212346000, मो0 नं0: 9837778407, संपर्क व्यक्ति-मोहित शर्मा, ई-मेल आइडी: ऑक्शन हेल्प लाइन ईमेल आइडी-वेबसाइट **auction@magicbricks.com, mohit.sharma5@magicbricks.com** पर जाकर सम्पर्क करें। **7.** ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता, पहले से ही सेवा प्रदाता **M/S Magicbricks.com** के यहाँ अपना विवरण पंजीकृत कर लें तथा यूजर-आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर लें। इच्छुक बोलीदाता को, सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होते ही उसे तुरंत बदल लेना होगा। **8.** ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाताओं को वापसी योग्य ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10%) का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण आदि के माध्यम से **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, लोकप्रिय सम्राट पैलेस शाखा** खाता संख्या **52271181000018,** आईएफएससी कोड- **ORBC0105227** में जमा कराना होगा अथवा प्राधिकृत अधिकारी, **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, लोकप्रिय सम्राट पैलेस शाखा** के पक्ष में मेरठ देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा भुगतान किया जा सकता है **9.** इच्छुक बोलीदाता की बिड फार्म (फार्मेट उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है) को भरकर, ईएमडी राशि के डीडी/पे ऑर्डर सहित अथवा UTR No. of NEFT/RTGS remittance का उल्लेख करते हुए प्राधिकृत अधिकारी, **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आरआरएल क्लस्टर, 495/1, आरपीजी टॉवर, मंगल पांडे नगर, मेरठ** के पते पर मुहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जो कि अधिक से अधिक दिनांक **04.03.2020** को सायं 05:00 बजे तक उक्त पते पर प्राप्त हो जाये। मुहरबंद लिफाफे पर ई-ऑक्शन बिक्री में भाग लेने के लिए बोली **"ऊपर उल्लेखित खाता जो भी हो"** लिखा जाना चाहिए। **10.** ईएमडी के साथ बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरान्त, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उन्हें प्राप्त बोलियों की जांच करने और योग्य बोली लगाने वाले योग्य बोलीदाताओं के विवरण (जिन्होंने अपनी बोली को आरक्षित मूल्य से अधिक रखा है एवं निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान बैंक के साथ कर दिया है) की पुष्टि, सेवा प्रदाता **M/S Magicbricks.com** को करनी होगी ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को जो ऑनलाईन बोली-प्रक्रिया की समस्त कार्यवाही और ई-नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लेख की तारीख व समय में भाग लेने के लिए सीमित है, अनुमति देने के लिए सक्षम हो सकें। **11.** पात्र बोलीदाताओं के मध्य, उनके द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से प्रारंभ करते हुए बोली प्रक्रिया प्रारंभ होगी। निबन्ध बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली के लिए 5 मिनट का असीमित विस्तार रखा जाएगा, अर्थात प्रत्येक समय ई-ऑक्शन का अंतिम समय स्वमेव 5 मिनट के लिए विस्तारित हो जाएगा यदि अंतिम विस्तार से 5 मिनट के अंदर बोली लगाई जाती है। **12.** एक बार बनाया बोलियां रद्द होने पर दोबारा नहीं की जाएगी, बोली लगाने के लिए यूजरआईडी से लगी सभी बोलियां उसके द्वारा अकेला ही लगाई गई मानी जाएगी। **13.** ई-नीलामी की कार्यवाही बंद होने के तुरन्त बाद, सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता, उसके द्वारा लगाई गई बोली की अंतिम राशि की पुष्टि फैक्स द्वारा **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, लोकप्रिय सम्राट पैलेस शाखा** तथा सेवा प्रदाता दोनों को करेगा, जो कि ई-ऑक्शन बिक्री प्रक्रिया में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित करेंगे। **14.** सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री के दिन ही, बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) जमा किया जाएगा ताकि प्रक्रिया की उसके पक्ष में किया जा सके तथा शेष बिड राशि को बिक्री की तिथि से 15 दिनों के अंदर आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण आदि के माध्यम से **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, लोकप्रिय सम्राट पैलेस शाखा** खाता संख्या **52271181000018,** आईएफएससी कोड- **ORBC0105227** में जमा कराना होगा अथवा प्राधिकृत अधिकारी, **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, लोकप्रिय सम्राट पैलेस शाखा में** देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा मेरठ में भुगतान करना होगा। **15.** निर्धारित राशि के भुगतान में सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर कोई चूक किये जाने की स्थिति में बिक्री निरस्त कर दी जाएगी तथा पहले ही भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी एवं सम्पत्ति को पुनः बिक्री के लिए रखा जाएगा। **16.** सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक में बोली राशि की शेष राशि जमा करने के लिए लिखित में आगे समय दे सकता है। **17.** बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले म्युनिसिपल/पंचायत/टैक्स/विद्युत देय राशि (यदि हो तो) का भुगतान सफल बोलीकर्ता द्वारा किया जाना है। बोलियां सम्पत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया राशि को ध्यान में रखकर की जाएगी। **18.** बिक्री प्रमाण पत्र केवल पूरे खरीद मूल्य/बोली राशि के जमा और सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर सफल बोली लगाने के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। **19.** वाहन, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और अन्य प्रासंगिक शुल्क के लिए लागू कानूनी कार्यवाही की पूरी जिम्मेदारी सफल बोलीकर्ता पर होगी। **20.** प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये, ई-ऑक्शन बिक्री कार्यवाही को स्थगित/निरस्त कर सकता है। **21.** प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा बाध्यकारी होगा। **22.** ऐसा माना जाएगा कि बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं ने ई-ऑक्शन बिक्री संबंधी सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है तथा वे इन्हें मानने के लिए बाध्य हैं। महत्वपूर्ण निर्देश:– बोली लगाने वाले अपने भले के लिये अंतिम मिनटों और सैकेंडों में बोली ना लगाये। न ही **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** नहीं सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी, बिजली की विफलता, इंटरनेट विफलता आदि के लिये जिम्मेदार होगा इस प्रकार की अपरिहार्य स्थितियों को रोकने के लिये बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि ऐसे बैकअप बिजली की आपूर्ति आदि के रूप में सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प पहले से ही तैयार रखें।

सरफेसी एक्ट 2002 नियम 8(6) नियम 9 (1) के अन्तर्गत 30 दिन का वैधानिक बिक्री सूचना अनुवर्ती बिक्री के लिए

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002, के नियम 8(6) नियम 9 (1) ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चो सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चो सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक: 28.01.2020 स्थान – मेरठ

प्राधिकृत अधिकारी, आरआर क्लस्टर, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

www.readwhere.com

जनसत्ता

31 जनवरी, 2020

मतभेद का हासिल

पिछले कुछ दिनों से जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के भीतर जो चल रहा था, उसका ताजा अंजाम स्वाभाविक ही है। पार्टी के दो महत्त्वपूर्ण नेता प्रशांत किशोर और पवन वर्मा ने कुछ समय पहले संसद में पारित नागरिकता संशोधन कानून पर अपने जो रुख जाहिर किए थे, वे नीतीश कुमार को असहज करने के लिए काफी थे। हालांकि शुरुआती तौर पर यह उम्मीद की जा रही थी कि शायद पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में मिल-बैठ कर इस मसले पर चर्चा से कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तल्खी का पैमाना बढ़ता गया और आखिरकार जदयू ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से निकालने की घोषणा कर दी। यों निकाले गए दोनों नेता भले पार्टी में ऊंची हैसियत रखते थे, लेकिन चूंकि उनका कोई बड़ा जनाधार नहीं था, इसलिए संभव है कि जदयू को उनका साथ छूटने का कोई खास गम न हो। मगर सच यह है कि प्रशांत किशोर और पवन वर्मा ने पिछले कुछ सालों के दौरान पार्टी को जैसा रणनीतिक और बौद्धिक आधार दिया था, उसकी वजह से उन्हें पार्टी के लिए काफी महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा था। इस लिहाज से पार्टी से उनका निष्कासन अप्रत्याशित है।

हालांकि दोनों नेताओं के खिलाफ पार्टी की कार्रवाई के जो प्रत्यक्ष कारण दिखते हैं, उससे यही जाहिर होता है कि नीतीश कुमार और इन दोनों नेताओं के बीच मतभेद मुद्दा आधारित था। इसकी शुरुआत केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से लाए गए नागरिकता संशोधन कानून पर बिहार सरकार और जदयू का रुख सामने आने के बाद हुई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएए का समर्थन किया और उनकी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर तैयार कराने की घोषणा कर दी। दूसरी ओर, प्रशांत किशोर और पवन वर्मा ने साफ लहजे में सीएए और एनपीआर पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और अपनी पार्टी के रुख को गलत कहा। इसके बाद मतभेद तल्खी मेंबदल गया। नीतीश कुमार ने एक समय प्रशांत किशोर को जदयू का भविष्य बताया था और माना जा रहा था कि उन्हें आगे पार्टी का नेतृत्व सौंपा जा सकता है। मगर उनके साथ बढ़ती तल्खी के बीच दो दिन पहले नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किया था; जिसे पार्टी में रहना है, रहे, जिसको जाना है, वह जाए। इसके बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तभी यह लगभग तय हो गया था कि इन नेताओं का साथ रहना अब मुमकिन नहीं है।

सवाल है कि क्या सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर अपने विचारों की भिन्नता को पार्टी के भीतर जगह नहीं थी या फिर यह महत्त्वाकांक्षाओं के टकराव का हासिल है? जदयू की समस्या यह है कि राज्य में मुख्य विपक्षी दल राजद ने सीएए, एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे पर व्यापक आंदोलन छेड़ा हुआ है और जदयू से निकाले गए ये दोनों नेता इसी मसले पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ सामने आए। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभरे थे और जदयू में शामिल होकर उन्होंने मुख्यधारा की राजनीति में अपने पांव रखे थे। इसी तरह पवन वर्मा भारतीय विदेश सेवा से इस्तीफा देकर जदयू में आए और पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बने। अब दोनों नेताओं को पार्टी से निकाले जाने का क्या असर पड़ता है, यह देखने की बात होगी। खासकर तब, जब इसी साल बिहार विधानससभा के चुनाव भी होने हैं।

हिंसा का प्रदर्शन

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध और समर्थन का सिलसिला इस मुकाम तक पहुंच जाएगा कि विरोध रोकने के लिए समर्थन कर रहे लोग हथियार लेकर सड़क पर उतर आएंगे, शायद यह किसी ने सोचा भी न होगा। एक दिन पहले शाहीनबाग में चल रहे धरने के बीच एक हथियारबंद व्यक्ति घुस आया था और उसने धरने पर बैठे लोगों को धमकी दी। प्रदर्शनकारियों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। इसके अगले दिन यानी वृहस्पतिवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया से राजघाट तक शांतिपूर्वक पदयात्रा निकालने की तैयारी चल रही थी। उसी वक्त एक युवक पिस्तौल लहराते हुए आया और गोली चला दी। गनीमत है, गोली एक युवक की बांह में लगी और वह जख्मी भर हुआ। जिस वक्त यह घटना घटी, वहां सैकड़ों पुलिस कर्मी तैनात थे। गोली चलाने वाले युवक ने वहां पहुंच कर वारदात को अंजाम देने का एलान फेसबुक पर पहले ही कर दिया था। यही नहीं, घटना स्थल पर पहुंच कर उसने अपने को लाइव यानी सीधा प्रसारित भी करना शुरू कर दिया था। वह 'शाहीनबाग, खेल खत्म' जैसे नारे लिख और बोल रहा था। वह जान पर खेल कर वहां पहुंचा था, इसलिए उसने अपने बाद अपने परिवार की हिफाजत की गुहार भी लगाई थी। मगर हैरानी की बात है कि हर वक्त मुस्तैदी का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस वहां हाथ पर हाथ धरे खड़ी तमाशा देख रही थी।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में करीब दो महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। शाहीनबाग में महिलाओं का प्रदर्शन देश और दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींच रहा है। बहुत सारे लोग उनके समर्थन में रोज जमा हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उससे नाराज भी हैं। जाहिर है, पुलिस को वहां किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की आशंका होनी चाहिए और वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम की उससे अपेक्षा है। मगर एक व्यक्ति का पिस्तौल लेकर उस प्रदर्शन में घुस जाना और धमकाना पुलिस की तैयारियों पर सवाल खड़े करता है। इसी तरह राजघाट तक जाने वाली जिस पदयात्रा की तैयारी चल रही थी, उसके लिए पुलिस को पहले ही सूचित किया जा चुका था। पिछले कुछ दिनों से देश भर में ऐसे प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए दिल्ली पुलिस को यहां किसी अप्रिय घटना की आशंका कैसे नहीं रही होगी! फिर कैसे कोई सिरफिरा फेसबुक पर सीधा प्रसारण करते हुए प्रदर्शनकारियों के बीच आकर गोली चला गया और पुलिस चुपचाप खड़ी देखती रही।

इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पहले जामिया में प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में घुस कर छात्र-छात्राओं पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाने को लेकर उसकी जवाबदेही रेखांकित हुई थी। उसके बाद जब जेएनयू में कुछ अज्ञात हमलावरों ने घुस कर घंटों मार-पीट की और पुलिस गेट पर खड़ी रही, उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, तब भी उसकी नीयत पर अंगुलियां उठी थीं। अब जामिया के पास रैली की तैयारी कर रहे लोगों पर गोली चलने की घटना ने उसकी साख को चोट पहुंचाई है। छिपा नहीं है कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों को धमकाने और उन पर हिंसक हमले करने वाले कौन हैं। किसी सरकारी फैसले का शांतिपूर्ण और तार्किक विरोध हर नागरिक का अधिकार है, उसे हिंसक तरीके से रोकने का प्रयास किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हालांकि ताजा घटना में पुलिस ने हमलावर युवक को हिरासत में ले लिया गया है, पर इसके लिए पुलिस अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती।

कल्पमेधा

उचित अवसर के अभाव में योग्यता का मूल्य बहुत कम रह जाता है।
– नेपोलियन

महामारियों की संक्रामक छलांग

संजय वर्मा

जिस तरह से कोई नया वायरस या किसी पुराने संक्रमण का नया रूप अचानक नए संकट के रूप में सामने आ खड़ा होता है, वह हमारे खानपान, रहन-सहन, दवाओं और टीकों की उपलब्धता के अलावा किसी साजिश के संकेत भी देता है। फिलहाल चीन से आए कोरोना वायरस की ही मिसाल लें, तो इसमें लापरवाहियों के अलावा नए प्रयोगों के नाम पर खानपान की बेतुकी शैलियों और चिकित्सा तंत्र में व्याप्त किसी गहरे षड्यंत्र का आभास होता है।

अगर मेडिकल साइंस की बेशुमार तरक्की के बाद भी हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने से कोई नया विषाणु हमारे लिए नई चुनौती बन जाता है, तो कहना होगा कि बैक्टीरिया इंसान से भी ज्यादा चालाक है। मध्य चीन के एक करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर वुहान से उभरे कोरोना वायरस के सामने चिकित्सा विज्ञान की आम तैयारियों के चौपट हो जाने का यही मतलब निकलता है। कह सकते हैं कि जिस तरह इंसान ने पृथ्वी पर हर परिस्थिति और वातावरण में ढलना सीख लिया, उसी प्रकार वायरसों ने एंटीबायोटिक्स से समायोजन करना और एक जीव प्रजाति से दूसरी प्रजाति में छलांग लगाना सीख लिया है। कुछ मामलों में तो बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले एंजाइम तक बनाने सीख लिए हैं। मगर इसका एक और सच यह है कि महामारी तक बन जाने वाली ऐसी भीषण बीमारियों के प्रसार की रोकथाम न कर पाना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। यह वक्त ही बताएगा कि दुनिया कोरोना वायरस के पनपने और अचानक विस्फोट करने की इस घटना से कोई सबक लेगी और समस्या का कोई मुकम्मल इलाज खोजेगी या फिर हमेशा की तरह एक वायरस के मंद या खामोश पड़ जाने के बाद कुछ दूसरे नए और पहले से ज्यादा संहारक वायरसों के लिए जमीनें तैयार करती रहेगी।

शुक्र है कि सार्स जैसे लक्षणों वाली कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी का जनक देश न तो भारत रहा और न ही भारतीयों की बड़ी तादाद इससे प्रभावित हुई। हालांकि पड़ोसी मुल्क चीन में इसके फैलने के बाद ग्लोबल आवाजाही और चीन के मेडिकल कॉलेजों में भारतीय छात्रों की उपस्थिति से हमारी चिंता स्वाभाविक है। इससे थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताईवान, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और विएतनाम आदि देश भी चिंतित हैं। सभी देशों की चिंता यह है कि उनके कुछ नागरिकों के इस वायरस की चपेट में आ जाने के बाद कहीं ऐसे हालात उनके यहां तो नहीं बन जाएंगे कि हवाई, ट्रेन, बस यातायात रोकना पड़े, शहर खाली कराने पड़ें और रातोरात विशालकाय अस्तपाल बनाने की वैसी ही नौबत आ जाए, जैसी फिलहाल चीन के वुहान शहर में आ गई है।

बीते एक-दो दशक में सार्स, मैड काऊ, इबोला, जीका, बर्ड फ्लू से लेकर स्वाइन फ्लू तक दर्जनों वायरसजनित बीमारियां विश्व पटल पर अपना असर दिखा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में यही उम्मीद की जाती रही है कि चिकित्सा तंत्र इन संक्रामक रोगों की रोकथाम में इतना समर्थ हो गया होगा कि इनका कोई तात्कालिक उभार किसी शहर या देश में अचानक पैदा होने वाले आपात हालात पैदा नहीं कर सकेगा। मगर जिस तरह से कोई नया वायरस या किसी पुराने संक्रमण का नया रूप अचानक नए संकट के रूप में सामने आ खड़ा होता है, वह हमारे खानपान, रहन-सहन, दवाओं और टीकों की उपलब्धता के अलावा किसी साजिश के संकेत भी देता है। फिलहाल चीन से आए कोरोना वायरस की ही मिसाल लें, तो इसमें लापरवाहियों के अलावा नए प्रयोगों के नाम पर खानपान की बेतुकी शैलियों और चिकित्सा तंत्र में व्याप्त किसी गहरे षड्यंत्र का आभास होता है।

एक दावा है कि महीने भर के अंदर करीब तेरह सौ लोगों को संक्रमित कर चुके कोरोना नामक वायरल न्यूमोनिया वुहान के एक फूड मार्केट से निकला है, जहां सांपों और चमगादड़ों के मांस से तैयार होने वाली डिश ने कुछ लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। खोजबीन से सामने आया तथ्य यह है कि कोरोना वायरस इबोला की तरह चमगादड़ों से ही आया है, लेकिन फर्क यह है कि इसने अपना मौजूदा घातक रूप किसी सांप को संक्रमित करने के बाद धरा है। एक संदेह इस बारे में चीन के खुफिया जैविक हथियारों की फैक्ट्री को लेकर भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वुहान शहर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में खतरनाक वायरसों पर काम होता है। संभव है कि वहीं से यह वायरस आया होगा। चूंकि चीन एक बंद समाज है, इसलिए इसकी असली वजह का शायद ही कभी खुलासा हो, लेकिन यह तय है कि जिस तरह से एक जीव प्रजाति के संक्रमण दूसरी जीव प्रजाति यानी इंसानों में छलांग लगा रहे हैं, उससे हालात वास्तव में विकट हो चले हैं।

कोरोना से पहले बर्ड, स्वाइन फ्लू और इबोला जैसे वायरसों से जुड़ी यह समस्या सामने आ चुकी है कि इन बीमारियों के वायरस म्यूटेशन (यानी उत्परिवर्तन) का रुख अपनाने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि मौका पड़ने पर वायरस अपना स्वरूप बदल लेते हैं, जिससे उनके प्रतिरोध के लिए बनी दवाइयां और टीके कारगर नहीं रह पाते हैं। पर एक आशंका यह भी है कि कहीं चिकित्सा का वह बाजार ही तो नए वायरसों की पैदावार के पीछे नहीं खड़ा है, जो हरदम ऐसी बीमारियों के दोहन के लिए तैयार रहता है। यह तथ्य अब छिपा नहीं है कि दुनिया में कोई नई बीमारी सामने आती है, तो उसका टीका और दवा बना कर बाजार में लाने पर दवा कंपनियां सैकड़ों-हजारों गुना मुनाफा कमा सकती हैं। इसलिए इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे कहीं बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का ही हाथ हो।

पहले ऐसे कई आरोप लग चुके हैं कि तमाम संक्रामक बीमारियों को लेकर देश-दुनिया में जो हंगामा खड़ा किया जाता है, उनका असली उद्देश्य अरबों-खरबों की फालतू दवाएं गरीब और विकासशील देशों को बेचना होता है। चिकित्सा का यह तंत्र कहीं ज्यादा खतरनाक इंसेफलाइटिस जैसी बीमारियों का सटीक और सस्ता उपचार नहीं खोजता है, जिससे हमारे देश के यूपी-बिहार जैसे राज्यों में हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत होती है, लेकिन फ्लू, न्यूमोनिया जैसी संक्रामक और नई बीमारियों को महामारी बताकर एक झटके में अरबों-खरबों डॉलर खींच लेने के इंतजाम कर लेता है। करीब एक दशक पहले हमारे देश में बर्ड फ्लू का खौफ पैदा करके स्विटजरलैंड की दवा कंपनी- रोश से इसकी पेंटेंडेट दवा- टैमीफ्लू के दस लाख कैप्सूल की सरकारी खरीद करवा ली गई थी, लेकिन शायद ही उस दवा का कोई इस्तेमाल हुआ।

वायरसों के रूप बदल लेने और उत्परिवर्तन की क्षमता हासिल कर लेने की हालिया घटनाओं को देखते हुए यह आशंका बेबुनियाद नहीं लगती कि कोरोना को महामारी बनाने के पीछे उद्देश्य बीमारी रोकने से ज्यादा बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनियों की बेहिसाब कमाई के रास्ते खोलना हो।

हालांकि इन आशंकाओं के बावजूद किसी भी नए संक्रामक रोग से निपटने के इंतजामों में ढील देने का कोई संदर्भ नहीं बनता है। हवाई यातायात के कारण चूंकि श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों के फैलने की गति बढ़ गई है, इसलिए हर किस्म की सावधानियां बरतने की जरूरत अनिवार्य ही है। यह न भूलें कि हवाई यातायात के कारण संक्रामक रोगों को किसी एक देश की हद तक सीमित रखना काफी मुश्किल हो गया है। एक देश में संक्रमण फैलने के बाद इसकी भरपूर आशंका रहती है कि इसके वायरस आठ-दस घंटे में ही दूसरे देश में पहुंच जाएं। इसलिए हवाई अड्डों पर ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और वायरस से ग्रस्त लोगों को अलग कर उनके अविलंब इलाज की व्यवस्था करना निहायत जरूरी है। पर देखना यह भी होगा कि आखिर हमारा अत्याधुनिक स्वास्थ्य तंत्र ऐसे रोगों को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है। सवाल यह भी है कि हर नई बीमारी के प्रसार के मौके पर पूरी दुनिया, खासकर गरीब और विकासशील हांफने क्यों लगते हैं और ज्यादातर बीमारियां यहीं क्यों पैदा हो रही हैं। जिस दिन हमें इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कह सकते हैं कि हम तभी खुद को कोरोना जैसे वायरसों से लड़ने और उनसे हमेशा के लिए निजात पाने का कोई जरिया पा सकेंगे।

सलीके की जुबान

मोनिका अग्रवाल

दुनिया मेरे आगे

मर्यादित और संयमित भाषा बोलना भी एक कला है। यह कला मानव जीवन में अहम और माननीय व्यवहार का एक प्रभावी यंत्र है। लेकिन यह कला काम बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। किसी-किसी की भाषा इतनी नीरस और उबाऊ और बोझिल होती है कि या तो सुनने वाला उठ कर चला जाता है या सो जाता है। अनाप-शनाप, बेतुका और बनावटी बोलने का मतलब काम बिगाड़ना है। किसी की भाषा इतनी मधुर और जीवंत होती है कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। किसी ने कहा भी है- 'कुदरत को नापसंद है सख्ती बयान में, इससे नहीं लगाई है हड्डी जुबान में।' लेकिन ऐसा लगता है कि 'बिग बॉस' जैसे टीवी कार्यक्रमों में किसी भी प्रतिभागी की जुबान पर लगाम नहीं। आजकल इस 'रियलिटी शो' में जैसे दृश्य और जैसी अशिष्ट भाषा दिखाई दे रही है, वह औचित्य की हदों को पार कर रही है। अशोभनीय दृश्यों की और गाली-गलौज का पैमाना कुछ इस कदर बढ़ गया है कि एक बड़ी फिक्र दिमाग पर सवार हो जाती है।

ऐसा लगता है कि सब कुछ ताक पर रख दिया गया है। पहले भी टीवी चैनल थे। लेकिन क्या उन पर इस तरह के कार्यक्रम बेलगाम होते थे? 'ह्लबुनियाद' धारावाहिक में नए जमाने की पीढ़ी को भी दिखाया गया था। लेकिन हर चीज को पेश करने, बात कहने का और कुछ भी बोलने का सलीका था। यानी एक मानसिक तौर पर परिपक्व और संयत व्यक्तित्व का तरीका। टीवी देखना किसी का अपना निर्णय है। लेकिन एक सभ्य और मानवीय समाज के लिहाज से कोई मर्यादा होती है। जब हम खुद संयमित आचार-व्यवहार और मधुर भाषा को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम आने वाली पीढ़ी को कुछ बेहतर दे सकते हैं।

लेकिन सिर्फ मधुर भाषा पर्याप्त नहीं है। 'मुंह में राम बगल में छुरी' जैसी स्थिति भी हो सकती है। इस कला के साथ दूसरी अनेक विशेषताएं और अर्हताएं भी अपेक्षित हैं। यों तो उपदेश देने, सीख देने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है तो केवल आचरण में लाने वालों की। बोलने का क्षेत्र व्यापक है। इसके अंतर्गत क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना, कैसे और कब बोलना है या फिर कब चुप रहना है, सब कुछ आता है। कुछ बातें कुछ तथ्य, कुछ सच्चाइयां इतनी कटु होती हैं कि उन पर अघोषित प्रतिबंध रहता है। जिस बात को बोलने से किसी का आत्मविश्वास टूट जाए, आपस में दूरियां बढ़ जाएं या समाज में वैमनस्यता फैल जाए, ऐसा सच, ऐसी भाषा किस काम की?

हर बात को बोलने की अपनी मर्यादा होती है। इसीलिए कहा गया है कि समय के तराजू पर शब्दों को तोल कर बोलना आवश्यक है। बोलने का ढंग, अंदाज और शैली अपना महत्त्व रखते हैं। उम्र, पद, रिश्ते आदि के कारण शैली में लचीलापन जरूरी है। कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं, जब चुप रहना उचित होता है। मौन की भी अपनी एक वाक्शक्ति होती है। कभी-कभी मौन हजार शब्दों पर भी भारी पड़ता है। आज इस दौर में सब ताक पर है। कुछ टीवी चैनलों और कार्यक्रमों की वजह से इस तरह की मर्यादा टूट चुकी है और भाषा का विध्वंस हो रहा है। किसी धारावाहिक को सस्ते प्रेमालाप को बेच कर टीआरपी कमाना है तो किसी धारावाहिक में घर की महिला के घर की ही महिलाओं के लिए साजिशें दिखानी है। किसी चैनल पर हास्य कलाकार अपने शो में भद्दे और द्विअर्थी संवाद परोसने हैं और साथ ही मर्यादित भाषा की पैरवी का पाखंड करते दिख जाएंगे।

लेकिन क्या रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा मधुर और मर्यादित है? बोल तो कोई भी सकता है, लेकिन तरीके और सलीके से, उमंग-तरंग के साथ नपा-तुला, सीधा-साधा बोलना मायने रखता है। व्यक्तित्व विकास के लिए भाषा का महत्त्व तो है ही, पर इसके साथ-साथ वाणी की मधुरता भी उतनी ही आवश्यक है। यह वाणी ही है जिससे किसी भी मनुष्य के स्वाभाव का अंदाजा होता है। चेहरे से अक्सर जो लोग सौम्य या आक्रामक दिखाई देते हैं, असल जिंदगी में उनका स्वभाव कुछ और ही होता है।

भाषा वह है, जिससे संपूर्णता में अभिव्यक्ति हृदय के करीब आभास हो, बुद्धि का प्रकाश, जोश और आत्मीयता हो, न कि निर्जीव अकड़ और मात्र आक्रोश हो। भाषा वह है जिसमें जोश के साथ होश हो। वह नहीं, जिसमें आवाज खटकती हो, चुभती हो। बल्कि वह है जो खनकती हो, रचती हो। भाषा हमेशा संवाद है, सहकार हो, आत्मीयता हो। भाषा का सुनने से भी गहरा संबंध है। जो अच्छा सुन सकता है, बोल भी सकता है। अच्छा सुनने वाला दूसरे की बात को बीच में नहीं काटता। अच्छा सुनने वाला धैर्य और संयम आदि गुण कूट-कूट कर भरे होते हैं। भाषा में अंतर होने से व्यवहार भी अच्छा या बुरा लगने लगता है। इस सृष्टि में ज्यादातर झगड़े वाणी के संयम की कमी और जुबान के गलत प्रयोग के कारण होते हैं। जुबान का सही प्रयोग जहां जरूरी है, भाषा पर पकड़, व्याकरण की शुद्धता और त्रुटिरहित उच्चारण बोलने में चार चांद लगाते हैं।

शिक्षा की सूरत

देश में बच्चों की दशा-दिशा का जायजा लेने वाली प्रतिष्ठित वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट असर- 2019 'अर्ली ईयर्स' ने यह खुलासा किया कि जहां मोबाइल चौरानबे फीसद लोगों के पास है जिनमें साढ़े बावन फीसद के पास स्मार्टफोन है वे इंटरनेट से लैस हैं। पैंसठ फीसद के पास पक्का मकान, छियानबे फीसद के पास बिजली कनेक्शन और उन्यासी फीसद के पास शौचालय है, जबकि केवल दस फीसद परिवार के बच्चों के पास पठनीय सामग्री उपलब्ध है।

यह बहुत दुखद है कि जिस देश को सौ फीसद डिजिटल बनाने की बात हो रही है, वहीं के पूर्व-प्राथमिक स्कूल के बच्चों के पास पाठ्य सामग्री नहीं है। कहा जाता है कि किसी देश के विकास की रीढ़ उस देश की शिक्षा-व्यवस्था होती है। भारत सरकार को इस सर्वे पर विशेष ध्यान देकर शिक्षाविदों का विचार लेकर इसका समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। इस सर्वे में चार से आठ आयु वर्ग के बच्चों के पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में नामांकन और कुछ महत्त्वपूर्ण विकासात्मक संकेतकों पर बच्चों की क्षमताओं पर जानकारी एकत्रित की गई। इस सर्वे के दौरान देश के चौबीस राज्यों के छब्बीस जिलों में 1514 गांव, 30425 घर और चार से आठ आयु वर्ग के 36930 बच्चों पर केंद्रित है।

यह सर्वे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रश्न खड़ा करता है। इसके अनुसार कक्षा पांच के आधे से भी कम छात्र कक्षा दो का पाठ पढ़ पाते हैं। एनसीईआरटी के सीखने के परिणामों के विनिर्देश अनुसार बच्चों को एक में निन्यानबे तक पहचानने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन प्राप्त परिणाम के अनुसार यह औसत बहुत ही कम है। बुनियादी शिक्षा की खराब गुणवत्ता देश की क्षमता पर असर डाल रही है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार बच्चों को छह वर्ष की आयु में कक्षा एक में प्रवेश लेना चाहिए, लेकिन धरातल पर पांच वर्ष से कम और सात या आठ वर्ष की उम्र के बच्चे कक्षा एक में ज्यादा प्रवेश ले रहे हैं।

सर्वे से हम एक और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन छोटे बच्चों के बीच भी लड़के और लड़कियों के नामांकन पैटर्न अलग-अलग दिखे, जिसमें लड़के निजी और लड़कियां सरकारी संस्थाओं में ज्यादा नामांकित हैं। उम्र के अनुसार या अंतराल बढ़ता जाता है। अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है- 'चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन'। लेकिन हम देखते हैं कि पक्के मकान, स्मार्टफोन, अच्छे रहने की सुविधाओं पर खूब जोर दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों के पढ़ने की व्यवस्थाओं में बहुत कमी की जा रही है। इसका परिणाम यह होगा कि आने वाले समय में हमारा देश शिक्षा के बहुत ही बुरे स्तरों से गुजरेगा। आज हम विश्व के शीर्ष दो सौ विश्वविद्यालयों में भी अपना स्थान नहीं बना पाए हैं, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा,उच्चतर शिक्षा की रीढ़ या नींव होती है, इसलिए हमारी सरकार को पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

● *तेज बहादुर मौर्य, बीएचयू, वाराणसी*

जानलेवा वायरस

मध्य चीन में निमोनिया का रहस्यमयी प्रकोप देखने को मिला है, जिसे कोरोनावायरस एनसीओवी से संबंधित बताया जा रहा है। यह एक आरएनए वायरस है जो परिवर्तित और पुनर्संयोजित होकर नए उप भेदों को उत्पन्न करने में सक्षम है। यह कोरोनावायरस की तुलना में सार्क के सबसे ज्यादा नजदीक है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब अठारह साल पहले सार्क के कहर से लगभग आठ सौ लोगों की मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 'एनसीओवी 2019' नाम दिया है। इसका संक्रमण बुखार से शुरू होकर सूखी खांसी, उसके एक हफ्ते बाद सांस लेने में कठिनाई तथा गंभीर मामलों में निमोनिया, गुर्दे की विफलता तथा मृत्यु तक हो सकती है।

इसकी शुरुआत चीन के वुहान प्रांत से हुई है, लेकिन यह अब अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया और नेपाल तक फैल चुका है। इससे अभी तक लगभग सौ लोगों की मौत हो चुकी है और एक हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि इसका कोई प्रभावी टीका अथवा एंटी-वायरस अभी तक उपलब्ध नहीं है। केवल लक्षणों के आधार पर ही इसका उपचार किया जा रहा है। लेकिन इस महामारी से बचने हेतु कुछ सावधानियां बरती जा सकती है। बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश आदि लक्षण होने पर लापरवाही न बरतते हुए तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर चिकित्सा परीक्षण कराने की जरूरत है।

चीन और नेपाल की सीमा से सटे हुए उत्तराखंड में चंपावत, चमोली तथा पिथौरागढ़ में मेडिकल टीम द्वारा परीक्षण करने का कदम सराहनीय है। साथ ही सात हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग का काम भी अच्छा है। इसके अलावा जागरूकता के लिए सरकार को गांवों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कराना चाहिए। विद्यालयों में इसके लक्षण तथा रोकथाम के विषय में बताया जाना चाहिए, क्योंकि एक जागरूक समाज ही किसी महामारी के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

● *कार्तिक त्यागी, शास्त्री नगर, मेरठ*

मानवीयता का तकाजा

भारत में नागरिकता संशोधन कानून पर मचे बवाल के बीच यूरोपीय संसद में भी इस पर बहस के लिए छह प्रस्ताव लाए गए हैं और उस प्रस्ताव को छह सौ से ज्यादा सांसदों ने अपना समर्थन दिया है। यह अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। इसे भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनकी चिंता भारत की धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को छोड़ कर एक खास धारा की ओर बढ़ने के परिप्रेक्ष्य में है। जाहिर है, यूरोप और देश दुनिया के दूसरे अनेक भागों में करोड़ों लोग संबंधित देशों में अल्पसंख्यकों के तौर पर रहते हैं। अगर भारत के कानून को समर्थन दे दिया जाए तो क्या विश्व के किसी हिस्से में धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध करना नैतिक रह जाएगा? यूरोपीय संसद द्वारा इस मुद्दे पर प्रस्ताव लाए जाने को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

● *नवीन थिरानी, नोहर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

नई फिल्म

- जवानी जानेमन
- *हैप्पी हार्डी एंड हीर*
- डांस बार

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
स्ट्रीट डांसर	*51.75 करोड़*
तानाजी	230.5 करोड़
पंगा	16 करोड़
छपाक	32 करोड़

30 जनवरी तक की कमाई

जन्मदिन

- जैकी श्रॉफ — 1 फरवरी
- वरुण शर्मा — 4 फरवरी
- अभिषेक बच्चन — 5 फरवरी
- *नोरा फतेही* — *6 फरवरी*

मैं जल्दबाजी में काम नहीं करता : सैफ

आरती सक्सेना

बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान ने अपने अभिनय करिअर की शुरुआत 1993 में फिल्म 'आशिक आवारा' से की थी। आज उनकी गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में होती है। सैफ बहुत सोच-समझ कर फिल्में साइन कर रहे हैं। आज सैफ की फिल्म 'जवानी जानेमन' रिलीज होने वाली है। पेश है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश :

सवाल : नितिन कक्कर निर्देशित 'जवानी जानेमन' के आप निर्माता भी हैं और इसमें अभिनय भी कर रहे हैं। यह किस तरह की फिल्म है?

● ये हल्की फुल्की घरेलू किस्म की रोमांटिक फिल्म है जिसमें कोई मारधाड़ या बड़ा सेट नहीं है। यह एक अमेरिकन फिल्म की रीमेक है। वैसे आज कल इस तरह की फिल्मों का भी दौर चल रहा है। दर्शकों को ऐसी फिल्मों में मजा आता है। लिहाजा हमने भी ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की है।

सवाल : इस फिल्म की कहानी में आपको क्या खास लगा?।

● दरअसल यह एक ऐसे पिता की कहानी है, जो रिश्तों में बंध कर अपनी आजादी और जवानी खराब नहीं करना चाहता है। इस कारण वह न सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी से दूर हो जाता है बल्कि अपनी एक बेटी को भी भुला देता है। उसकी यही बेटी करीबन सोलह से सतरह साल बाद उसको मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसने क्या खोया है। सही मायने में कहूं तो मैं इसमें एक गैर जिम्मेदार पिता की भूमिका निभा रहा हूं।

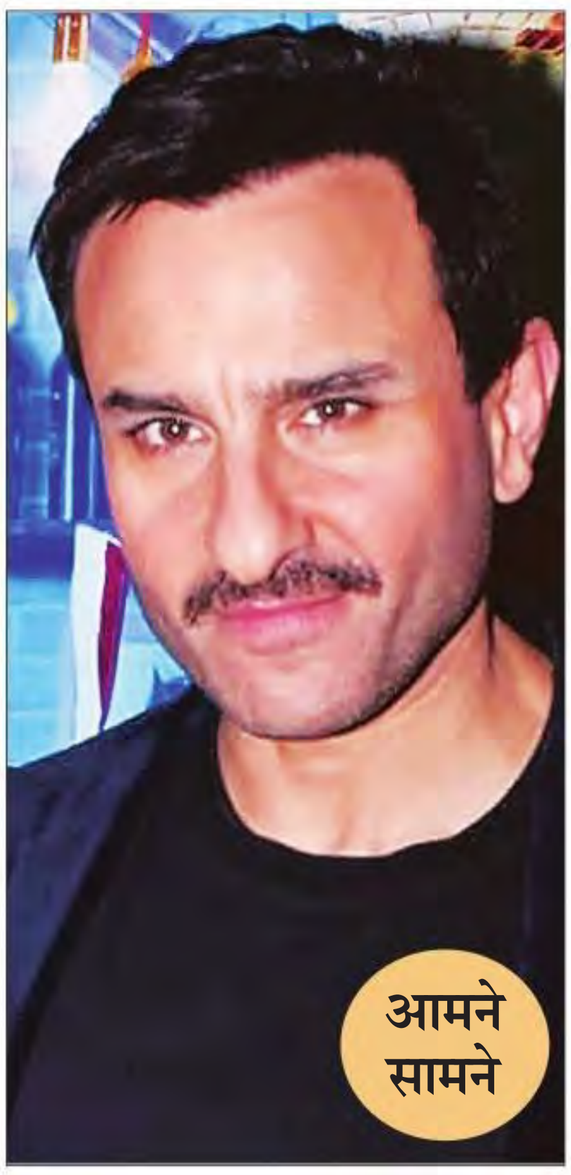

सवाल : इस फिल्म में जहां तब्बू आपकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं वहीं पूजा बेदी की बेटी अलाया फर्नीचरवाला आपकी बेटी का किरदार निभा रही हैं। इन दोनों के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?

● बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। अलाया फर्नीचरवाला ऊर्जा से भरपूर और टैलेंड भी हैं।

सवाल : आपने अपने अभिनय करिअर में हमेशा सैफ गेम खेला है। न कभी कोई जल्दबाजी की और न ही फिल्मों के चुनाव को लेकर कभी सुस्त पड़े...

● सही कहा आपने। मैं फिल्मों को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करता क्योंकि अभिनय मेरा जुनून है। अपने काम को करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं कोई फिल्म जल्दबाजी में साइन करके बाद में उसके लिए पछताना नहीं चाहता। भले ही मैं कम फिल्में साइन करूं लेकिन वहीं फिल्में करना पसंद करता हूं जिसमें कुछ नयापन हो।

सवाल : बारह साल बाद आपने अजय देवगन के साथ फिल्म 'तानाजी' में काम किया। अरसे बाद उनके साथ आपका काम करने का अनुभव कैसा रहा?

● हां अच्छा रहा। उसे फिल्मों से और फिल्म मेकिंग से प्यार है। उस फिल्म को अजय ने बहुत दिल से बनाया है। मेरा निगेटिव किरदार था। ऐतिहासिक फिल्म थी इसलिए इसके लिए काफी शोध किया गया था। हमने खूब मेहनत की थी। सो मुझे खुशी है कि हमारी मेहनत रंग लाई और फिल्म दर्शकों को पसंद आई।

सवाल : आप और कौन-कौन सी फिल्में कर रहे हैं?

● 'गो गोवा गॉन' की सीक्वेल कर रहा हूं जिसमे कुणाल खेमू और वीर दास हैं। यह एक कॉमेडी फिल्म है। अनुराग बासु की 'अनाम', में मेरे साथ सोनाक्षी सिन्हा भी हैं। इसके अलावा मोहित सूरी की फिल्म भी कर रहा हूं।

सवाल : आज कई स्टार अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत फिल्में बना रहे हैं जिनमें से एक आप भी है। एक हीरो के लिए अपने ही प्रोडक्शन तले फिल्म बनाना कितना आसान और मुश्किल है ?

● मुश्किल तो ज्यादा नहीं है। लेकिन आसान भी नहीं। क्योंकि फिल्म निर्माता का काम बड़ा जिम्मेदारी भरा होता है। लेकिन साथ ही जब एक अभिनेता किसी फिल्म का निर्माण करता है तो उसको उस फिल्म को लेकर काफी सारे मालूमात होते हैं। चूंकि वो उसकी खुद की फिल्म होती है इसलिए वो उसमे अपना सौ फीसद देने की कोशिश करता है। एक कलाकार जब अपने बैनर तले फिल्म बनाता है, तो कुछ अच्छा ही बन के निकलता है।

सवाल : एक अभिनेत्री का पिता कहलाना बतौर अभिनेता आपके लिए कितना फायदेमंद और नुकसानदेह है?

●अपने बच्चों की तरक्की हर मां-बाप को पसंद आती है। सारा ने पहली ही बार में बाजी मार ली, तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को हो ही नहीं सकती। जहां तक बतौर अभिनेता एक अभिनेत्री का पिता होने का सवाल है, तो अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल कपूर साहब के भी बेटा-बेटी फिल्मों में हैं लेकिन आज भी वो एवरग्रीन अभिनेता हैं। इसी तरह अमित जी आदि सब के बच्चे भी इंडस्ट्री में हैं लेकिन पिताओं के करिअर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सब इतने फिट है कि उम्र आड़े नहीं आती।

महोत्सव

बिहार के बोधगया में दो दिन पहले 'बौद्ध महोत्सव' का आरंभ हुआ। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी नृत्य प्रस्तुत करती हुईं।

'थप्पड़' में तापसी पन्नू का अलग अंदाज

तापसी पन्नू की अगली फिल्म 'थप्पड़' का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। फिल्म के पोस्टर ने रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया में धूम मचा दी है। दरअसल तापसी पन्नू अपने बेबाक विचारों के साथ अपनी जबरदस्त अदाकारी के लिए भी जानी जाती हैं। दर्शकों को उनकी फिल्मों का इंतजार रहता है, क्योंकि उनकी हर फिल्म सबसे हट कर होती है।

'थप्पड़' का निर्देशन अनुभव सिन्हा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी दो प्यार करने वालों के बीच बदलते रिश्ते की कहानी है। जब प्यार में हम एक-दूसरे पर अत्याचार करने लगते हैं और हिंसा पर उतर आते हैं, इस फिल्म में ये दिखाया जाने वाला है।

पोस्टर में आप देख सकते हैं कि तापसी पन्नू एक ऐसे लुक में नजर आ रही हैं जब उन्हें कोई जोरदार थप्पड़ मारता है। पोस्टर की पहली झलक शेयर करते हुए तापसी लिखती हैं कि क्या ये बस इतनी-सी बात है? क्या प्यार में ये भी जायज है? ये थप्पड़ की पहली झलक है।

इस फिल्म में तापसी पन्नू के अलावा रतना पाठक शाह, मानव कौल, दीया मिर्जा, तन्वी आजमी और राम कपूर मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। अनुभव सिन्हा और भूषण कुमार द्वारा निर्मित फिल्म 'थप्पड़' 28 फरवरी को सिनेमाघर में प्रदर्शित की जाएगी। बता दें कि ये फिल्म अनुभव सिन्हा की इस साल की पहली फिल्म है।

पिछले साल उन्होंने आयुष्मान खुराना की फिल्म 'आर्टिकल 15' बनाई थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।

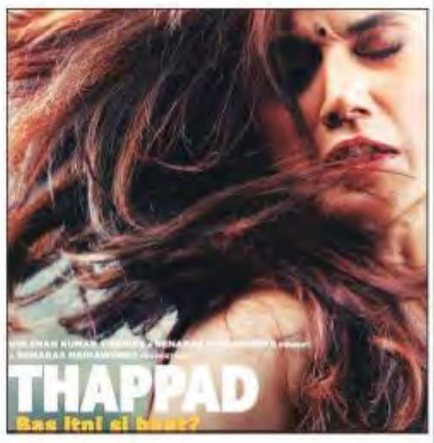

खबर कोना

अजय की 'मैदान' का नया पोस्टर

अजय देवगन ने साल की शुरुआत 'तानाजी द अनसंग वॉरियर' के साथ की है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसी बीच अजय देवगन ने ट्विटर पर दो पोस्टर रिलीज किए। ये पोस्टर उनकी अगली फिल्म 'मैदान' के हैं। हालांकि इससे पहले भी अजय ने अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया था। इस बार उन्होंने फिल्म और अपने किरदार से जुड़ी जानकारी प्रशंसकों से साझा की है। यह फिल्म खेल पर आधारित है। अजय ने लिखा, 'ये कहानी है इंडियन फुटबाल के गोल्डन फेज की और उसके सबसे बढ़िया और सक्सेसफुल कोच की।' इस पोस्टर में एक टीम है, जो बारिश में भीग रही है और उसे एक सामने अजय देवगन खड़े हैं। वहीं, दूसरे पोस्टर में अजय देवगन बैग और छाते के साथ फुटबाल खेलते नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए अजय देवगन ने लिखा, 'बदलाव लाने के लिए अकेला भी काफी होता है।' यह फिल्म 1956 से 1962 के बीच के भारतीय फुटबाल टीम और उसके कोच रहे सैय्यद अब्दुल रहीम के बारे में दिखाया जाएगा। यह वह दौर था, जब भारतीय टीम अपने गोल्डन पीरियड में थी। अजय इसी कोच की भूमिका में दिखेंगे।

'लव आज कल' का एक और गाना रिलीज

अभिनेता कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म 'लव आज कल' का गाना 'हां मैं गलत...' रिलीज हो चुका है। इसकी जानकारी खुद अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर दी है। वीडियो में सारा अली खान और कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं। वीडियो में सारा और कार्तिक आर्यन बातें करते नजर आ रहे हैं कि क्या यही समय है, जिसपर सारा कहती हैं कि हां लगभग। इसके बाद कार्तिक और सारा ने बताया कि उनकी फिल्म 'लव आज कल' का गाना 'हां मैं गलत...' रिलीज हो चुका है। सारा अली खान ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, 'यह है हमारा राज, 'हां मैं गलत...' रिलीज हो चुका है।' यह फिल्म 'वैलेंटाइन्स डे' के मौके पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म में सारा अली खान और कार्तिक आर्यन के अलावा रणदीप हुड्डा और आरुषि शर्मा भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे।

'राधे' में साढ़े सात करोड़ का क्लाइमैक्स

भले ही दबंग खान की दबंगई इस बार बॉक्स ऑफिस पर नही चल सकी लेकिन लगता है कि यह कसम सलमान खान की अगली फिल्म 'राधे' पूरा करेगी। खबर है कि इस फिल्म के 20 मिनट के क्लाइमैक्स की शूटिंग के लिए साढ़े सात करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। उनकी 'भारत' और 'दबंग-3' का जादू कुछ खास नहीं चला। इस बार सलमान खान कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं और यही कारण है कि 'राधे' के इस 20 मिनट के शूट के लिए साढ़े सात करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इस फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग को सलमान खान और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं इसीलिए उन्होंने वीएफएक्स तकनीक को चुना है। 20 मिनट के इस एक्शन सीक्वेंस को क्रोमा पर शूट किया जाएगा और इसमें करीब साढ़े सात करोड़ रुपए खर्च आएगा। क्रोमा काफी सस्ता होता है लेकिन जिस क्रोमा को यहां इस्तेमाल किया जाएगा वह केवल बड़े फिल्म निर्माता के ही बस में है।

'अतरंगी रे' को लेकर उत्साहित अक्षय

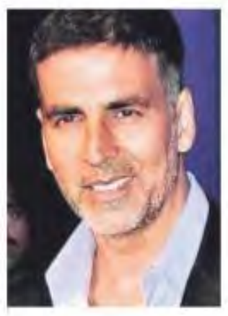

फिल्म निर्माता आनंद एल राय की अगली फिल्म 'अतरंगी रे' में सुपरस्टार अक्षय कुमार सारा अली खान और धनुष के साथ नजर आएंगे। धनुष और आनंद 2013 की हिट फिल्म 'रांझणा' के बाद पहली बार साथ आ रहे हैं। फिल्म निर्माता ने कहा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार 'विशेष भूमिका' में होंगे। अक्षय कुमार ने एक बयान में कहा, 'मैं आनंद एल राय के साथ काम करने को लेकर काफी रोमांचित हूं। वह जिस तरह से कहानियां दिखाते हैं, मैंने हमेशा उसकी सराहना की है। जब उन्होंने मुझे कहानी बताई तो मैंने दस मिनट के भीतर 'हां' कर दिया।' उन्होंने कहा, 'इस किरदार को पर्दे पर उतारना बेहद चुनौतीपूर्ण है लेकिन खास किरदार है जिसे मेरा दिल न नहीं कर पाया और इसे मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा।' अक्षय ने कहा कि वह सारा अली खान और धनुष के साथ भी काम करने को लेकर उत्साहित हैं।

केएन सिंह

1 सितंबर,1908-31 जनवरी, 2000

ताकतवर आंखों का तिलिस्म

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

'वक्त' की लिखी पटकथा में केएन, यानी कृष्ण निरंजन, सिंह का एक्टर बनना लिखा था इसलिए न सेना में जा पाए, न वकील बन पाए, न खिलाड़ी। सेना में जाने का जुनून समय के साथ उतर गया। वकालत के पेशे से भी मोहभंग हो गया और हालात ऐसे बने कि खेलों की दुनिया में भी जाना नहीं हुआ। देहरादून में पैदा हुए सिंह पहले कोलकाता पहुंचे। वहां एक्टिंग शुरू की। फिर मुंबई आए और मुंबइया फिल्मों के सबसे महंगे खलनायक बने। ऐसे खलनायक जिसके आंखें तरेरने भर से दर्शकों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। साढ़े पांच दशकों तक हिंदी फिल्मों में काम करने वाले केएन सिंह की आज 20वीं पुण्यतिथि है।

केएन सिंह के पिता चंडीप्रसाद सिंह क्रिमिनल केस लड़ने वाले नामी वकील थे। एक बार पिता ने अकाट्य तर्कों के दम पर एक गुनहगार को बरी करवा लिया, तो केएन सिंह का वकालत के पेशे से मोहभंग हो गया। खेलों में रुचि थी। भाला फेंक और गोला फेंक में माहिर सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जाने की तैयारी कर रहे थे। सिंह पांच भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी इकलौती बहन कोलकाता में बीमार थी। बहन के प्यार न खींचा तो भावुक भाई उनकी तीमारदारी करने कोलकाता चले गए। यहां उनकी मित्रता पृथ्वीराज कपूर से हुई, जो तब लोकप्रिय फिल्म कलाकार थे।

कोलकाता में पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें देबकी बोस से मिलवाया। सेट पर हाथ में छड़ी लेकर काम करने वाले देबकी बोस का 'चंडीदास', 'पूरन भगत', 'राजरानी मीरा' जैसी फिल्मों की सफलता से कोलकाता में डंका बज रहा था। उनकी बांग्ला फिल्म 'सोनार संसार' (हिंदी में 'सुनहरा संसार',1936) से केएन सिंह पहली बार परदे पर उतरे।

कभी अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर बनाने वाले अब्दुल रशीद कारदार उन दिनों कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फिल्में बना रहे थे। कारदार दसेक फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे। जब वह कोलकाता से मुंबई आए तो केएन सिंह को भी मुंबई बुला लिया और 'बागवान' (1938) बनाई, जो 50 हफ्ते चली और केएन सिंह भी चल निकले। उनकी बड़ी-बड़ी आंखें कभी झपकती नहीं थी। हां पतलून, कोट, टाई पहने, हैट लगाए, मुंह में पाइप रखे सिंह की भौंहे खूब उठती-गिरती थीं। इतना सूटेड-बूटेड विलेन हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई दूसरा रहा हो। आंखों को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने खूब त्राटक (नजर को एक जगह केंद्रित करना) किए। सिंह की आंखों के तेवर पर खूब लिखा गया तो इसलिए कि एक्टिंग के दौरान आंखें सिंह का सबसे बड़ा हथियार होती थीं।

सिंह की आंखों के दीवाने महबूब खान (हुमायू), राज कपूर (आवारा), अशोक कुमार (चलती का नाम गाड़ी), शक्ति सामंत (हावड़ा ब्रिज), चिनप्पा देवर (हाथी मेरे साथी), गुरु दत्त (बाजी), राज खोसला (वो कौन थी) जैसे फिल्मकार रहे। फिल्मकारों ने केएन सिंह की आंखों का खूब इस्तेमाल किया। आंखें तरेरते केएन सिंह जब हीरो को ठंडे सुरों में धमकाते, तो दर्शकों में सिहरन दौड़ जाती थी। उन्हें प्राण या गुलशन ग्रोवर की तरह किरदारों को प्रभावशाली बनाने के लिए तरह-तरह के गेटअप की जरूरत नहीं पड़ी। वह अपने दौर के सबसे महंगे खलनायक थे। 'सुनहरे दिन' (1938) से 'लैला' (1994) तक, सिंह ने साढ़े पांच दशक लंबी पारी खेली। 50 और 60 के दशक में उनकी आंखों की ताकत दोपहर के सूरज की तरह चढ़ी। मगर जो चढ़ा सूरज दोपहर को आग उगलता है, वही शाम को निस्तेज भी होता है। 70 के दशक में केएन सिंह छोटी-छोटी भूमिकाओं तक सीमित हो गए। ताकतवर आंखों का तिलिस्म खत्म हो गया। उनकी रोशनी कमजोर हो गई और आखिर सालों में तो उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी।

सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

- बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी मुद्दों पर सार्थक और समृद्ध चर्चा कराने की बात कही है
- कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, सपा के रामगोपाल यादव, राजद के मनोज झा, राकांपा की सुप्रिया सुले सहित कई नेता शामिल हुए।
- बैठक में विपक्षी दलों ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की तत्काल रिहाई की भी मांग की

संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें कई विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। विपक्ष ने नागरिकता संशोधन कानून, अर्थव्यवस्था की स्थिति, कश्मीर सहित कई मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार विपक्ष की राय सुनने और हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी

जोशी ने संवाददाताओं को बताया, 'प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था सहित सभी मुद्दों पर सार्थक और समृद्ध चर्चा होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था को वैश्विक संदर्भ में देखें कि भारत इसका फायदा कैसे उठा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष की राय सुनने और हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।' बैठक के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, 'सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों पर सरकार का रुख उसका अहंकार दिखाता है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से संपर्क तक करने की कोई कोशिश नहीं की गई।' उन्होंने कहा कि पिछले करीब सवा महीने से देश की आधी आबादी सड़कों पर है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इस ठंड में सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है।

बैठक में विपक्षी दलों ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की तत्काल रिहाई की मांग की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में तीन-तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंद कर रखा गया है। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए ताकि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जा सके। हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। यह पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी।

द्रमुक के टीआर बालू ने कहा, 'हमने नेशनल कांफ्रेस नेता फारुख अब्दुल्ला को तत्काल रिहा करने की मांग उठाई। इसके अलावा तमिलनाडु में पेट्रोलियम ब्लाक का मुद्दा भी उठाया।'

प्रह्लाद जोशी के मुताबिक सरकार ने बजट सत्र के दौरान 45 विधेयक पेश करने के लिए चिह्नित किए हैं। इनमें से सात वित्तीय विषयों से जुड़े हैं व दो अध्यादेश से जुड़े हैं। बजट सत्र में कुल 39 बैठकें होगी और हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हैं।

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और उस दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद एक अंतराल के बाद इसका दूसरा हिस्सा 2 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा।

सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, द्रमुक के टीआर बालू, राजद के मनोज झा, राकांपा की सुप्रिया सुले, बसपा के रितेश पांडे, बीजद के प्रसन्न आचार्य आदि शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान, आरपीआइ के रामदास अठावले, लोजपा के चिराग पासवान आदि मौजूद थे।

मुंबई हवाईअड्डे से कफील खान गिरफ्तार

मुंबई-लखनऊ, 30 जनवरी (भाषा)।

विवादास्पद बाल रोग विशेषज्ञ कफील खान फिर खबरों में हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने खान को मुंबई हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया है।

पिछले माह अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान कफील पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है। एसटीएफ ने लखनऊ में एक बयान में बताया कि खान को मुंबई पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। वह सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुधवार रात मुंबई पहुंचे थे।

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के चलते 60 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में कफील को गिरफ्तार किया गया था। कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उस समय बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में तैनात थे, जब अस्पताल के शिशु वार्ड और क्रिटिकल केयर यूनिट में ऑक्सीजन की कथित कम आपूर्ति के चलते सप्ताह भर से कम समय में ही 63 बच्चों की मौत हो गई थी।

एसटीएफ के एक अधिकारी ने लखनऊ में बताया कि कफील को अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमारी पुलिस टीम ने यूपी पुलिस के अधिकारियों के आग्रह पर उनकी मदद की।

अधिकारियों का आरोप है कि कफील ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश ले जाने से पहले आपैचारिकताएं पूरी करने के लिए कफील को गिरफ्तारी के बाद सहार थाने ले जाया गया।

कठोरतम कार्रवाई के निर्देश : शाह

पेज 1 का बाकी

एक व्यक्ति द्वारा गोली चलाने के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसके कुछ घंटों बाद शाह ने कहा कि इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'दिल्ली में गोलीबारी की घटना पर मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से बात की है और उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है।'

कन्हैया कुमार कुछ देर के लिए हिरासत में

बेतिया, 30 जनवरी (भाषा)।

भाकपा नेता और जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को सीएए-एनपीआर-एनआरसी के विरोध में उनकी राज्यव्यापी जन-गण-मन यात्रा के पहले गुरुवार को बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में उनके समर्थकों के साथ कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया जिसके बाद वह मोतिहारी के लिए रवाना हो गए।

कन्हैया ने ट्वीट कर कहा, 'आज बापू-धाम (चम्पारण) में गांधीजी को नमन करके ग़रीब-विरोधी सीएए-एनआरसी-एनपीआर के विरोध में एक महीने की जन-गण-मन यात्रा की शुरुआत होनी थी। समाज के सभी तबकों के लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन ने कुछ देर पहले हम सबको हिरासत में ले लिया।' कन्हैया ने अपने ट्वीट के साथ एक भी वीडियो शेयर किया। इस यात्रा को शुरू होने से रोके जाने पर कन्हैया ने अपने समर्थकों के साथ भितिहरवा गांधी आश्रम (चंपारण) के बाहर धरना दिया।

केरल में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई

पेज 1 का बाकी

है कि परिवार के 23 वर्षीय एक सदस्य की मलेशिया में कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। युवक 2018 में एक रेस्तरां में काम करने के लिए वहां गया था। परिवार ने बताया है कि उन्हें इसकी सूचना मलेशिया के अधिकारियों से बुधवार को मिली थी।

दूसरी ओर, मंत्रालय ने चीन से हाल ही में लौटे लोगों से कहा है कि वे 14 दिन तक अपने घरों में अलग रहें। वे अलग सोएं और परिवारजनों से कम से कम मिलें। खांसने और छींकने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें। सर्दी या फ्लू से पीड़ित लोगों से दूरी बनाकर रखें। मंत्रालय ने परिवारजनों को भी कुछ सावधानी बरतने के लिए कहा है। इसमें खांसने व छींकने, खाना बनाने से पहले व बाद में, खाने से पहले, शौचालय उपयोग के बाद, मरीज की देखभाल के समय और जानवरों के साथ के बाद अच्छी तरह से हाथ साफ करने के लिए कहा गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि चीन से वापस आने के 28 दिनों तक यदि व्यक्ति को बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत होती है तो तुरंत स्वास्थ्य मंत्रालय की हेल्पलाइन 011-23978046 पर संपर्क करें। मास्क पहनें और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचें।

समीक्षा के लिए महाराष्ट्र जाएगी केंद्रीय टीम : महाराष्ट्र में कम से कम 10 व्यक्तियों को तीन अस्पतालों में अलग-थलग वार्ड में रखे जाने के बीच रोग के रोकथाम और प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की एक टीम जल्द राज्य की यात्रा करेगी। हालांकि महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य में 27 लोगों को निगरानी में रखा गया है और एहतियात के तौर पर इनमें से 10 लोगों को अलग-थलग वार्ड में रखा गया है।

श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सात को भारत आएंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सात से 11 फरवरी तक भारत की यात्रा पर आएंगे और इस दौरान वे दोनों देशों के संबंधों के विविध आयामों पर व्यापक चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा, 'श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सात फरवरी को भारत आएंगे। उनका सरकारी कार्यक्रम आठ फरवरी से शुरू होगा।' उन्होंने बताया कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आ रहा है। राजपक्षे अपनी यात्रा के दौरान यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की बैठक करेंगे। वे अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी, सारनाथ, बोधगया और तिरुपति भी जाएंगे। महिंदा राजपक्षे यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलेंगे।

यूनेस्को की महानिदेशक अगले हफ्ते भारत दौरे पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की महानिदेशक ऑड्रे अजुले अगले सप्ताह भारत के दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल से मुलाकात करेंगी। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अजुले चार से छह फरवरी के बीच भारत का दौरा करेंगी और इस दौरान वह 'यूनेस्को के माध्यम से विश्व को भारत का संभावित योगदान' विषय पर चर्चा करेंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा, 'भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहकारिता आयोग ने बृहस्पतिवार को बैठक की। हमने इस विषय पर चर्चा की कि हम यूनेस्को के माध्यम से विज्ञान, संस्कृति, संचार, शिक्षा इत्यादि क्षेत्र में विश्व को क्या दे सकते हैं? यह चर्चा का विषय होगा। भारत आगे बढ़ चुका है और नया काम हो चुका है।'

एनडीएफबी गुटों के 1615 सदस्यों ने किया समर्पण

गुवाहाटी, 30 जनवरी (भाषा)।

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के तीन गुटों के 1,615 सदस्यों ने गुरुवार को यहां असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और राज्य के वित्त मंत्री हेमंत विश्व सरमा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तीन दिन पहले केंद्र और असम सरकार ने बोडो संगठनों- एनडीएफबी और आल बोडो स्टूडेंट यूनियन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह राज्य के लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत है। एनडीएफबी-प्रोग्रेसिव गुट के 836, एनडीएफबी-रंजन दैमरी गुट के 579, और एनडीएफबी (एस) के 200 सदस्यों का मुख्यधारा में स्वागत करते हुए सोनोवाल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस कदम से अन्य गुटों को भी हथियार त्यागने और एक साथ मिलकर 'टीम असम' के लिए काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

एनडीएफबी के सदस्यों ने एके-47 राइफलों, लाइट मशीन गनों और स्टेनगनों समेत 4,800 हथियार समर्पित किए। सोनोवाल ने कहा कि हमें असम को भारत और पूरे दक्षिण एशिया का प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए टीम असम के लिए मिलकर काम करना होगा। हिंसा का रास्ता छोड़कर आपने विकास की राह पकड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हमारी असम सरकार आपके साथ मिलकर बोडो क्षेत्र में शांति और विकास सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोडो समाज के विकास से असम का विकास होगा। उन्होंने कहा कि गुट के सदस्यों द्वारा शहीद दिवस पर हथियार समर्पित करने से यह सिद्ध होता है कि वे असम में शांति चाहते हैं।

प्रभावित भारतीयों को विशेष विमान से लाने की तैयारी

पेज 1 का बाकी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल में एक पीड़ित के कोरोना वायरस से प्रभावित होने की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने चीन के ह्यूवेई प्रांत में रहने वाले भारतीयों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर पूछा है कि क्या वे भारत लौटना चाहते हैं।' उन्होंने बताया कि हमने छह सौ से अधिक भारतीयों के साथ संपर्क स्थापित किया है।

उन्होंने कहा कि भारत ने चीन से औपचारिक अनुरोध किया है कि वह ह्यूवेई प्रांत से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ये दो उड़ानें संचालित करने की अनुमति दे। अब हमें इसके लिए औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने कहा कि बेजिंग में भारतीय दूतावास जरूरी कार्रवाई के लिए चीन के अधिकारियों के संपर्क में है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है जो चीन में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई है। हम इसके बारे में लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। चीन से औपचारिक अनुमति मिलने के बाद एअरलिफ्ट कर भारतीयों के एक समूह को शुक्रवार 31 जनवरी को लाया जा सकता है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। सैंकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। रूस ने चीन से लगी अपनी सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है।

फरवरी में भारत दौरे पर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप

पेज 1 का बाकी

स्वागत अमदाबाद में किया जाएगा और इसके लिए साबरमती नदी किनारे ह्यूस्टन में हुए 'हाउडी मोदी' की तर्ज पर कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं।' अधिकारियों के मुताबिक, ट्रंप के साथ अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर भारत आएंगे। लाइटहाइजर और केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आपसी बातचीत में एक नए व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिस पर पर ट्रंप की यात्रा के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। साथ ही, कई रक्षा सौदे होने की संभावना है। ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच चीन, अफगानिस्तान, ईरान और पाक प्रायोजित आतंकवाद पर बातचीत हो सकती है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक, अपनी भारत यात्रा के दौरान ट्रंप गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, 'पूरे एशिया में साबरमती रिवरफ्रंट सबसे स्वच्छ नदी तट बन चुका है।

फर्रुखाबाद : 20 बच्चों को बनाया बंधक

पेज 1 का बाकी

गोली भी चलाई। वह स्थानीय विधायक से बात करना चाहता था, विधायक वहां गए लेकिन उसने उनसे बात नहीं की।पुलिस ने बताया कि उसके एक रिश्तेदार को भी बातचीत के लिए घर के करीब भेजा गया लेकिन उसने रिश्तेदार पर भी गोली चला दी जिससे वह घायल हो गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को बंधक बनाने वाले इस व्यक्ति ने अभी तक कोई मांग पुलिस के सामने नहीं रखी है। इस व्यक्ति का नाम सुभाष बाथम बताया जा रहा है। आइजी ने बताया कि लखनऊ से एटीएस का दस्ता मौके के लिए रवाना हो चुका है।

कश्मीर के पूर्व विधायक के संपर्क में था आतंकी नवीद

पेज 1 का बाकी

से गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों से कई दिनों की पूछताछ के बाद मामले को एनआइए को सौंपा गया।

एनआइए अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान नवीद ने प्रतिबंधित हिज्बुल मुजाहिदीन में अपनी भूमिका के बार में कई बातें बताईं, जबकि मीर सीमा के दोनों ओर आतंकवादी समूह के शीर्ष आतंकवादियों के साथ संपर्क में प्रमुख कड़ी के रूप में उभरा। उन्होंने बताया कि नवीद की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने कई जगहों पर छापेमारी की और हिज्बुल के लिए भूमिगत रहकर काम करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा। लगातार पूछताछ में नवीद ने भंग विधानसभा के निर्दलीय विधायक सहित अपने संपर्कों की जानकारी देनी शुरू की।

चुनाव के लिए पुलिस ने की अतिरिक्त बल की मांग

पेज 1 का बाकी

विधानसभा चुनाव के लिए आगामी आठ फरवरी को मतदान और 11 फरवरी को मतगणना होगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय ने दिल्ली के सीईओ को मौजूदा स्थिति से अवगत कराते हुए कहा है कि पिछले एक महीने से दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों में हिंसा की घटनाओं ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति को नाजुक बना दिया है। सीईओ को यह भी बताया गया है कि विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लंबे समय तक चल सकते हैं। इस कारण विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आयोग से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 30 अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने की मांग की गई है।

दिल्ली में छह जनवरी को चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 179 कंपनियों की जरूरत से आयोग को अवगत कराया था। इसके आधार पर मुहैया कराई गयी 176 कंपनियां चुनाव के दौरान तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने सीईओ को लिखे एक पत्र में कहा कि छह जनवरी को विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरु होने के समय दिल्ली में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, उसकी तुलना में इस समय स्थिति काफी नाजुक है। इसके लिए दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने को जिम्मेदार ठहराते हुए इस बात की आशंका जताई गई है कि सीएए के खिलाफ पिछले एक महीने से जारी विरोध प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगे लंबे समय तक चल सकते हैं। मांग करते हुए कहा गया है कि अनिवार्य सेवाओं के लिए रिजर्व रखी गई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 25 और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की पांच कंपनियों को चुनाव में तैनात करना संभव नहीं होगा।

मतदान टला तो भारत ने प्रधानमंत्री के ब्रुसेल्स दौरे पर लगाई मुहर

पेज 1 का बाकी

था। पाकिस्तान ने कुछ यूरोपीय मित्र देशों की मदद से प्रस्ताव पर मतदान कराने की कोशिश की थी।

यूरोपीय संसद की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'ब्रुसेल्स में सत्र शुरू होने पर यूरोपीय संसद के सदस्यों (एमईपी) द्वारा लिए गए फैसले के बाद सीएए पर पेश प्रस्ताव पर मतदान को मार्च तक टाल दिया गया।' विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले महीने संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) देश का आंतरिक मामला है और इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करना है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने यूरोपीय आयोग के उस स्पष्टीकरण को देखा है कि यूरोपीय संसद के विचार समूह के आधिकारिक रूख को प्रदर्शित नहीं करते। उन्होंने कहा, 'जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है। इसे उपयुक्त प्रक्रिया और लोकतांत्रिक रूप से अंगीकार किया गया है।' उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ संवाद जारी रखेंगे।

अनुराग ठाकुर व प्रवेश वर्मा को चुनाव प्रचार से रोका

पेज 1 का बाकी

लगवाने और पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद वर्मा पर एक साक्षात्कार और एक जनसभा में सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले बयान देने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) की जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने दोनों नेताओं के बयानों को धार्मिक और सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने वाला बताते हुए इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया।

आयोग ने दोनों सांसदों के बयानों को आपत्तिजनक बताते हुए कहा है कि इससे विभिन्न वर्गों के बीच कटुता फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आयोग ने दोनों नेताओं के बयानों की आलोचना करते हुए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल कर वर्मा को 96 घंटे और ठाकुर को 72 घंटे तक दिल्ली चुनाव के प्रचार में हिस्सा लेने और मीडिया में साक्षात्कार देने से प्रतिबंधित कर दिया। आयोग ने इस मामले में बुधवार को ठाकुर और वर्मा को भाजपा के स्टार प्रचारक की सूची से बाहर करने का आदेश जारी किया था। आयोग ने दोनों नेताओं को प्रथमदृष्ट्या दिल्ली चुनाव में सामाजिक टकराव फैलाने वाले विवादित बयान देने के कारण भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से अलग करने का आदेश दिया था। निर्वाचन नियमों के मुताबिक स्टार प्रचारक के प्रचार अभियान का खर्च संबद्ध पार्टी के चुनावी खर्च में शामिल होता है। इससे इतर अन्य नेताओं के प्रचार का खर्च प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाता है। नियमानुसार पार्टी के चुनाव खर्च की कोई निर्धारित सीमा नहीं है जबकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी की चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपए निर्धारित है। आयोग ने भड़काऊ बयान देने के मामले में दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली रिपोर्ट के आधार पर ठाकुर और वर्मा से जवाब तलब किया था। दोनों नेताओं ने अपने जवाब में सुनवाई के लिए उन्हें स्वयं पेश होने की अनुमति मांगते हुए कहा कि उनके बयान का मकसद धार्मिक आधार पर सामाजिक कटुता फैलाना नहीं था। आयोग ने निजी तौर पर पेश होकर पक्ष रखने की मांग को गैरजरूरी बताते हुए ठाकुर के कथित बयान को अवांछित और आपत्तिजनक करार दिया।

फास्टैग लेन में बिना टैग की गाड़ियों पर दोगुना टोल

पेज 1 का बाकी

करते हैं। इस प्रक्रिया में दो से तीन मिनट लगते हैं और कभी कभी इससे ज्यादा भी समय लग जाता है। इसकी वजह से टोल पर जाम लगता है। खेड़की दौला टोल के प्रोजेक्ट हेड शैलेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि बड़ी संख्या में फास्टैग की गुणवत्ता सही नहीं है जिसकी वजह से रीडिंग में परेशानी होती है। इसके अलावा कुछ चालक अपने टैग को जानबूझ कर खराब करके रखते हैं। जब गाड़ी टोल पर आती है तो फास्टैग सही से रीड नहीं कर पाता है। चालक टोल कर्मचारियों को अपने मोबाइल पर फास्टैग वॉलेट में पूरा पैसा दिखाता है। इसके बाद वहां बहस होने लगती है। इससे टोल पर कतार लंबी हो जाती है। जाम लगने के बाद लोग पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस गाड़ियों को बिना टोल दिए निकाल देती है ताकि जल्द से जल्द जाम हट जाए। इस टोल से प्रतिदिन 85000 वाहन गुजरते हैं।

गुरुवार को बारह बजे के आसपास एक कार चालक फास्टैग लेन में घुस गया और दो गुना टोल न देने पर बहस करने लगा। चालक राजकुमार का कहना था कि पीछे कहीं नहीं लिखा है कि कौन सी लेन नकद की है और कौन सी फास्टैग की। जानकारी देने के लिए वहां पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था जो आसानी से नजर नहीं आ रहा था।

टोल प्रोजेक्ट हेड भाटी ने बताया कि फास्टैग लेन में आने वाले बिना टैग वाले वाहनों से दोगुना टोल लिया जाता है और हर रोज करीब 3500 गाड़ियों से दो गुना टोल लिया जा रहा है जिसकी कीमत लगभग छह लाख रुपए होती है। भाटी के मुताबिक 80 फीसद चालक अब फास्टैग लेन से गुजरने लगे हैं। 15 फरवरी के लिए हर रोज गैर व्यस्त समय में दो लेन नकद की चलाकर ट्रायल किया जाता है। टोल के रखरखाव का कार्य स्काइलार्क कंपनी करती है जबकि टोल संग्रह का कार्य मिलेनियम सिटी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड (एमसीईपीएल) के पास है। खेड़की दौला टोल को पांचगांव ले जाने की योजना है। इसके लिए भूमि भी अधिग्रहित कर ली गई है। 30 एकड़ में बनने वाले इस टोल पर कुल 28 लेन होंगी और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

जामिया के प्रदर्शनकारियों पर 'नाबालिग' ने चलाई गोली

पेज 1 का बाकी

हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

इस घटना के विरोध में रात होने के साथ ही क्षेत्र में व्यापक प्रदर्शन शुरू हो गया। आंदोलनकारी छात्र और विश्वविद्यालय के पास जमा अन्य सैकड़ों लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। महिलाओं सहित कुछ प्रदर्शनकारियों को जबर्दस्ती ले जाते हुए देखा गया। मार्च में शाहीन बाग में घरने पर बैठे लोग, जामिया के छात्र-छात्राएं, पूर्व छात्रों के अलावा स्थानीय निवासी शामिल थे। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए चार लोगों को रिहा किए जाने के बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त डीसी श्रीवास्तव ने बताया कि एक को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को छोड़ दिया गया है।

इस घटना को अंजाम देने से पहले नाबालिग ने सोशल मीडिया फेसबुक एकाउंट से कई विवादित पोस्ट भी किए थे। हालांकि, पुलिस का कहना है कि फेसबुक पर प्रोफाइल उसी का है या नहीं, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।

इस पूरी घटना से क्षेत्र में खलबली मच गई। यह घटना टेलीविजन कैमरों में रिकार्ड हो गई जिसमें दिखा कि हल्के रंग की पैंट और गहरे रंग की जैकेट पहने नाबालिग पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाई गई खाली सड़क से निकलता है और मुड़कर प्रदर्शनकारियों पर चिल्लाता है 'ये लो आजादी'। उसके पीछे पुलिसकर्मियों का एक समूह भी दिखा। विशेष सीपी (खुफिया) प्रवीर रंजन ने कहा, 'पुलिस जब तक प्रतिक्रिया जताती, वह गोली चला चुका था। सब कुछ सेकेंड में हुआ। जांच जारी है और मामले को अपराध शाखा को सौंप दिया गया है।' उन्होंने कहा कि हमने उसे पकड़ लिया है। हम इसकी जांच कर रहे हैं कि वह किशोर है या नहीं।

पिस्तौल दिखाने से पहले वह फेसबुक पर लाइव हुआ था जिसमें उसने अपनी पहचान रामभक्त गोपाल बताई थी। पुलिस ने कहा कि वह इसकी जांच कर रही है कि क्या यह उसका वास्तविक नाम है। इस घटना से पहले व्यक्ति ने फेसबुक पर संदेश पोस्ट किए, 'शाहीनबाग का खेल खत्म।'

छात्रों ने स्थिति को समझदारी से संभाला : कुलपति

पेज 1 का बाकी

करेगा और उसके लिए परीक्षा की तारीखों में बदलाव करेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों ने स्थिति को समझदारी से संभाला, जवाबी कार्रवाई नहीं की। कुलपति ने कहा कि पुलिस देखती रही, व्यक्ति ने पिस्तौल लहराई और हमारे छात्र को गोली मार दी। घटना ने पुलिस में हमारे यकीन को हिला दिया है।

www.readwhere.com

सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2) के अनुरूप) के मामले में

जीटीएचएस रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN U74999DL1994PTC061301) - परिसमापन में

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जीटीएचएस रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन के तहत) के मामले में परिसमापक के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने **29 जनवरी, 2020** को माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली के समक्ष हितधारकों की सूची दायर की है। भारतीय दिवाला और ऋण अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन 2016 के विनियमन 12 (3) के रेगुलेशन 31 (2) के प्रावधान 2016 में पढ़े जाएँ।

चूंकि कंपनी (कॉर्पोरेट देनदार) की कोई कार्यात्मक वेबसाइट नहीं है, इसलिए **परिसमापक की सूची परिसमापक** द्वारा प्रदत्त दावों की राशि का पूरा विवरण दिखाती है जो दावे सुरक्षित/असुरक्षित है, परिसमापक के कार्यालय में निरीक्षण के लिए **ए-2, पहली मंजिल, सी-18, मसूदपुर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070** में उपलब्ध होंगे।

हितधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी के पास दायर की गई हितधारकों की सूची में प्रविष्टियों के किसी भी संशोधन को केवल माननीय एनसीएलटी के पास एक आवेदन पत्र भरकर किया जा सकता है।

रमित रस्तोगी

दिनांक : 31.01.2020 **परिसमापक** – जीटीएचएस रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली **पंजीकृत सं.** IBBI/IPA-002/IP-N00364/2017-18/11032

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली- 110066
सीआईएन: L74999DL2003GOI118633 ईमेल: investors@rvnl.org

सूचना

एतद्द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ('सूचीयन विनियमावली') के विनियम 29, 33 और 42 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक **बुधवार, 12 फरवरी, 2020** को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, (i) **31 दिसम्बर, 2019** को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु कम्पनी के अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (पृथक्कृत एवं समेकित) तथा (ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अंतरिम लाभांश, यदि कोई, के भुगतान एवं उसके लिए रिकार्ड तिथि नियत करने पर विचार, अनुमोदन एवं अभिलेखबद्ध करने का कार्य निष्पादित किया जाएगा।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org तथा स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है।

'पदनामित व्यक्तियों और उनके निकट सम्बन्धियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन तथा प्रतिवेदन के लिए आरवीएनएल आचार संहिता' के अनुसरण में ट्रेडिंग विन्डो बंद रहने की अवधि **01 जनवरी, 2020** से आरंभ हो चुकी है तथा **12 फरवरी, 2020** को वित्तीय परिणाम सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद समाप्त रहेगी।

कृते रेल विकास निगम लिमिटेड
हस्ता.
कल्पना दुबे
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : **30.01.2020**

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली
के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले में
और
मै0 डायनिमिक रियलकान प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय **रिगस एलिगेन्स, द्वितीय तल, जसोला, डिस्ट्रिक सेन्टर, ओल्ड मथुरा रोड, नई दिल्ली -110025** में स्थित है के मामले मे.........याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कम्पनी केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसरण में पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए इसके मेमोरन्डम आफ एसोसिएशन में बदलीकरण जो कि कंपनी की असाधारण आम सभा दिनांक 25 मार्च 2019 में विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया है कि सम्पुष्टि हेतु क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन दर्ज करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रारूप एमसीए – 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में फाइल कर शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय बी – 2 विंग दूसरा तल पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली– 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते डायनिमिक रियलकान प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/-
दीपक कुमार सिंह
निदेशक
06760041

दिनांक– 27.01.2020
स्थान– नई दिल्ली

रिगस एलिगेन्स, द्वितीय तल, जसोला, डिस्ट्रिक सेन्टर, ओल्ड मथुरा रोड, नई दिल्ली -110025

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

समक्ष वसूली अधिकारी–प्रथम, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
माँग तथा उपस्थित होने की सूचना

(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी. संख्या 203/2019, टी.ए. संख्या 22/2018 डायरी संख्या 577, दिनांक: 20.12.2019

इण्डियन ओवरसीज बैंक बनाम **मैसर्स सनलाइट एंटरप्राइजेज एवं अन्य**
शाखा रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, नैनीताल रोड, उत्तराखण्ड

सेवा में,
सीडी. 1: मैसर्स सनलाइट एंटरप्राइजेज प्रोपराइटर सलीम खान पुत्र श्री जमील खान, निवासी: ई-10, निकट शारदा हेल्थ पार्क, शांति कॉलोनी, किच्छा रोड, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड-263153।
द्वितीय पताः शुक्ला फार्म, रुद्रपुर, जिला– उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड– 263153
सीडी. 2: सलीम खान पुत्र श्री जमील खान, निवासी: खेड़ा कॉलोनी, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड– 263153 **सर्टिफिकेट डेब्टर्स**

(v) यह सूचित करना है कि आप पर **रू0 29,89,589.97/–** (उन्तीस लाख नवासी हजार पांच सौ नवासी रूपये सत्तानवे पैसे मात्र) + बाद कालीन प्रभावी ब्याज, ओ.ए. को दिनांक 21.12.2015 से **@11.00%** प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्त खर्च बकाया है। जो कि प्रीसाइडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण–देहरादून के द्वारा दिनांक **23.03.2019** को जारी वसूली प्रमाणपत्र के **टी.ए. 22/2018** के अनुसार आपके विरुद्ध **रू0 32,000.000** का बाद व्यय सहित देय है।

(vi) आप को यह मांग पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर उपर्युक्त लिखित राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है, जिसमें असमर्थ रहने पर ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और नियम के अनुसार वसूली की जाएगी।

(vii) उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
सी) इस प्रमाण पत्र / निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चे।
डी) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।

(viii) यदि आप द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता उस स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक **06.03.2020** को समय 11.00 पूर्वान्ह उपस्थित हों।

अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से **20 दिसम्बर, 2019** से जारी।

रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी, देहरादून

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
मैसर्स पाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**मैसर्स पाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	23-08-2013
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45300DL2013PTC256843
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पंजीकृत कार्यालय** : प्लॉट सं. 1, भूतल, किलकोरी, महारानी बाग, दिल्ली–110065
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	27.01.2020, जो माननीय एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश की तिथि है [आईआरपी द्वारा आदेश 29.01.2020 को प्राप्त हुआ]
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	24.07.2020 (समाधान प्रक्रिया के प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन अर्थात आदेश की तिथि)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	श्री मनोज कुमार सिंह, पंजीकरण सं. : IBBI/ IPA-003/IP-N00050/2017-18/10443
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	मार्स एण्ड एसोसिएट्स, कॉस्ट एकाउण्टेन्ट्स 203, दूसरा तल, 10 सिक्का कॉम्पलेक्स कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली, दिल्ली–92, ई–मेल आईडी : cma.msingh@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	मार्स एण्ड एसोसिएट्स, कॉस्ट एकाउण्टेन्ट्स 203, दूसरा तल, 10 सिक्का कॉम्पलेक्स कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली, दिल्ली–92, ई–मेल आईडी : cma.msingh@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	12 फरवरी, 2020
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तहत आवंटिती
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. **श्री सन्दीप खन्ना;** आईपी पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-0003/IPA-ICAI/N/00186/2018-2019/12290 पता : 604 सुपरटेक रेजीडेंसी, प्लॉट सं. 6ए, सेक्टर–5, वैशाली, गाजियाबाद–201010 ई–मेल : cma.skhanna@gmail.com 2. **विष्णु उपाध्याय;** आईपी पंजीकरण सं. : IBBI /IPA-003/IP-N000153/2018-19/11843 पता : ए–44, भास्कर एन्कलेव–II, निकट हरबिंगर हाइट्स, गोलीआवास, वीटी रोड, मानसरोवर, जयपुर– 302020 राजस्थान (भारत) I201012, ई–मेल : Jayant_prakash@yahoo.com
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेबलिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता : उपलब्ध नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने आदेश दिनांक 27.01.2020 को **मैसर्स पाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

मैसर्स पाम **डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड** के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 12 फरवरी, 2020 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, प्रपत्र सीए में श्रेणी [रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तहत आवंटिती] के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से प्रपत्र सीए में अपनी पसन्द का अधिकृत प्रतिनिधि निर्दर्शित करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

मनोज कुमार सिंह
मैसर्स पाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00050/2017-18/10443
पता : मार्स एण्ड एसोसिएट्स कॉस्ट एकाउण्टेंट्स
203, द्वितीय तल, 10 सिक्का कॉम्पलेक्स कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली–92
ई–मेल आईडी : cma.msingh@gmail.com

तिथि : 31.01.2020
स्थान : दिल्ली

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India BOI

बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, ''स्टार हाउस'', तीसरी मंजिल, एच-2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001. दूरभाष नं. : 011-23755606, 23755605

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल/अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

1. एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की ऋणधारकों/गारन्टरों : मैसर्स एस.के. गोल्ड चेन कं. प्रा.लि., श्री सुरेश कुमार वर्मा, श्रीमती जमुना देवी, श्री राजीव वर्मा, श्री संजीव वर्मा, श्री विजय पाल सोनी से बैंक ऑफ इण्डिया के 29.06.2014 तक बकाया रु. 1143.53 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों की वसूली के लिये 07.03.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण : मैसर्स एस.के. गोल्ड चेन कं. प्रा.लि. के नाम पर सं. 2363/197, खसरा नं. 2341, गणेशपुरा बी, त्रिनगर, नई दिल्ली पर निर्मित सम्पत्ति। कब्जा करने की तिथि : 07.06.2018 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 133.21 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 13.33 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 18.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

अधिकृत प्राधिकारी
राकेश कुमार जैन
तिथि : 29.01.2020
स्थान : नई दिल्ली **मोबाइल : 9557539889**

2. एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की ऋणधारकों/गारन्टरों : मैसर्स डेल्ही डायमण्ड प्रा.लि., श्री मुरारी लाल सोनी, श्री मुकेश सेनी, श्रीमती सीता देवी, श्रीमती ज्योति सोनी से बैंक ऑफ इण्डिया के 31.12.2014 तक बकाया रु. 4316.46 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों तथा कॉर्पोरेशन बैंक के बकायों रु. 1919.03 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों की वसूली के लिये 07.03.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।
सम्पत्ति का विवरण : i) श्री मुकेश सोनी पुत्र स्व. श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व में बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली पर स्थित प्लॉट सं. 99, खसरा नं. 2731/2616 पर निर्मित ब्लॉक-पी में सम्पत्ति निगम सं. 3162-64 वार्ड सं. XVI का भाग, वाणिज्यिक सम्पत्ति निजी सं. जी-1, भूतल टेरस के अधिकार रहित। कब्जा करने की तिथि : 02.07.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 200.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 20.00 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
ii) श्री मुकेश सोनी पुत्र स्व. श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व में बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली पर स्थित प्लॉट सं. 99, खसरा नं. 2731/2616 पर निर्मित ब्लॉक-पी में सम्पत्ति निगम सं. 3162-64 वार्ड सं. XVI का भाग, वाणिज्यिक सम्पत्ति निजी सं. जी-2, भूतल टेरस के अधिकार रहित। कब्जा करने की तिथि : 02.07.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 196.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 19.60 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
iii) श्री मुकेश सोनी पुत्र स्व. श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व में बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली पर स्थित प्लॉट सं. 99, खसरा नं. 2731/2616 पर निर्मित ब्लॉक-पी में सम्पत्ति निगम सं. 3162-64 वार्ड सं. XVI का भाग, वाणिज्यिक सम्पत्ति निजी सं. जी-3, भूतल टेरस के अधिकार रहित। कब्जा करने की तिथि : 02.07.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 200.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 20.00 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
iv) श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व. श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व में हरध्यान सिंह रोड, बस्ती रैगरपुरा, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली पर स्थित प्लॉट सं. 14, खसरा नं. 2833/2614 पर निर्मित ब्लॉक-ओ में सम्पत्ति निगम सं. 3015 वार्ड सं. XVI में वाणिज्यिक सम्पत्ति का सम्पूर्ण प्रथम तल। कब्जा करने की तिथि : 05.07.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 333.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 33.30 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
v) श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व. श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व में हरध्यान सिंह रोड, बस्ती रैगरपुरा, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली पर स्थित प्लॉट सं. 14, खसरा नं. 2833/2614 पर निर्मित ब्लॉक-ओ में सम्पत्ति निगम सं. 3015 वार्ड सं. XVI में वाणिज्यिक सम्पत्ति का सम्पूर्ण द्वितीय तल। कब्जा करने की तिथि : 02.07.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 378.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 37.80 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
vi) श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व. श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व में हरध्यान सिंह रोड, बस्ती रैगरपुरा, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली पर स्थित प्लॉट सं. 14, खसरा नं. 2833/2614 पर निर्मित ब्लॉक-ओ में सम्पत्ति निगम सं. 3015 वार्ड सं. XVI में वाणिज्यिक सम्पत्ति का सम्पूर्ण तृतीय तल। कब्जा करने की तिथि : 02.07.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 300.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 30.00 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
vii) श्रीमती ज्योति सोनी पत्नी मुकेश सोनी (जमानती) के स्वामित्व में ब्लॉक एवं गली सं. 9 एवं 10, नाईवाला एस्टेट, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली पर स्थित प्लॉट सं. 1, खसरा नं. 323 पर निर्मित ब्लॉक-ओ में सम्पत्ति निगम सं. 2465/10, वार्ड सं. XVI में वाणिज्यिक सम्पत्ति का चौथा तल। कब्जा करने की तिथि : 12.07.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 174.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 17.40 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
viii) श्री मुरारी लाल सोनी पुत्र स्व. श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व में सम्पत्ति निगम सं. 2746, वार्ड सं. 34, ब्लॉक-पी, गली नं. 22-23, सरस्वती मार्ग, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली का बेसमेंट। कब्जा करने की तिथि : 07.08.2018 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 739.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 73.90 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
ix) श्री मुरारी लाल सोनी पुत्र स्व. श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व में वार्ड सं. XVI, ब्लॉक-पी, गली नं. 26, बस्ती रैगरपुरा, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली पर सम्पत्ति सं. 3319, 3335 तथा 3336, पूर्वी भाग पर तृतीय तल पर आधा भाग। कब्जा करने की तिथि : 07.08.2018 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 224.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 22.40 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

अधिकृत प्राधिकारी
राकेश कुमार जैन
तिथि : 29.01.2020
स्थान : नई दिल्ली **मोबाइल : 9557539889**

3. एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की ऋणधारकों/गारन्टरों : मैसर्स बंसल डायमण्ड्स प्रा.लि., श्री सुरिन्दर कुमार बंसल, श्रीमती शेफाली बंसल, श्री देसराज अग्रवाल, मैसर्स एसएसके ट्रेडिंग प्रा.लि., मैसर्स ए.एस. टेक्नोबिल्ड प्रा.लि. से बैंक ऑफ इण्डिया के 28.07.2014 तक बकाया रु. 5901 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों तथा अन्य संकाय सदस्य बैंक के बकायों रु. 18200 लाख + यूसीआई की वसूली के लिये 07.03.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।
सम्पत्ति का विवरण : i) श्री सुरिन्दर कुमार बंसल के नाम पर लोअर ग्राउण्ड फ्लोर/बेसमेंट, डायमण्ड प्लाजा, सम्पत्ति सं. 2502, गली नं. 7 एवं 8, मेन गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 माप 1440 वर्ग फीट में दुकान नं. 1, 2, 3, 4. कब्जा करने की तिथि : 04.02.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 401.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 40.10 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
ii) श्री सुरिन्दर कुमार बंसल के नाम पर लोअर ग्राउण्ड फ्लोर/बेसमेंट, डायमण्ड प्लाजा, सम्पत्ति सं. 2502, गली नं. 7 एवं 8, मेन गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 माप 612 वर्ग फीट में दुकान नं. 5. कब्जा करने की तिथि : 04.02.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 171.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 17.10 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
iii) श्री सुरिन्दर कुमार बंसल के नाम पर ग्राउण्ड फ्लोर, डायमण्ड प्लाजा, सम्पत्ति सं. 2502, गली नं. 7 एवं 8, मेन गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 माप 200 वर्ग फीट में दुकान नं. 4. कब्जा करने की तिथि : 04.02.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 138.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 13.80 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
iv) श्री सुरिन्दर कुमार बंसल के नाम पर प्रथम तल, सम्पत्ति सं. 2059, गली नं. 38, ब्लॉक-जी, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 माप 308 वर्ग फीट में दुकान नं. 112. कब्जा करने की तिथि : 04.02.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 109.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 10.09 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
v) श्री सुरिन्दर कुमार बंसल के नाम पर प्लॉट नं. 29, ब्लॉक-जे, गली नं. 60-61, नाई वाला, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पर निर्मित द्वितीय तल, छत के अधिकार रहित, निगम सं. 2162-64 एवं 2174-75, वार्ड सं. XVI पर सम्पत्ति, माप 1070 वर्ग फीट। कब्जा करने की तिथि : 04.02.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 146.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 14.60 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
vi) मैसर्स ए.एस. टेक्नोबिल्ड प्रा.लि. के स्वामित्व में प्लॉट नं. 231, सर्विस सेंटर, सेक्टर-9, द्वारका, दिल्ली पर निर्मित वाणिज्यिक सम्पत्ति। माप 5814 वर्ग फीट। कब्जा करने की तिथि : 18.04.2019 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 2229.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 222.90 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

अधिकृत प्राधिकारी
राकेश कुमार जैन
तिथि : 29.01.2020
स्थान : नई दिल्ली **मोबाइल : 9557539889**

4. एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की ऋणधारकों/गारन्टरों : मैसर्स ए.एफ. गारमेंट्स, श्री अशरफ अहमद, श्री खालिद अनवर से बैंक ऑफ इण्डिया के 28.03.2016 तक बकाया रु. 204.06 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों की वसूली के लिये 07.03.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण : श्री खालिद अनवर के नाम पर गली नं. 41 एवं 38, जाफराबाद, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110053 (माप 106 वर्ग गज) की आबादी में खसरा नं. 64 में से प्लॉट सं. 1303, ग्राम जाफराबाद पर स्थित निर्मित सम्पत्ति। कब्जा करने की तिथि : 10.06.2016 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 105.50 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 10.55 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 21.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

अधिकृत प्राधिकारी
राकेश कुमार जैन
तिथि : 29.01.2020
स्थान : नई दिल्ली **मोबाइल : 9557539889**

5. एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की ऋणधारकों/गारन्टरों : मैसर्स जोरेन हॉप्स इण्डिया प्रा.लि., श्री हरिओम त्यागी, श्री श्रीकान्त त्यागी, श्री पंकज शर्मा, श्री श्रीओम त्यागी, श्री हंसराज दत्त शर्मा, श्री जय बाबू, श्री अतर सिंह, मैसर्स परफेक्ट इन्फ्रा, श्री रतन सिंह एवं मैसर्स यूनिक सेल्स, श्री केशव कुमार से बैंक ऑफ इण्डिया के 28.06.2016 तक मैसर्स जोरेन हॉप्स इण्डिया प्रा.लि. बकाया रु. 113.56 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों, 28.06.2016 तक मैसर्स परफेक्ट इन्फ्रा रु. 10.05 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों, 28.06.2016 तक मैसर्स यूनिक सेल्स रु. 96.81 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों की वसूली के लिये 07.03.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण : श्री जय बाबू एवं श्री अतर सिंह के नाम पर खसरा नं. 1907 (खाता नं. 143) माप 92.45 वर्ग मीटर, कालिन्दी विहार, 100 फुटा लिंक रोड, काशी राम आवास योजना फ्लैट के सामने, न्यू आबादी, मौजा नराइच, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा के भाग पर आवासीय सम्पत्ति (भूमि एवं भवन)। कब्जा करने की तिथि : 29.11.2018 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 99.00 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 9.90 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 21.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

अधिकृत प्राधिकारी
राकेश कुमार जैन
तिथि : 29.01.2020
स्थान : नई दिल्ली **मोबाइल : 9557539889**

6. एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की ऋणधारकों/गारन्टरों : मैसर्स हारून एण्ड कम्पनी, श्री शमशाद अहमद उर्फ मुहम्मद हारून, श्रीमती शबीला बेगम से बैंक ऑफ इण्डिया के 28.06.2017 से बकाया रु. 144.00 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों की वसूली के लिये 07.03.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण : श्री शमशाद अहमद उर्फ श्री मुहम्मद हारून के नाम पर एमपीएल सं. 1164 भूतल पर स्थित आवासीय सम्पत्ति (भूमि एवं भवन) एवं श्रीमती शबीला बेगम पत्नी श्री शमशाद अहमद के नाम पर गली सुनार वाली, काला महल, दरियागंज, दिल्ली-110002 पर भूतल, माप : 77.80 वर्ग गज प्रत्येक तल। कब्जा करने की तिथि : 12.02.2018 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 36.10 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 3.61 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 25.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

अधिकृत प्राधिकारी
राकेश कुमार जैन
तिथि : 29.01.2020
स्थान : नई दिल्ली **मोबाइल : 9557539889**

7. एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की ऋणधारकों/गारन्टरों : मैसर्स केडिया ज्वेलर्स प्रा.लि., श्री अचल केडिया, श्रीमती मधु केडिया, मैसर्स गोल्डलाइन ज्वेल्स प्रा.लि. से बैंक ऑफ इण्डिया के 28.03.2016 तक बकाया रु. 185.23 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों की वसूली के लिये 07.03.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण : मैसर्स गोल्डलाइन ज्वेल्स प्रा.लि. के स्वामित्व में बस्ती रैगर, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पर स्थित तृतीय तल, सम्पत्ति निगम सं. 3272 (पूर्वी ओर का हिस्सा) वार्ड सं. XVI, खसरा नं. 2657/2616, ब्लॉक-पी, गली नं. 27 पर फ्लैट। माप : 25 वर्ग गज। कब्जा करने की तिथि : 15.06.2017 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 29.70 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 2.97 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

अधिकृत प्राधिकारी
राकेश कुमार जैन
तिथि : 29.01.2020
स्थान : नई दिल्ली **मोबाइल : 9557539889**

8. एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की ऋणधारकों/गारन्टरों : मैसर्स सिंघल फ्यूल इण्डस्ट्रीज, श्री दिनेश कुमार सिंघल, श्रीमती शशि सिंघल से बैंक ऑफ इण्डिया के 28.01.2014 तक बकाया रु. 591.61 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों की वसूली के लिये 07.03.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण : श्री दिनेश कुमार सिंघल के नाम पर पीएच नं. 51, सर्वे नं. 44/6, ग्राम भोजपुर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, म.प्र.-473551 पर स्थित भूमि एवं भवन, माप 0.78 हेक्टेयर तथा मैसर्स ईएन फ्यूल इण्डस्ट्रीज (प्रोपराइटर दिनेश कुमार सिंघल) पीएच सं. 51,सर्वे नं. 44/9, ग्राम भोजपुर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, म.प्र.-473551 पर फ्रीहोल्ड ओपन वाणिज्यिक रूप से परिवर्तित 0.78 हेक्टेयर भूमि तथा संयन्त्र एवं मशीनरी। कब्जा करने की तिथि : 29.07.2015 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 199.28 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 19.93 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 27.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

अधिकृत प्राधिकारी
राकेश कुमार जैन
तिथि : 29.01.2020
स्थान : नई दिल्ली **मोबाइल : 9557539889**

9. एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की ऋणधारकों/गारन्टरों : मैसर्स वत्स फ्यूल इण्डस्ट्रीज, श्री रामसिंह, श्रीमती शीला सिंह से बैंक ऑफ इण्डिया के 28.01.2014 तक बकाया रु. 570.64 लाख + यूसीआई एवं अन्य प्रभारों की वसूली के लिये 07.03.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण : श्री रामसिंह के नाम पर पीएच नं. 51, सर्वे नं. 44/7, ग्राम भोजपुर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, म.प्र.-473551 पर स्थित भूमि एवं भवन, माप 0.78 हेक्टेयर तथा मैसर्स ईको फ्यूल इण्डस्ट्रीज पीएच सं. 51,सर्वे नं. 44/8, ग्राम भोजपुर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, म.प्र.-473551 पर फ्रीहोल्ड ओपन वाणिज्यिक रूप से परिवर्तित 0.78 हेक्टेयर भूमि तथा संयन्त्र एवं मशीनरी। कब्जा करने की तिथि : 29.07.2015 (भौतिक)। आरक्षित मूल्य रु. 199.29 लाख होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 19.93 लाख होगी। निरीक्षण की तिथि तथा समय : 27.02.2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

अधिकृत प्राधिकारी
राकेश कुमार जैन
तिथि : 29.01.2020
स्थान : नई दिल्ली **मोबाइल : 9557539889**

नियम एवं शर्तें:

1) यह नीलामी बिक्री वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp के द्वारा ''ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' प्रक्रिया के माध्यम से होगी।
2) ईएमडी राशि के साथ दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि 05.03.2020 के 5.00 बजे अप. तक है।
3) नीलामी की तिथि एवं समय : 07.03.2020 के 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक प्रति 5 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ।
4) नीलामी आरक्षित मूल्य + प्रथम वृद्धि मूल्य, जैसा कि बैंक की वेबसाइट पर उल्लिखित है, शुरू होगी। बोलीदाता उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोली वृद्धि मूल्य के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं।
5) इच्छुक बोलीदाता को पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जिसके बाद ही उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑन लाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
6) इच्छुक बोलीदाता को नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व स्वयं ही उपरोक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी भी सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि से संबंधित अपनी स्वयं की पूछताछ करना होगा। संपत्ति की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी विद्यमान एवं भावी अधिभारों के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडीटर किसी भी थर्ड पार्टी के बकाए/दावे/अधिकारों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
7) उपरोक्त अनुसूची में वर्णित विवरण प्राधिकृत अधिकारी/बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुरूप दी गई है। लेकिन, इस सार्वजनिक सूचना में किसी त्रुटि, गलत-विवरणों अथवा खामियों के लिए प्राधिकृत अधिकारी तथा/अथवा बैंक उत्तरदायी नहीं होंगे।
8) उपरोक्त आरक्षित मूल्य से कम में उक्त संपत्तियों की बिक्री नहीं की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को 05.03.2020 के 5.00 बजे अप. तक सभी सम्पत्तियों के लिए ऊपर वर्णित संपत्ति की खरीद, खाता का नाम के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ''ई-नीलामी के लिए ईएमडी'' के रूप में शीर्षांकित लिफाफे में निम्न दस्तावेजों/ विवरणों को जमा करना होगा।
क) ईएमडी राशि के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस, यूटीआर नं. के साथ उसकी रसीद के द्वारा ही अभिस्वीकृत की जाएगी।
ख) पैन कार्ड, आईडी प्रूफ तथा पते के प्रमाण की फोटो कॉपी। लेकिन, सफल बोलीदाता को शेष 25% बोली राशि का भुगतान करने के समय बैंक के पास इनके मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
ग) बोलीदाता का नाम, संपर्क सं., वैकल्पिक सं.. पता, ई-मेल आईडी एवं बोलीदाता का फोटोग्राफ।
घ) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड के लिए बोलीदाता की खाताओं का विवरण।
9) उच्चतम/सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी राशि समायोजित की जायेगी अन्यथा बिक्री के निर्धारण के 5 दिनों के भीतर वापस लौटा दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। यदि बोलीदाता बोली/ईएमडी राशि जमा करने के बाद ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उनकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर माना जायेगा तथा उन्हें सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा बशर्तें वे एकाकी बोलीदाता हों।
10) उच्चतम/सफल बोलीदाता को तत्काल किन्तु बिक्री के मामले में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकृति के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) पूर्व-प्रदत्त ईएमडी सहित 25% बोली/क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी।
11) शेष 75% बिक्री/क्रय मूल्य का भुगतान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों (बैंकिंग अवधि के दौरान) के भीतर अथवा प्रतिभूत क्रेडीटर की इच्छा पर लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर की जायेगी, निर्धारित अवधि में इस शेष राशि के भुगतान में चूक करने पर पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा प्राधिकृत अधिकारी/बैंक नीलामी को निरस्त करने तथा नई नीलामी आयोजित करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
12) सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेंगे तथा उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जायेगा तथा बैंक द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
13) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये उच्चतम बोली को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हैं तथा किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का उन्हें अधिकार है तथा उनकी संप्रभु इच्छा पर बिक्री की शर्तों को संशोधित, परिवर्तित करने तथा उसमें छूट देने का उन्हें अधिकार प्राप्त है।
14) यह प्रकाशन अग्रिम में उपरोक्त ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों के लिये 30 दिनों की सूचना है।

www.readwhere.com

नई परिवहन नीति की योजना बना रही है सरकार : गडकरी

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार नई परिवहन नीति लाने की योजना बना रही है। नई नीति में देश की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार व नवोन्मेष पर जोर दिया जाएगा व इस तरह की मुहिमों के लिए वित्तीय मदद का प्रावधान होगा। गडकरी ने राज्यों के परिवहन निगमों को सीएनजी, एलएनजी और एथेनॉल जैसे जैव ईंधन समेत वैकल्पिक ईंधन अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी कम होगी।

वायदा व विकल्प निपटान के बीच सूचकांक 285 अंक लुढ़का

मुंबई, 30 जनवरी (भाषा)।

जनवरी के डेरिवेटिव अनुबंधों के समाप्त होने के बीच चीन के कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ने से गुरुवार को शेयर बाजारों में गिरावट आई। भारत में गुरुवार को नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। केरल में एक छात्र को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया।

बंबई शेयर बाजार के तीस शेयरों वाले सूचकांक में कारोबार के दौरान 550 अंक का उतार-चढ़ाव आया। अंत में यह 284.84 अंक या 0.69 फीसद के नुकसान से 40,913.82 अंक पर बंद हुआ। यह 40,829.91 अंक के निचले स्तर तक गया। इसने 41,380.14 अंक का उच्चस्तर भी छुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 93.70 अंक या 0.77 फीसद के नुकसान से 12,035 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सबसे अधिक 2.62 फीसद नीचे आया। नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एसबीआइ के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं दूसरी ओर बजाज ऑटो, पावरग्रिड, आईसीआईसीआइ बैंक, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, एचडीएफसी, एलएंडटी और मारुति के शेयर लाभ में रहे। विश्लेषकों ने कहा कि जनवरी के वायदा व विकल्प अनुबंधों के निपटान से पहले बाजार में काफी उतार-चढ़ाव रहा। उन्होंने कहा कि अन्य एशियाई बाजारों में कमजोरी व वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चीन के कोरोना वायरस से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर यहां भी धारणा कमजोर हुई। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि कोरोना वायरस अन्य देशों में भी फैल रहा है, जिससे आर्थिक सुस्ती की आशंका प्रबल हो रही है। जो कुछ तिमाही नतीजे आए हैं वे अर्थव्यवस्था में सुधार की सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं।

बंदरगाहों पर सड़ रहा विदेश से आया प्याज

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

केंद्र सरकार बंदरगाहों पर सड़ रहे आयातित प्याज को 22-23 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बेच सकती है। यह प्याज के मौजूदा बाजार भाव की तुलना में करीब 60 फीसद कम है। सूत्रों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

केंद्र सरकार अभी राज्य सरकारों को 58 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आयातित प्याज मुहैया करा रही है। केंद्र सरकार परिवहन खर्च का भी उठा रही है।

सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए नवंबर, 2019 में एमएमटीसी के जरिए 1.2 लाख टन प्याज का आयात करने का निर्णय लिया था। एमएमटीसी विदेशी बाजारों से 14 हजार टन प्याज का आयात कर चुकी है।

आयातित प्याज की बड़ी खेप बंदरगाहों विशेषकर महाराष्ट्र में पड़ी हुई है। नई फसल के बाजार में पहुंचने से खुदरा कीमतें नरम पड़ने लगी हैं। ऐसे में कई राज्य उच्च दर पर आयातित प्याज खरीदने को तैयार नहीं हैं।

सूत्रों ने कहा कि आयातित प्याज का स्वाद भी घरेलू प्याज की तुलना में अलग है। इसके कारण कई राज्यों ने आयातित प्याज के ठेके रद्द कर दिए।

उन्होंने कहा कि आयातित प्याज की नरम मांग को देखते हुए एमएमटीसी ने अभी तक महज 14 हजार टन प्याज की ही खरीद की है, जबकि उसने 40 हजार

टन प्याज आयात करने के ठेके दिए हैं। अभी तक आयातित प्याज की बड़ी खेप भी बंदरगाहों पर पड़ी है।

नाफेड, मदर डेयरी तथा इच्छुक राज्य सरकारें मंडियों में वितरण के लिए 22-23 रुपए प्रति किलो की दर से आयातित प्याज खरीद सकती हैं।

प्रधानमंत्री किसान योजना के आबंटन में हो सकती है 20 फीसद कटौती

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

केंद्र सरकार आगामी आम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आबंटन करीब 20 फीसद घटाकर करीब 60,000 करोड़ रुपए कर सकती है। इसका कारण योजना को कुछ राज्यों में क्रियान्वयित करने में आ रही बाधाएं हैं। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है।

केंद्र ने 2019-20 के बजट में इस योजना के लिए बजटीय अनुमान में 75,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया था। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को सालाना तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हालांकि, सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान 61,000 करोड़ रुपए पर आ सकता है। इसका कारण पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों द्वारा योजना को लागू नहीं किया जाना है। साथ ही कई राज्यों के पास किसानों का समुचित आंकड़ा नहीं है। एक सूत्र ने कहा कि सरकार 2020-21 के लिए करीब 61,000 करोड़ रुपए आबंटित कर सकती है। यह 2019-20 के संशोधित अनुमान के लगभग बराबर है।

सरकार ने फरवरी 2019 में पेश अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा सरकार कृषि कर्ज आबंटन लक्ष्य में 10 फीसद की वृद्धि कर सकती है। चालू चित्त वर्ष में 13.5 लाख करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य था। चालू वित्त वर्ष में कृषि कर्ज वितरण लक्ष्य के अनुरूप रहा है।

सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार कृषि बीमा योजना के लिए आबंटन 15,000 करोड़ रुपए कर सकती है, जो चालू वित्त वर्ष में 14,000 करोड़ रुपए है।

सरकार पहले ही दिसंबर 2019 तक 12,135 करोड़ रुपए आबंटित कर चुकी है।

NHHFDL

न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, मैज़नाईन तल, एम-4, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 कॉरपोरेट कार्यालय: सी-1, सैक्टर-3, नोएडा-201301, ईमेल- info@newhabitat.in, वेब: www.newhabitat.in
मोबाईल: +91-9654841478, फोन: +91 120 4180500 Extn: 1135

कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत **न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार का नाम/ सह-कर्जदार/गारंटर/ लोन खाता नं.	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि
श्री प्रशांत शर्मा और श्रीमती पूजा शर्मा निवासी : मकान नं. केके-109, कवि नगर, गाजियाबाद, यू.पी. -201002 खाता नं. HSG/N//HEA/NOI/0916/0018	फ्लैट नं. टीएफ-3 (तृतीय तल), बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नं. 13, खसरा नं. 13 मिन, वर्दु-टॉवर, महरौली सिरसीज विहार के पास, एनएच 24 का पश्चिमी हिस्सा, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद -201003, यू.पी में स्थित, चौहद्दी : पूरब में - डीगर मलिक का प्लॉट, पश्चिम में - 30फीट चौड़ा रोड, उत्तर में - डीगर मलिक का प्लॉट, दक्षिण में - 30फीट चौड़ा रोड	14-11-2019 / 28-01-2020	रु. 24,10,168/- (रु. चौबीस लाख दस हजार एक सौ अड़सठ मात्र) साथ में भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित
श्री विकास जैन और श्रीमती नेहा जैन निवासी: मकान नं. पी24, द्वितीय तल, शंकर नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, ईस्ट दिल्ली -110051 खाता नं. NHS/N/HEA/NOI/0516/0010	दुकान नं. 2, भूतल, सम्पत्ति नं. के-74, छोटी बिल्डिंग, कृष्णा नगर, गाँव घोण्डली, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 में स्थित, चौहद्दी : पूरब में - सम्पत्ति का हिस्सा, पश्चिम में - रोड, उत्तर में - सम्पत्ति नं. के - 74 का हिस्सा, दक्षिण में - सम्पत्ति नं. के - 74 का हिस्सा	14-11-2019 / 28-01-2020	रु. 11,11,513/- (रु. ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ तेरह मात्र) साथ में भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित
श्री विकास जैन और श्रीमती नेहा जैन निवासी: मकान नं. पी24, द्वितीय तल, शंकर नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली -110051 खाता नं. NHS/N/HEA/NOI/0617/0015	दुकान नं. 2, भूतल, सम्पत्ति नं. के-74, छोटी बिल्डिंग, कृष्णा नगर, गाँव घोण्डली, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 में स्थित, चौहद्दी : पूरब में - सम्पत्ति का हिस्सा, पश्चिम में - रोड, उत्तर में - सम्पत्ति नं. के - 74 का हिस्सा, दक्षिण में - सम्पत्ति नं. के - 74 का हिस्सा	14-11-2019 / 28-01-2020	रु. 15,95,840/- (रु. पंद्रह लाख पिचान्वे हजार आठ सौ चालीस मात्र) साथ में भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित

दिनांक: 28.01.2020, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

JAGJANANI TEXTILES LIMITED
Regd. Office- SCOs 33 and 34, RIICO Shopping Complex, Bagru Ext. I, Jaipur-303007 E-mail: jtlsgv@gmail.com, compliance@jagjananl.com
Phone: 0141-4104745
CIN: L17124RJ1997PLC013498

NOTICE

PURSUANT to the requirements of listing with BSE, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 10th February, 2020 at 02.00 PM at above Regd. Office address to inter-alia consider and approve the Unaudited Financial results of the Company for the Quarter ended 31st December, 2019 and any other matter with the permission of Chair.

For Jagjanani Textiles Limited
Sd/-
Ajay Sharma
Company Secretary

Place: Jaipur
Date: 29.01.2020

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
ट्रिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1995PTC069244)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **फ्लैट नं. 1235, सेक्टर-बी, पॉकेट-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, वह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु **शनिवार, 30 नवंबर 2019** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **फ्लैट नं. 1235, सेक्टर-बी, पॉकेट-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **ट्रिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
राकेश सूद
(निदेशक)
डीआइएन: 00988646

दिनांक: 31 जनवरी 2020
स्थान: नई दिल्ली

जिंदल पॉलि फिल्म्स लिमिटेड
[सीआईएन : L17111UP1974PLC003979]
पंजीकृत कार्यालय : 19वां के.एम., हापुड़-बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203408, फोन नंबर : 05732-228057
कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, फोन नंबर (011) 40322100, फैक्स : (011) 40322129
ई-मेल : cs_jpoly@jindalgroup.com वेबसाइट : www.jindalpoly.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 और विनियम 47 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निदेशक मंडल की एक बैठक बृहस्पतिवार, 13 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित की जानी निर्धारित है जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित समेकित एवं पृथक्कृत वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

प्रतिभूति व्यक्तियों के लिए कम्पनी के शेयरों में संव्यवहार के लिए ट्रेडिंग विंडो (ट्रेडिंग विन्डो) जिसमें अन्य विषयों के साथ, 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (पृथक्कृत एवं समेकित) पर विचार के प्रयोजनार्थ 15 फरवरी, 2020 (सहित) तक बंद रहेगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jindalpoly.com पर तथा स्टाक एक्सचेंजेज जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं की वेबसाइट नामतः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वास्ते जिंदल पॉलि फिल्म्स लिमिटेड
हस्ता./-
अमित जैन
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.01.2020

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
शाखा:- अमरोहा
पक्का बाग बिजनौर रोड, अमरोहा
Email: iob2980@iob.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा **28 जनवरी 2020** ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज बैंक, की देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
श्रीमती रानी पत्नी कैलाश कुमार (पंडकी जोया रोड बम्बो गढ़ हीरो एजेंसी के पीछे अमरोहा - 244221)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल संपत्ति स्थित पंडकी प्रजापति कॉलोनी अमरोहा खास बहार चुंगी हीरो एजेंसी के पास जोया रोड अमरोहा 244221 क्षेत्रफल 105.30 वर्ग मीटर, संपत्ति रानी पत्नी कैलाश कुमार के नाम। सीमायें- उत्तर: कैलाश कुमार की संपत्ति, दक्षिण: रास्ता 4.00 एम चौड़ा, पूर्व: आराजी रामजीलाल, पश्चिम: रास्ता 4.90 एम चौड़ा	02.11.2019	28.01.2020	रू 921644.30 + अगामी ब्याज (02.11.2019 से) + अन्य शुल्क

दिनांक- 30.01.2020 स्थान- अमरोहा प्राधिकृत अधिकारी

SMART CAPITAL SERVICES LIMITED
Regd. Off.: 325, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Ph: 9810260127, Email Id: smartcap.delhi@gmail.com
Website: www.smartcapitalservices.in, CIN: L74899DL1994PLC059877

Extracts of the Standalone Un-Audited Financial Results For the Quarter ended December 31, 2019

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ending 31/12/2019 (Un-Audited)	Year to date Figures for nine months ended 31/12/2019 (Un-Audited)	Corresponding 3 months ended in the previous year 31/12/2018 (Un-Audited)
1.	Total income from operations	639.35	2924.84	824.12
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(39.96)	70.41	(103.77)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(39.96)	70.41	(103.77)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(39.96)	52.10	(76.79)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(39.96)	52.10	(56.65)
6.	Equity Share Capital	450.12	450.12	450.12
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	(364.16)	(364.16)	(369.36)
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic :	(0.89)	1.16	(1.71)
	2. Diluted :	(0.89)	1.16	(1.71)

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Quarterly Financial Results are available on the Website of the Company i.e (www.smartcapitalservices.in) and website of the stock Exchange(s) (www.msei.in)
2. The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 30th January, 2020
3. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind -as rules (As amended).

For and on behalf of the Board of Directors of
Smart Capital Services Limited
Sd/-
Pawan Kumar Mittal
(Director)
DIN: 00749265

Place: New Delhi
Date: 30.01.2020

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
फैन्टाबुल्स टाउन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय "यूनिट नं. 201 ए, 2 रा तल, टावर ए, सिग्नेचर टावर, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम-122001 में है, के मामले में।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य " से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 30.12.2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 201 ए, 2 रा तल, टावर ए, सिग्नेचर टावर, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम-122001 में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते एवं के लिये,
फैन्टाबुलस टाउन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(ललित कुमार अग्रवाल)
निदेशक (DIN: 00203664)
निवासी: 34, रोड नं. 61, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली-110026

भारतीय साधारण बीमा निगम
सीआयएन: L67200MH1972GOI016133, आईआरडीएआई पंजीकरण सं.: 112
(भारत सरकार की कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय: सुरक्षा, 170, जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020
दूरभाष: +91 22 22867000 फैक्स: +91 22 22884010
ई-मेल: investors.gic@gicofindia.com वेबसाईट: www.gicofindia.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के तहत नोटिस जारी किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, दि. 10 फरवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही/अवधि के लिए निगम के गैर लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन व अभिलेखन किया जाएगा.

वित्तीय परिणाम, बोर्ड की मंजूरी के बाद निगम की वेबसाइट www.gicofindia.com पर तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर उपलब्ध होंगे.

सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, 2015 तथा यथा संशोधित के अनुसार इन्साइडर ट्रेडिंग 2019 हेतु आचार संहिता पर नीति के निबंधनों के तहत तथा पत्र सं. **जीआइसी री/एसई/2019-20/सीटीडबल्यू-1**, दिनांक 18 अप्रैल, 2019 के द्वारा बीएसई लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. को दी गई ट्रेडिंग विन्डो क्लोज़र संबंधी सूचना के अनुरूप ट्रेडिंग विन्डो 1 जनवरी, 2020 से बंद है तथा 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही/अवधि के लिए वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के बाद 48 घंटे तक बंद रहेगी.

कृते भारतीय साधारण बीमा निगम
हस्ताक्षरित/-
सुचिता गुप्ता
कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30.01.2020

कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 297/2012 — यूबीआई बनाम मै. एस.एस. फोम एण्ड रबड़ क. — तिथि: 17.01.2020

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 17.1.2020 के अनुसार 4.3.2020 को सार्वजनिक ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगी:
यह नीलामी बिक्री वेबसाईट www.bankeauctions.com पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
नीलामी की तिथि एवं समय: 4.3.2020 को 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर (12 बजे दोपहर के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

संपत्ति का विवरण

i) सम्पत्ति सं. प्रथम, द्वितीय, तीसरा तल जो गिरवी सम्पत्ति आर-82/5, रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली का भाग है।
iii) आरक्षित मूल्य: पैरा i) में वर्णित सम्पत्ति के लिये रु. 2,25,00,000/- (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
v) धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी): रु. 22,50,000/- (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) पैरा (i) में वर्णित सम्पत्ति के लिये

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाईट पोर्टल: www.bankeauctions.com पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
2. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 297/2012 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा अथवा अधोलिखित खाता- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, परिसम्पत्ति वसूली शाखा, 26-28/डी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, खाता नं. 547201980050000, आईएफएससी कोड: UBIN0554723 में आरजीटीएस/ एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। उक्त डिमाड ड्राफ्ट/ पे आर्डर अथवा एनईएफटी/ आरटीजीएस के द्वारा भुगतान के मूल प्रमाण पत्र, ईएमडी सहित पहचान के स्व- सत्यापित प्रमाण (वोटर आई-कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति अधिकतम 2.3.2020 के 5.00 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त लिफाफे के ऊपर 'आरसी नं. 297/2012' शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री "**जैसा है जहां है आधार**" पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.bankeauctions.com देखें एवं/ अथवा श्री दिवाकर चौधरी, मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एआरबी, मोबाईल नं. 9971781144 से संपर्क करें।
6. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो मै. सी 1 इंडिया प्रा.लि., सी-104, सेक-2, नोएडा 201301, उ.प्र., फोन नं. 0120-4746800, मो.: 09810029923, सम्पर्क व्यक्ति श्री रोहित शर्मा, मो.नं. 09582385066, ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com से प्राप्त किया जा सकता है जो उपरोक्त ई-नीलामी में बोली के लिये अनिवार्य है।
7. इच्छुक बोलीदाता मै. सी 1 इंडिया प्रा.लि., सी-104, सेक-2, नोएडा-201301, उ.प्र., फोन नं. 0120-4746800, मो.: 99810029923, सम्पर्क व्यक्ति: श्री विनोद चौहान, मो.नं. 09813887931, ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com से ई-नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाता ऑनलाइन ई-नीलामी में भागलेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या एनईएफटी/ आर

भूलसुधार

फॉर्म नंबर आईएनसी–26 के अन्तर्गत अन्नं प्रीमियम ग्रान्जा प्रा0 लि0, के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के सम्बन्ध में दिनांक 29.01.2020 को दैनिक समाचार पत्र जनसत्ता में प्रकाशित विज्ञापन में निदेशक का नाम भूलवश अमित अग्रवाल प्रकाशित हो गया है सही नाम अमित गोयल है। कार्यालय– प्रीमियम ग्रान्जा प्रा0 लि0 निदेशक अमित गोयल(डीआईएन 00809626) पता–230ए, नेहरू नगर सिविल लाइन, आगरा 262002 यू.पी. इण्डिया

सार्वजनिक सूचना

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के समक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली

सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008, नियम 17 सीमित दायित्व साझेदारी, 2009 के मामले में

और

जैस्पी इंटरप्राइसिस एलएलपी

(एलएलपीआईएन: एएआई–3660)

के मामले में

जिसका पंजीकृत पता : **फ्लैट नं. 1235, सेक्टर–बी, पॉकेट–1, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070**

...आवेदक

एतद्वारा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि **जैस्पी इंटरप्राइसिस एलएलपी** अपने पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में **आरओसी, दिल्ली एण्ड हरियाणा** के न्यायाधिकरण के अधीन स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव करते हैं।

यह कोई भी व्यक्ति जो एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने वाला हो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर अपने हित एवं आपत्तियों का कारण बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा अथवा **एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर पंजीकृत डाक द्वारा अपनी आपत्तियों की एक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर और एक प्रति रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, रा.रा.क्षे. दिल्ली, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 के पास भेज सकता है।

पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 1235, सेक्टर–बी, पॉकेट–1, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070

आवेदक के लिए और उसकी ओर से

जैस्पी इंटरप्राइसिस एलएलपी

राकेश सूद

अधिकृत साझेदार

दिनांक: 31 जनवरी 2020

स्थान: नई दिल्ली

GOBIND SUGAR MILLS LIMITED

CIN : L15421DL1952PLC354222

Regd. Office : Birla Mill Complex, P. O. Birla Lines, G T Road, Near Clock Tower, Kamla Nagar, North Delhi – 110007

Email : ig.gsml@adventz.com

Web : www.gobindsugar.com

Pursuant to Regulation 47 read with Regulations 29 & 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, February 03, 2020, inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December 2019.

As required in terms of Reg. 46 of Listing Regulations, this notice is also available on website of the company www.gobindsugar.com and website of Stock Exchange at www.msei.in.

For **Gobind Sugar Mills Limited**

Sd/-

Laxman Aggarwal

Company Secretary

Place : Gurugram

Date : 27.01.2020

SyndicateBank

क्षेत्रीय कार्यालय–II, आर.के. पुरम, सेक्टर–V
दिल्ली–तमिल संगम बिल्डिंग, नई दिल्ली–110022
दूरभाष नं. : 011-26173268
ई–मेल : ro2.delhi@syndicatebank.co.in

सार्वजनिक नीलामी द्वारा घरेलू मदों की बिक्री

हम अपनी हैदरपुर शाखा नई दिल्ली के मैसर्स केएनबी कैटरर्स (कर्जदार नन्दकिशोर सिन्हा) के खाते के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती उषा सिन्हा पत्नी श्री शिव शंकर सिन्हा के स्वामित्व में मकान नं. 59, ग्राम सादिक नगर, मोहल्ला सरस्वती विहार–I, गाजियाबाद, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद पर पड़ी रु. 50,000/– मूल्य की घरेलू मदों/वस्तुओं की 10.02.2020 को नीलामी संचालित करने का प्रस्ताव करते हैं। नीलामी हमारी हैदरपुर शाखा, नई दिल्ली पर 10.02.2020 को 11:30 बजे प्रातः संचालित की जायेगी। *सफल संविदाकार को नीलामी की तिथि पर ही पूरा एवं अन्तिम भुगतान करना होगा।*

कथित घरेलू मदों/वस्तुओं के अधिक विवरण/निरीक्षण हेतु कृपया शाखा प्रबन्धक, सिंडीकेट बैंक, हैदरपुर शाखा (कार्यालय नं. 011-27490670, मोबाइल नं. 9871154937) से 7.2.2020 को या इससे पूर्व कार्यालय घण्टों के दौरान सम्पर्क करें।

स्थान : नई दिल्ली ह./–

तिथि : 30.01.2020 **अधिकृत प्राधिकारी**

UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LIMITED

Regd. Office : 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi – 110019

CIN: L34300DL1991PLC044365, **Website:** www.unofficeautomation.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the exchange is hereby informed that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 10th February, 2020 at 3.30 p.m. to consider the un-audited results of the Company for the quarter ended on December 31, 2019.

Further in terms of 'Minimum Standards for Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading' for dealing in securities of the company, the Company has decided that the trade close period (i.e. closure of trading window) would commence from 6.00 p.m. on 07-02-2020 and end 48 hours after the results are made public on 10-02-2020.

For Universal Office Automation Ltd.

Sd/-

Date: January 27, 2020 **Naina Luthra**

Place: Noida **Company Secretary**

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा

प्रथम तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–110125

ई–मेल : bo4168@pnb.co.in

1. मैसर्स दुआ मैकेनिकल वर्क्स, 416, चौथी मंजिल, अम्बा टॉवर, सेक्टर–9, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
2. श्री राजेश दुआ (प्रोपराइटर) पुत्र श्री यश पाल दुआ, निवासी सी–7, साई अपार्टमेंट, सेक्टर–13, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

प्रिय श्रीमान,

विषय : बैंक के साथ मैसर्स दुआ मैकेनिकल वर्क्स के ऋण खाते में ''इरादतन'' चूक की पहचान–परिणामतः आपके नाम/नामों को ''इरादतन चूककर्ताओं'' के रूप में प्रकटित तथा प्रकाशित करना।

कृपया हमारी सूचना दिनांक 24.07.2019 का सन्दर्भ लें जिसमें हमने ऋण खाते में जानबूझकर चूक की घटना(एँ) के सुधार हेतु 10 दिन का समय दिया। किन्तु सूचना के बाद भी आपने जानबूझकर चूक का सुधार नहीं किया। कृपया सूचित हों कि आरबीआई के दिशा–निर्देशों तथा ऋण अनुबन्धों के नियम पत्र के अनुसार बैंक द्वारा स्थापित ''जानबूझकर चूककर्ताओं की समिति'' ने अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित कारणों से शीर्षांकित बॉरोअल ऋण खाता में आप (कर्जदार) तथा निदेशकों/साझेदारों/आदि को इरादतन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चूक की पहचान की है :

1. कर्जदार/जमानती ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है और उन विशिष्टि उद्देश्यों हेतु ऋणदाता से वित्त का उपयोग नहीं किया है जिसके लिए कर्ज लिया गया था बल्कि इस धन को अन्य उद्देश्यों के लिए मनोरंजित किया।

यदि आप ''जानबूझकर चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय से असन्तुष्ट हैं तो आप यदि आप चाहते हैं तो एक प्रतिनिधान शिकायत निवारण समिति (बैंक के चेयरमैन तथा प्रबन्धक निदेशक के नेतृत्व में) के पास कर सकते हैं और कारण बताइये कि आपको ''जानबूझकर चूककर्ता'' के रूप में क्यों न वर्गीकृत किया जाये। आपका प्रतिनिधान इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुँच जाना चाहिए।

यदि हमें आपकी कोई प्रस्तुति/प्रतिनिधान नहीं प्राप्त होता है तो यह माना जायेगा कि आपको अपने बचाव में (''इरादतन चूककर्ताओं की समिति'' के निर्णय के विरुद्ध) कुछ कहने के लिए नहीं है और बैंक आपके नाम अथवा आपकी कम्पनी/फर्म/इकाई तथा आपके निदेशक/कों/साझेदार/रों/प्रोपराइटर के नाम(मों) को आरबीआई/सिबिल/अन्य साख सूचना कम्पनियों को ऐसे माध्यम से जैसा बैंक अपने निरपेक्ष विशेषाधिकार से उचित समझे, ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में प्रकाशित करेगा। पुनः अन्य बातों के साथ–साथ इसका परिणाम निम्नलिखित भी होगा :

- किसी बैंक/एफआई द्वारा अतिरिक्त सुविधा प्राप्त न होना।
- आरबीआई द्वारा जानबूझकर चूककर्ताओं की सूची में आपके नाम के प्रकाशन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए नये उपक्रम संचालित करने के लिए एससीबी, डीएफआई, सरकारी स्वामित्व के एनबीएफसी, निवेश संस्थानों आदि से आपको/उद्यमियों को/प्रमोटरों को वंचित करना। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त के पूर्वाग्रह से रहित, विधिक प्रक्रिया जैसे कि बकायों की वसूली के फोरक्लोजर, सरफाएशी कार्यवाही तथा आपराधिक कार्यवाहियाँ, यदि सूचित हैं, भी आपको विरुद्ध की जायेंगीं।

आपका विश्वासपात्र

कृते पंजाब नैशनल बैंक, शाखा प्रबन्धक

Selan Exploration Technology Limited

Regd. Office: J-47 / 1, Shyam Vihar, Dindarpur, Najafgarh, New Delhi - 110 043

CIN: L74899DL1985PLC021445

Website: www.selanoil.com

E-mail: investors@selanoil.com

Tele Fax No.: 0124-4200326

NOTICE

Notice (pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 08 February 2020 to consider and take on record, *inter-alia*, the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31 December 2019 and Interim Dividend for the financial year 2019-20 on Equity Shares of the Company.

The Record Date for the purpose of Interim Dividend, if declared will be Saturday, 15 February 2020.

For **Selan Exploration Technology Ltd.**

Sd/-

Gunjan Gupta

Date: 30.01.2020 Asst. Company Secretary &

Place: Gurgaon Compliance Officer

(फार्म नं. INC 26)

एसएसआर टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड

CIN : U70102DL2012PTC244612

पंजीकृत कार्यालय : ए–47, लोवर ग्राउंड फ्लोर, हौज खास, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली– 110 016

केन्द्रीय सरकार के समक्ष

(क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) की उप–धारा (4) तथा नियम 30(5) (ए) कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के मामले में

तथा

मामले में **एसएसआर टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड**, जिसका पंजीकृत ए–47 लोवर ग्राउंड फ्लोर, हौज खास, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली– 110 016 में स्थित है।

...आवेदक कम्पनी

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव असाधारण आम सभा में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 13.15.2020 को आयोजित बैठक में पारित कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने हेतु पारित किया गया है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होता हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति शपथपत्र में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/आपत्ति के आधार हों, **एमसीए 21 (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली– 110 003 को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशित होने के चौदह दिनों के भीतर निम्न पते पर भेज दें।

"ए-47, लोवर ग्राउंड फ्लोर, हौज खास, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली-110 016"

कृते **एसएसआर टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड**

(हस्ता./–) **संजीव मित्तल**

स्थान : नई दिल्ली निदेशक

दिनांक 30.01.2020 DIN : 07122331

पता Y – 59 हौज खास, साउथ वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली– 110 016

अनुसूची– II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा

(भारत का दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन,

मैसर्स रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्रा. लि.
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	09.02.2011
3.	यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U50200DL2011PTC213635
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	1187/7, नई वल्ला, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
6.	कार्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरम्भ होने की तिथि	11.12.2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन के अनुमानित तिथि	**15.01.2020 (27.01.2020 आदेश प्राप्त हुआ)**
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	माया गुप्ता रजि. नं. IBBI/IPA-002/IP-00363/ 2017-18/11061
9.	अतरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई–मेल पता	निवास : 3685/7, नारग कालोनी, त्री नगर, दिल्ली–110035 मो.नं.: 7838777116 ई–मेल आईडी: fcsmayagupta@gmail.com
10.	अंतरिम पत्राचार का पता और ई–मेल पता	सी/ओ : माया गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स 701, विक्रान्त टावर नं. 4, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110005, मो. 7838777116 ई–मेल आईडी : liq.rainapl@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**26.02.2020**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच ने 15.01.2020 को **मैसर्स रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (27.01.2020 को आदेश प्राप्त)** का परिसमापन आरंभ करने का आदेश दिया है।

मैसर्स रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के हितधारकों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **26.02.2020** को अथवा पूर्व परिसमापक के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

माया गुप्ता

तिथि : 29.01.2020 **मैसर्स रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्राईवेट लिमिटेड**

स्थान : दिल्ली **के मामले मे परिसमापक**

File No. AR-24012/1/2020-SECT-1-AR

GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS

CIVIL SECRETARIAT :: BLOCK NO. 4 :: 4TH FLOOR, ITANAGAR - 791111

ADDENDUM

Dated Itanagar, the 27th January, 2020

The undersigned is directed to refer to the advertisement of Department of Administrative Reforms, Government of Arunachal Pradesh vide even number dated 02.01.2020 wherein vacancy position of the Information Commissioner, Arunachal Pradesh Information Commission was shown as 2 (two) posts but one more post is anticipated to become vacant due to demitting of office by one of the Information Commissioner, Arunachal Pradesh Information Commission. Therefore, the 3 (three) vacancies will be filled up together.

The detailed information in this regard, terms of appointment and format for application etc. are available on the departmental website (**www.arungovard.nic.in**).

The desiring candidates are advised to check the above website and submit their application along with all its enclosures in electronic format only at e-mail address **secy-part-arn@nic.in** only on or before 14th February, 2020 (AN).

(By order and in the name of **Governor of Arunachal Pradesh**)

खोया/पाया

मैं एम विमला पत्नी श्री ए.आर. हालाध्यान आम जनता को सूचित करना चाहती हूं, कि मैंने एम/एस इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड के द्वारा जारी किये गए असली शेयर सर्टिफिकेट, फोलियो नं० 00143053, जो खो दिए हैं, एवं जिनका विवरण निम्नलिखित है:

विशेष सं०	सर्टिफिकेट नं०	शेयर सं०
3008871-3008970	30096	100
3566371-3566470	35671	100
5028571-5028670	50293	100
5230071-5230170	52308	100
6940771-6940870	69415	100
8907571-8907670	89083	100
9663671-9663770	96644	100
11667971-11668070	116687	100
11812471-11812570	118132	100
12459571-12459670	124603	100
12535171-12535270	125359	100
12585871-12585970	125866	100
12816971-12817070	128177	100
कुल		1300

जिस किसी को भी यह मिलता है, उनसे निवेदन है कि इस विज्ञापन के 10 दिन के अन्दर मुझे मोबाइल नं० 9650336422 पर संपर्क करें।

CAREER POINT LIMITED

Registered Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Kota, Rajasthan 324005

CIN: L72200RJ2000PLC016272, **Phone:** 0744-3040000, **Fax:** 0744-3040050

Website: www.cpil.in, E-mail: investors@cpil.in

NOTICE

Notice is hereby given in pursuance to Regulation 29 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 12 February, 2020 to consider various items inter alia the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter ended December 31, 2019 and to consider declaration of 3rd Interim Dividend, if any. Pursuant to this, trading window is closed from January 01, 2020 to February 14, 2020 (both days inclusive).

The said intimation is also available on the Company's website at www.cpil.in and on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com

For Career Point Limited

Tarun Kumar Jain

Place : Kota (Rajasthan)

Date : 30 January, 2020 GM (Corporate & Legal Affairs) & Company Secretary

---

J&K Bank Serving To Empower

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बाधित परिसंपत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग, अंचल कार्यालय उत्तर (दिल्ली), जे एंड के बिल्डिंग, प्लॉट नं. 132–134, सेक्टर– 44, गुड़गाँव, हरियाणा, टेली.: 0124-4715800, ई–मेल: **iapmd.del@jkbmail.com**

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 9.7.2018 जारी कर ऋणधारक कम्पनी 1. मै. ए.एस. एण्टरप्राईजेज, कार्यालय पताः एच. नं. 203, सेक्टर–3, डीएसआई डीसी, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली– 110085, 2. श्री भूपिन्दर शोकीन, पुत्र सतवीर सिंह, निवासीः 105, मंगोलपुरी कलान, दिल्ली– 110085 (ऋणधारक), 3. श्रीमती मनीशा, पत्नी भूपिन्दर शोकीन, निवासीः 105, मंगोलपुरी कलान, दिल्ली– 110085 (ऋणधारक), 4. श्री अनिल जुत्शी, पुत्र एम.के. जुत्शी, निवासीः 1630, जे. जैन नगर, कश्मीरी कॉलोनी, कराला, दिल्ली (गारन्टर), तथा 5. श्री अमन शोकीन, पुत्र स्व. नरसी सिंह, निवासीः 106, मंगोलपुर, कलन, दिल्ली (गारन्टर) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि कैश क्रेडिट रु. 8315331.37 (रुपये तिरासी लाख पन्द्रह हजार तीन सौ इकत्तीस एवं पैसे सैंतीस मात्र) एवं सम्पत्ति के लिये ऋण सुविधा रु. 1681926.80 (रुपये सोलह लाख इक्यासी हजार नौ सौ छब्बीस एव पैसे अस्सी मात्र) दोनों खाता में कुल बकाया रु. 9997258.17 (निन्यानवे लाख सत्तानवे हजार दो सौ अन्ठावन, पैसे सत्तरह मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। इस सूचना राशि में आपने केवल एलएपी (सम्पत्ति के लिये ऋण) खाता को समयोजित किया है तथा 01.01.2020 से ब्याज एवं लागतों (वहन की गई/ की जाने वाली) के साथ कैश क्रेडिट खाता में 31.12.2019 को रु. 9364355.17 (रुपये तिरानवे लाख चौंसठ हजार तीन सौ पचपन एवं पैसे सत्तरह मात्र) की राशि बकाया है।

ऋणधारक/ गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टर/ मार्टगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 28 जनवरी, 2020 को 1.00 अप. में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 तथा 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 1.1.2020 से उस पर आगे के ब्याज, लागत आदि के साथ 31.12.2019 को रु. 9364355.17 (रुपये तिरानवे लाख चौंसठ हजार तीन सौ पचपन एवं पैसे सत्तरह मात्र) की राशि बकाया है। के लिये जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. (बी.यू.: बी.एन. प्लाजा, ए–2, पाकेट 2, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली शाखा) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मंगोलपुरी कलान, दिल्ली में स्थित भूमि माप 350 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 29/5 के प्लॉट पर निर्मित सम्पत्ति में शामिल गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 28.01.2020 **प्राधिकृत अधिकारी**

स्थान: दिल्ली **द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.**

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड

(CIN: L31102DL1957PLC193993)

पंजीकृत कार्यालयः ए–18 प्रथम तल, आखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020, फोन नं: 91–11–4161 0660

वेबसाईटः http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि अन्य मुद्दों के साथ ही साथ लेखापरीक्षकों के समिति समीक्षा के अधीन 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही एवं नौ महीनों के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने व अनुमोदित करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन वीरवार, दिनांक 6 फरवरी, 2020 को किया जाएगा। इसकी सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा www.nseindia.com तथा www.bseindia.com में उपलब्ध है।

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के लिए

जनवरी 30, 2020 **मनोज प्रसाद सिंह**

नोएडा **कंपनी सचिव**

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

For the Attention of the Creditors of M/s. KPG International Private Limited

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	**M/s. KPG International Private Limited**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	31.10.2016
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana under Companies Act, 2013
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U17299DL2016PTC307725
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	B-354, Block-B, Mangol Puri Industrial Area, Phase-1, New Delhi - 110083
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	29.01.2020 Vide NCLT Order NO. - IB-2083(ND)/2019 dated 27/01/2020, certified copy received on 29/01/2020
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	27.07.2020 (180 Days from the date of commencement of CIRP)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Sunil Kumar Agrawal Regn. No. : IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-2018-10222**
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	**Address:** E-29, South Extension- II, New Delhi- 110049 **Email:** aggarwalsk21@yahoo.com
10.	Address and email to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Address:** 904, GF, Sector- 7C, Faridabad- 121006 **Email:** irpkpg2020@gmail.com aggarwalsk21@yahoo.com
11.	Last date for submission of claims	12.02.2020
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	1.Web link: **https://ibbi.gov.in/downloadsform.html** 2. Physical Address : Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi, Bench-V has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the M/s. KPG International Private Limited vide order IB-2083(ND)/2019 dated 27/01/2020, certified copy received on 29/01/2020.

1. The creditors of M/s. KPG International Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 12.02.2020 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
2. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
3. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12 (N/A), shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class in Form CA (N/A).
4. The submission of claims is to be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The claim with proof is to be submitted in following specified forms along with documentary proof in support of claim:
   - Form B: Claim by Operational Creditors except workmen & employees.
   - Form C: Claim by Financial Creditors.
   - Form CA: Claim by Financial Creditors in a class.
   - Form D: Claim by workmen or an employee.
   - Form E: Claim submitted by an authorized representative of workmen or an employee.
   - Form F: Claim by Creditors (other than Financial Creditors and Operational Creditors)
5. **Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.**

Sunil Kumar Agrawal

Interim Resolution Professional

Date: 30.01.2020

Place: New Delhi Registration No. : : IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-2018-10222

ई–नीलामी सूचना

सौरभ (इंडिया) प्रा.लि. (परिसमापन के अधीन)

दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री नीलामी की तिथि एवं समयः 27 फरवरी, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. तक

(प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

आदेश तिथि 19.11.2019 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (''एनसीएलटी''), नई दिल्ली, कोर्ट–VI के द्वारा नियुक्त परिसमापक के कब्जे में सौरभ (इंडिया) प्रा. लि. की परिसमापन सम्पदा के भाग का निर्माण करने वाले सौरभ (इंडिया) प्रा.लि. (परिसमापन के अधीन) के स्वामित्व की करों की बिक्री। सम्पत्तियों की बिक्री ई–नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net द्वारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी।

परिसम्पत्तियों का विवरण

लॉट	परिसम्पत्तियाँ	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि 10%	वृद्धि मूल्य
लॉट–1	1. BMW X5 XDRIVE 30D(TU)D' Pure Experience, BLUE REGN DT: 30/05/2016	33,00,000/–	3,30,000/–	रु. 50,000/–
लॉट–2	2. MERCEDES E250CDI, OBSIDI-AN BLACK REGN DT: 09/06/2011	15,00,000/–	1,50,000/–	रु. 25,000/–
लॉट–3	3. SKODA SUPERB, MAGIC BLACK REGN DT: 05/02/2013	8,20,000/–	82,000/–	रु. 10,000/–
लॉट–4	4. HYUNDAI I20 Asta (O) VTVT, STAR DUST REGN DT: 15/07/2017	5,10,000/–	5,10,000/–	रु. 5,000/–

आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि (ईएमडी) का विवरण

धरोहर राशि (ईएमडी)	कार के लिये आरक्षित मूल्य का 10%
ईएमडी जमा करने की खाता का विवरण (एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा भुगतान)	ईएमडी A/C No. 60118321254 IFSC CODE:MAHB0001295 (बैंक ऑफ महाराष्ट्र) लाभ भोगीः सौरभ (इंडिया) प्रा.लि. (परिसमापन के अधीन)
परिसमापक का नाम एवं सम्पर्क नम्बर	नामः पंकज खेतान सम्पर्क नं.: 9999883792 & 9310201908
विजिट एवं परिचर्चा बैठक	10 फरवरी, 2020; समयः 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप.
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	12 फरवरी, 2020 के 5.00 बजे अप. तक
परिसमापक के पास दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	15 फरवरी, 2020 के 5.00 बजे अप. तक
परिसमापक द्वारा बोलीदाताओं के सत्यापन की अंतिम तिथि	25 फरवरी, 2020 के 5.00 बजे अप. तक
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	तिथिः 27 फरवरी, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. तक।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

1. ई–नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. ई–प्रॉक्योरमेंन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger) के द्वारा ''जैसा है जहाँ है'' तथा ''जो भी वहाँ है'' आधार पर आयोजित होगी।
2. परिसम्पत्तियों के विवरणों, ऑन–लाइन बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, प्रतिज्ञा पत्र, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाईटः https://ncltauctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें: श्री राम प्रसाद शर्मा तथा श्री नीरव त्रिवेदी, +91-6351896834/07961200574/554/594/586, ईमेलः ramprasad@auction-tiger.net/nirav.trivedi@auctiontiger.net/support@auction-tiger.net
3. यदि वे आईबी सी की धारा 29ए (समय–समय पर यथा–संशोधित) में निर्दिष्ट योग्यता मानदंड पूरा करने में विफल होते हैं तो ई–नीलामी प्रक्रिया आवेदक कम्पनी की परिसम्पत्ति(यों) की खरीद के लिये बोली जमा करने के लिये योग्य नहीं होंगे।
4. कम्पनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री से संबंधित सभी नियम एवं शर्तों परिसमापक एनसीएलटी के दिशा निर्देशों तथा लागू होने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुसार अधिशासित होंगे।
5. अपनी बोली जमा करने से पूर्व बोलीदाता अधिभारों, नीलामी पर रखी गई परिसम्पत्तियों के टाइटल, कम्पनी की परिसम्पत्तियों को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकारों/देयताओं के लिये अपना ड्यू डिलिजेन्स कर लें।
6. सफल बोलीदाता को परिसम्पत्तियों से संबंधित सभी आवश्यक खर्चे/सांविधिक/गैर–सांविधिक, स्टाम्प शुल्कों, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, अंतरण चार्जेज, पंजीकरण खर्चे, शुल्कों तथा अन्य अनुषांगिक चार्जेज का वहन करना होगा।

तिथिः 31.1.2020 **पंकज खेतान (परिसमापक)**

स्थानः नई दिल्ली **सौरभ (इंडिया) प्रा.लि. के मामले मे**

पंजी. सं.:IBBI/IPA-002/IP-N00010/2016-17/10014

ईमेल:liquidatorsaurabhindia01@gmail.com

सम्पर्क नं.: 9999883792 **एवं** 9310201908

J&K Bank Serving To Empower

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बाधित परिसंपत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग, अंचल कार्यालय उत्तर (दिल्ली), जे एंड के बिल्डिंग, प्लॉट नं. 132–134, सेक्टर– 44, गुड़गाँव, हरियाणा, टेली.: 0124-4715800, ई–मेल: **iapmd.del@jkbmail.com**

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.4.2015 जारी कर उसके पार्टनर्स सह मार्टगैजरों तथा गारन्टरों अर्थात 1) मै. डी.पी. स्टील्स, पंजीकृत कार्यालयः 208, IIरा तल, अंसल सुमेधा आरडीसी राज नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.), साथ हीं: शॉप नं. 1059, विकास नगर, मेरठ रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.), 2. श्री सुखबीर सिंह, पुत्र स्व. श्री दरबारा सिंह, निवासीः प्लॉट नं. सी–134, सूर्य नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) 201001 (पार्टनर/ मार्टगैजर) 3) श्री प्रकाश सिंह, पुत्र जगमोहन सिंह, निवासीः 216ए, पुराना पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद (उ.प्र.) 201001 , (पार्टनर/ मार्टगैजर) 4) श्री मनमोहन, पुत्र श्री राम अवतार, निवासीः 553, बेगमाबाद, बुधाना–3, मोदीनगर, गाजियाबाद, (उ.प्र.) 201204 (गारन्टर) के माध्यम से पार्टनरशिप फर्म को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 2,12,57,162.22 (रुपये दो करोड़ बारह लाख सत्तावन हजार एक सौ बासठ एवं पैसे बाईस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 28 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज, लागत आदि के साथ 31.3.2015 को रु. 2,12,57,162.22 (रुपये दो करोड़ बारह लाख सत्तावन हजार एक सौ बासठ एवं पैसे बाईस मात्र) के लिये द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. (बी.ओ.: गाजियाबाद) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. फ्लैट नं. जी–1, भूतल (फ्रान्ट साईड) कवर्ड एरिया माप 1500 वर्ग फीट (139.34 वर्ग मी.) जो फ्रीहोल्ड निर्मित सम्पत्ति का भाग है जो प्लॉट नं. सी–134, ब्लॉक– सी, सेक्टर–7, टी.एच.ए. सूर्या नगर, गाजियाबाद पर निर्मित है जो श्री सुखबीर सिंह, पुत्र स्व. श्री दरबारा सिंह के नाम में है, तथा उसके साथ नीचे की भूमि में आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार।

तिथिः 28.01.2020 **प्राधिकृत अधिकारी**

स्थानः गाजियाबाद **द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.**

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 10/60, **इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली**–110015

फोनः 25927878, 25927699, 41426055

वेबसाईटः www.abmintl.in, ईमेलः vkgandhi@abmintl.in

CIN: L51909DL1983PLC015585

सूचना

कम्पनी के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (वर्तमान समय में जारी उसके किसी विधिक संशोधन(नों) अथवा पुनः क्रियान्वयन सहित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं धारा 110 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी की प्रतिभूतियों को उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ कम्पनी के शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, से विसूचीबद्ध करने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल को अधिकृत करने हेतु सेबी (इक्विटी शेयरों की विसूचीबद्धता) विनियम, 2009 के विनियम 8(1)(ख) के तहत ड्राफ्ट विशेष प्रस्ताव पर उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए 24 जनवरी, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर में उल्लिखित नामधारी सदस्यों के पास पोस्टर बैलट प्रपत्र तथा स्व–पता लिखित पोस्टेज प्री–पेड प्रत्युत्तर लिफाफा सहित पोस्टल बैलट सूचना भेजने का कार्य 30 जनवरी, 2020 दिन बृहस्पतिवार को पूरा कर लिया है। जिन सदस्यों को कम्पनी के पोस्टल बैलट प्रपत्र नहीं प्राप्त हुए हैं वे डुप्लीकेट प्रति के लिए कम्पनी के पास निवेदन कर सकते हैं या इसे कम्पनी की वेबसाइट अर्थात **www.abmintl.in** से अथवा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात **www.nseindia.com** से डाउनलोड कर सकते हैं।

कम्पनी ने अपने सदस्यों के लिए ई–मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। सदस्य या तो ई–मतदान द्वारा या पोस्टल बैलट के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

यह ध्यान दें कि मतदान शनिवार, 1 फरवरी, 2020 को 9.00 बजे प्रातः से प्रारम्भ होगा और 1 मार्च, 2020 को 5.00 बजे सायं समाप्त होगा। पूर्ण रूप से भरे पोस्टल बैलट प्रपत्र संवीक्षक के पास 1 मार्च, 2020 दिन रविवार को 5.00 बजे सायं तक पहुँच जाने चाहिए। इस तिथि के 5.00 बजे सायं के पश्चात प्राप्त पोस्टल बैलट प्रपत्र अवैध माने जायेंगे।

ई–मतदान अथवा पोस्टल बैलट से सम्बन्धित किसी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्य मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि. से बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली–110062 (रजिस्ट्रार) से सम्पर्क कर सकते हैं।

पोस्टल बैलट के परिणाम सोमवार, 2 मार्च, 2020 को 5.00 बजे सायं कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर घोषित किये जायेंगे और इसे कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जायेगा।

बोर्ड के आदेशानुसार

कृते एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड

ह./–

[विरेन्दर कुमार गांधी]

तिथि : 30.01.2020 प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली डीआईएन 00244762

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor	**M/s GSS PROCON PRIVATE LIMITED**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	27/09/1010
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, NCT of Delhi Under Companies Act, 1956
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U70100DL2010PTC208777
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Unit no 102, First Floor, Pearls Business Park, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	10/10/2019 Vide NCLT Order CP (IB) 1896 (ND/2019 dated 10/10/2019).
7.	Date of invitation of expression of interest	29/01/2020 (Earlier 24/12/2019)
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The eligibility criteria for prospective resolution applicants can be accessed from https://ibbi.gov.in/legal-framework/act or can be obtained by email to irpgssprocon2019@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at :	The ineligibility criteria for prospective resolution applicants can be accessed from https://ibbi.gov.in/legal-framework/act or can be obtained by email to irpgssprocon2019@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	13/02/2020
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	18/02/2020
12.	Last date for submission of objections to provisional list	23/02/2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	26/02/2020
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	23/02/2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Interim Resolution professional will share the document through Email: irpgssprocon2019@gmail.com In accordance with the provisions of the code and regulations made there under.
16.	Last date for submission of resolution plans	24/03/2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	The Resolution plans will be send on Email: irpgssprocon2019@gmail.com
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	10/04/2020
19.	Name and registration number of the resolution professional	Sunil Kumar Agrawal Registration Number : IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-18/10222
20.	Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Sunil Kumar Agrawal Address : E-29, South Extention- II, New Delhi – 110049, Email: aggarwalsk21@yahoo.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	904, GF, Sector- 7C, Faridabad- 121006 Email: irpgssprocon2019@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	Further details can be sought by the **Email:** irpgssprocon2019@gmail.com
23.	Date of publication of Form G	31/01/2020 (Earlier 24/12/2019)

Sunil Kumar Agrawal

Interim Resolution Professional

Date: 29/01/2020 IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-18/10222

Place : New Delhi E-29, South Extention- II, New Delhi- 110049

मैग्नम वेन्चर्स लिमिटेड

CIN: L21093DL1980PLC010492
पंजीकृत कार्यालय: ऑफिस नं. 205, 2रा तल, बिल्डिंग नं. 4326, गली नं. 3, अंसारी रोड, दरियागंज दिल्ली-110002
Email Id: magnumventures@gmail.com,
Website: www.magnumventures.in

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 तथा अन्य लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को 4.00 बजे अप. में कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय 18/31, साइट-IV, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद में कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

यह सूचना कंपनी की वेबसाईट **www.magnumventures.in** के निवेशक संपर्क खंड तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com में उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
हस्ता./-
स्थान: दिल्ली — अभय जैन
तिथि: 30 जनवरी, 2020 — पूर्ण-कालिक निदेशक

एडविक लेबोरेटरीज लिमिटेड

सीआईएन : L74699HR1604PLCO38300
पंजीकृत कार्यालय : 138, रोज-का-मेओ, इण्डस्ट्रियल एरिया, सोहना, जिला-मेवात (हरियाणा)-122103
ई-मेल आईडी : mail@advikindia.com;
वेबसाइट : www.advikindia.com
दूरभाष : 0124-2362471; फैक्स : 91-11-43571047

बोर्ड के बैठक की सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार, 13 फरवरी, 2020 को कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, 703, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 पर निर्धारित की गई है जिसमें अन्य मदों में 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन तथा स्वीकरण किए जाएंगे।

कथित सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.advikindia.com बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते एडविक लैबोरेटरीज लिमिटेड
ह./-
पूजा चुनी
स्थान : हरियाणा — (कम्पनी सचिव)
तिथि : 31.01.2020 — मेमो. नं. ए16272

एमटीवी इन्वेस्मन्ट एण्ड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : डोर नं. 12, फ्लैट फ्लोर, एस-26 आईसी डोर, आलम एनक्लेव, नई दिल्ली - 110018
CIN NO : U74899DL1994PTC061939
ई-मेल आईडी : mtvinvestment@gmail.com
फोन नं. : 9311336586

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एमटीवी इन्वेस्मन्ट एण्ड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड **("कम्पनी")** नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 10 अक्टूबर, 2000 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक **("आरबीआई")** के पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. बी-14-01825 के माध्यम से पंजीकृत एक गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी ("एनबीएफसी") है।

कंपनी के निदेशक श्री विलोक कुमार ने 10.06.2019 से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था और ललिता कठपालिया को 10.05.2019 के कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया थी और श्री सुमंत मेती कंपनी के निदेशक पद पर बने रहेंगे।

लेनदार सहित यदि किसी व्यक्ति को कथित परिवर्तन पर कोई आपत्ति है तो वह सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली के पास अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

यह सार्वजनिक सूचना भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली दिनांक 16.01.2020 प. वि. (एन.बी.एफ.सी) नई दिल्ली संख्या 2440/CMS-VI/05.13.165/2019-20 एवं लागू सभी अन्य संगत परिपत्रों एवं विनियमों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जारी की जा रही है।

आवेदक की ओर से और उसके लिए
एमटीवी इन्वेस्मन्ट एण्ड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
निदेशक
दिनांक : 30.01.2020 — सुमंत मेती
स्थान : नई दिल्ली — डीएनए : 07113867

प्रपत्र आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले में
तथा
क्रिस्प एनलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 94, शुभम अपार्टमेंट्स, प्लॉट सं. 37, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092, भारत पर है

..... याचिकाकर्ता

सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि यह केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "रा.रा.क्षे. दिल्ली तथा हरियाणा राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिए 20 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में पारित संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :
94, शुभम अपार्टमेंट्स, प्लॉट सं. 37, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से
(मोहम्मद शोएब)
तिथि : 30.01.2020 — निदेशक
स्थान : नई दिल्ली — डीआईएन : 03603898
पता : ए2-1009, टी-6, पूर्वांचल रॉयल पार्क, सेक्टर-137, नोएडा-201304

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
केन्द्र सरकार के समक्ष
(क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली)
उत्तरी क्षेत्र
कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खण्ड (क) के विषय में
तथा
मिशेलिन इंडिया टेक्नोलॉजी सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय तृतीय तल, ऑर्किड बिजनेस पार्क, सेक्टर-48, सोहना रोड, गुरूग्राम-122 002, हरियाणा में स्थित है, के विषय में

.....याचिकादाता

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"हरियाणा राज्य" से "तमिलनाडु राज्य"** में स्थानान्तरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 15.01.2020 को आयोजित इसकी ~~असाधारण~~ बैठक/असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की सम्भावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित **अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है** अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कराया सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए

पंजीकृत कार्यालय : तृतीय तल, ऑर्किड बिजनेस पार्क, सेक्टर-48, सोहना रोड, गुरूग्राम-122 002, हरियाणा

कृते एवं लिये आवेदक
मिशेलिन इंडिया टेक्नोलॉजी सेन्टर प्रा. लि
हस्ता./- — हस्ता./-
बालाजी लक्ष्मी सुब्रमनियन — मोहन कुमार
निदेशक — निदेशक
08550341 — 08925146
तिथि : 31.01.2020
स्थान : गुरूग्राम

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED

CIN: L67120DL1993PLC052256
Regd. Off: - 103, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road, New Delhi-110008
E-mail Id: csvirtualeducation@gmail.com,
Website: www.vgel.co.in
Ph: 011-25702148

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 4th Meeting of the financial year 2019-2020 of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, February 07, 2020, at 03:00 P.M. at registered office of the Company inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2019 and any other item with the permission of Chair.

The said Notice and the Financial results may be accessed under Investors Relations Section on the website of the Company and Stock Exchange i.e. www.vgel.co.in and www.bseindia.com., respectively.

For Virtual Global Education Limited
Sd/-
Neeraj Kaushik
Place: New Delhi — Director
Date: 30.01.2020 — DIN: 02462310

हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड

CIN: L51909DL1982PLC014434
पंजी. कार्या.: एस-191/सी, 3रा तल, मानक कॉम्प्लैक्स, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092
Email.Id: info@helpagefinlease.com,
website: www.helpagefinlease.com
Tel: 011-22481711

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 13 फरवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. में एस-191/सी, 3रा तल, मानक कॉम्प्लैक्स, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092 में आयोजित की जायेगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। यह जानकारी www.helpagefinlease.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
मै. हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान: दिल्ली — सिद्धार्थ गोयल
तिथि: 30.1.2020 — प्रबंध निदेशक

अलीरॉक्स एंब्रेसिव्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 4 सिन्धिया हाउस, नई दिल्ली-110001
सीआईएन : L74899DL1944PLC000759
दूरभाष : +91-11-23457100; फैक्स : +91-11-23324136
ई-मेल : sneeil@dalmiarf.com
वेबसाइट : www.alirox.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 7 फरवरी, 2020 को आयोजित होगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कम्पनी के स्टैण्डएलॉन तथा समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम पर विचार किये जाएंगे। उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट : www.alirox.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.msei.in पर भी उपलब्ध है।

अलीरॉक्स एंब्रेसिव्स लिमिटेड के लिए
तिथि : 30.01.2020 — (सोनल पोपली)
स्थान : नई दिल्ली — कम्पनी सचिव
(सदस्यता सं.: 44167)

MAAN

पंजी. कार्यालय: 4/5, I ला तल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
CIN: L30007DL2003PLC214485,
Ph: 40081800,
Email: info@maanaluminium.in
Website: www.maanaluminium.in

सूचना

स्टॉक एक्सचैंज (जों) के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 12 फरवरी 2020 को 4/5, 1ला तल, आसिफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में 12.30 अप. में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिस. 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिए जाएंगे तथा वित्त वर्ष 2019-2020 के लिये अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, पर विचार की जायेगी।

पुनः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार उपरोक्त अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिये शेयरधारकों की अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिये अभिलिखित तिथि 20 फरवरी, 2020, बृहस्पतिवार होगी, यदि 12 फरवरी, 2020 को 12.30 अप. में आयोजित होने वाली उसकी बैठक में बोर्ड द्वारा उस पर विचार तथा स्वीकृति किया जाता है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी की प्रतिभूतियों में इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार सभी निदेशकों/अधिकारियों/विनिर्दिष्ट कर्मचारियों/ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग विण्डो बुधवार, 01 जनवरी, 2020 से क्यू 3 के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद रहेंगे।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् **www.maanaluminium.in** तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट अर्थात् बीएसई लिमिटेड (**www.bseindia.com**) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (**www.nseindia.com**) पर भी उपलब्ध है।

मान एल्युमिनियम लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली — अनु अग्रवाल
तिथिः 30.01.2020 — कम्पनी सचिव
ACS-55994

आम सूचना

फार्म नं. आई.एन.सी-26
कंपनियों के (निगमन और आकस्मिक) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसार
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र
बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, दीनदयाल अंतोदय भवन, सी.जी.ओ, नई दिल्ली-110003 के समक्ष
धारा 13 (4) कंपनी अधिनियम, 2013 और नियम 30 (6)(ए) कंपनियां (निगमन) नियम, 2014 के संबंध में
एवम्
तिरुपति पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय:
फ्लैट नं. 106, प्लाट नं. J-1/1, KH NO. 89/10 BLK-J-1, बुध विहार, पूठ कलां, फेज-I, दिल्ली, उत्तर पश्चिम, दिल्ली 110086

-------प्रार्थी

इस सूचना द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत, संस्था के बहिर्नियम के परिवर्तन के संबंध में 20 जनवरी 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से राजस्थान में स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव की पुष्टि हेतु केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तावित किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित इस प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित होता है वह एक हलफनामे में अपनी आपत्तियाँ या विपक्ष का आधार बताते हुए इस प्रकाशन के 14 दिन के अंदर रजिस्ट्री डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के कार्यालय व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 106, प्लाट नं. J-1/1, KH NO. 89/10 BLK-J-1, बुध विहार, पूठ कलां, फेज-I, दिल्ली, उत्तर पश्चिम, दिल्ली 110086 पर भेजे।

तिरुपति पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड,
हस्ताक्षर
श्वेता झिरिवाल
स्थान: नई दिल्ली — (निदेशक)
दिनांक: 31.01.2020 — DIN: 07494008

ए एम एस पॉलीमर्स लिमिटेड

(पूर्व में, साई मोह ऑटो लिंक्स लिमिटेड)
CIN: L34300DL1985PLC020510
पंजी.: सी-582, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034
Email Id: polymersams@gmai.com
Website: www.amspolymers.com
Tel: 91-11-27032702, FAX: 91-11-27032702

बोर्ड बैठक की सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को कंपनी के पंजी. कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2013 के विनियमन 33 के अनुपालन में 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

उक्त जानकारी कंपनी की वेबसाईट **www.amspolymers.com** तथा बीएसई की वेबसाईट अर्थात **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
ए एम एस पॉलीमर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली — भव्या कोचर
तिथिः 31.01.2020 — कम्पनी सचिव

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम, रेल मंत्रालय)
क्षेत्रीय कार्यालय : मुख्य महा प्रबंधक (सी.जी.एम.)/उत्तर मध्य क्षेत्र (एन.सी.आर.)
छवां तल, आईडब्ल्यूएआई बिल्डिंग, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (यू.पी.)
फोन नं : 0120-4052941, फैक्स : 0120-4052988

ई-निविदा सूचना

सदर्भ: खुली ई-निविदा सं. कॉन/एनसीआर/टेक/सीपीसी/एयर कम्प्रेसर/2020, **दिनांक: 31.01.2020**

भारतीय कंटेनर निगम लि., उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, छठा तल, आईडब्ल्यूएआई बिल्डिंग, ए-13, सैक्टर-1, नोएडा-201301 (यू.पी.) द्वारा आईसीडी/कानपुर, यू.पी. में इलेक्ट्रिक एयर कम्प्रेसर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं चालू करने हेतु एकल निविदा प्रणाली में खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। वेबसाइट **www.tenderwizard.com/CCIL** पर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20.02.2020 को 17:00 बजे तक है। विस्तृत जानकारी और किसी भी शुद्धिपत्र के लिए कृपया **www.tenderwizard.com/CCIL** पर लॉग ऑन करें। मुख्य महा प्रबंधक/उ0म0क्षे0

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न)
सीआईएन-L74899DL1989GOI081707
कार्यालय पता: 11वां तल, स्टैट्समैन हाउस, बी-148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, भारत
फोन : 011-23311263-64; ईमेल: investors@irctc.com वेबसाइट: www.irctc.com

सूचना

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के विनियम 42 एवं 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक **बुधवार, 12 फरवरी, 2020** को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड पर लिया जाएगा और अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा और लाभांश, यदि घोषित ही जाता है, तो उसके भुगतान के प्रयोजन हेतु रिकार्ड तिथि निर्धारित की जाएगी।

'पदनामित व्यक्तियों एवं उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा ट्रेडिंग की रेगुलेटिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आईआरसीटीसी की आचार संहिता' के अनुसरण में ट्रेडिंग विन्डो बंद होने की अवधि 1 जनवरी, 2020 से प्रारंभ होकर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को सार्वजनिक किये जाने की तिथि से 48 घंटे तक है।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.irctc.com** और स्टॉक एक्सचेंज, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली — सुमन कालरा
दिनांकः 31 जनवरी, 2020 — कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

मैफकॉम कैपीटल मार्किटस लिमिटेड

CIN: L74899DL1985PLC019749
पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट न० 18, पाँचवीं मंजिल, सान्ची बिल्डिंग, 77, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

सूचना

सेबी (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 29 (1) (ए) दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य कार्यसूची तथ्यों के साथ, जैसा कि मंडल विचार के लिए सही समझे, पर विचार एवं स्वीकृत करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को सायं 3:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट न० 18, पाँचवीं मंजिल, सान्ची बिल्डिंग, 77, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में आयोजित की जायेगी।

हस्ता०/-
विजय मेहता
तिथि: 29.01.2020 — निदेशक
स्थान:नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना
फॉर्म आईएनसी -26
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन।
उत्तरी क्षेत्र केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक) के समक्ष
बी-2, विंग, दूसरा तल, दीनदयाल अन्योदय भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी के (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में
तथा

ओरबटीक ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय: सी-2/399, पंखा रोड, जनकपुरी नई दिल्ली-110058 के मामले में

.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत सह कंपनी केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करता है, जिसके तहत **18, जनवरी, 2020** को असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने में सक्षम बन सके।

कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की सम्भावना है वह अपने **हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ-पत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, दूसरा तल, दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003 को पते पर इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह (14) दिनों भीतर सुपुर्द कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को निम्नलिखित पते पर भी भेजनी होगी:
पंजीकृत कार्यालय: सी-2/399, पंखा रोड, जनकपुरी नई दिल्ली-110058

कृते ओरबटीक ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक: 31.01.2020 — अजय टीकू (निदेशक)
स्थान: दिल्ली — DIN: 00719084
अपार्टमेंट नं. 702, टावर 6 मालिबू टाउन, सोहना रोड, सेक्टर-47, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम 122018 हरियाणा

JBM Group

Our milestones are touchstones
जेबीएम ऑटो लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 601, डेमकु चेम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
सीआईएन: L74899DL1996PLC083073
ई-मेल: corp@jbmgroup.com;
वेबसाइट: www.jbmgroup.com
फोन: 011-26427104-06; फैक्स: 011-26427108

कंपनी सूचना

सेबी (सूचिबद्ध दायित्वों और प्रकटीयकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, अन्य विषयों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तृतिय तिमाही एवं नौमाही अवधि के लिये कंपनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के लिये कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 3 फरवरी, 2020 को निर्धारित की गई है।

उपरोक्त बैठक का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा, इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिये कंपनी की आचार संहिता के अनुरूप कंपनी के शेयरों के कारोबार के लिये ट्रेडिंग विंडो को कंपनी के निदेशकों, कंपनी, प्रमोटरों एवं प्रमोटर्स ग्रुप और पदनामित व्यक्तियों के लिये 1 जनवरी, 2020 से 3 फरवरी, 2020 को परिणाम सार्वजनिक किये जाने के उपरांत 48 घण्टे समाप्त होने तक के लिये बंद रहेगी।

कृते जेबीएम ऑटो लिमिटेड
हस्ता./-
(विवेक गुप्ता)
तिथि : 29.1.2020 — मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं
स्थान: नई दिल्ली — कंपनी सचिव

अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड

CIN: L67120HR1980PLC039125
कार्यालय: प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव, हरियाणा-122003
Ph.: 0124-4556677
E-mail: info@aravalisecurities.com
Website: www.aravalisecurities.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, 33, 47 तथा अन्य लागू होने वाले विनियमन, यदि कोई हो, के अनुपालन में अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को 3.00 बजे अप. में उसके पंजीकृत कार्यालय- प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव-122003 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन किए जाएंगे।

अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
स्थानः गुरुगाँव — रुचि श्रीवास्तव
तिथिः 30.01.2020 — कम्पनी सचिव

भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी (रोहिणी) एनएसपी, दिल्ली-110034,
ईमेल: racpcnsp.zodel@sbi.co.in,
दूरभाष : +91-11-48988000

शुद्धपत्र

30.01.2020 को जनसत्ता, दिल्ली संस्करण में प्रकाशित कब्जा सूचना के सन्दर्भ में। पहले पैरा की 7वीं लाइन तथा चौथे पैरा की पहली लाइन में पता केयू हाइट्स है जिसे "केयू हाइट्स" के रूप में पढ़ा जाए।
सूचना के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

ह./-अधिकृत प्राधिकारी

MEDICAMEN BIOTECH LTD.

Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019
(CIN: L74899DL1993PLC056594)
Website: www.medicamen.com
Email id: cs@medicamen.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 & 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Meeting of Board of Directors of Medicamen Biotech Limited will be held on Thursday, February 06, 2020, at 1506, Chiranjiv Tower 43,Nehru Place,New Delhi-110019, inter alia to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results for the quarter ended on December 31, 2019.

The notice may be accessed on the Company's website at www.medicamen.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at www.bseindia.com.

By order of the Board
For Medicamen Biotech Limited
Sd/-
Place: New Delhi — Parul Choudhary
Dated: 31.01.2020 — Company Secretary

लैंडमार्क प्रोपर्टी डेवलोप्मेंट कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 11वां तल, नारायण मंजिल, 23, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001
CIN: L13100DL1978PLC188942
फोन नं0. 91-11-43621200,
फैक्स नं0. 91-11-41501333
ईमेल: info@landmarkproperty.in
वेबसाइट: www.landmarkproperty.in

31.12.2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015, के विनियम 47 के अनुसार, एतद्द्वारा सूचना

बेवतन आसिया बीबी ने बयां किया दर्द

पेरिस, 30 जनवरी (एएफपी)।

पाकिस्तान की जेल में कभी बदतर हालात में आठ साल तक पल-पल मौत की सजा का इंतजार करने वाली आसिया बीबी इन दिनों कनाडा में अपनी नई जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद कर रही हैं।

ईसाई धर्म से संबद्ध आसिया बीबी को ईशनिंदा के आरोप में पाकिस्तान की एक अदालत ने 2010 में मौत की सजा सुनाई थी लेकिन 2018 में नाटकीय तरीके से उन्हें रिहा कर दिया गया था। वे इम दिनों कनाडा में एक अज्ञात स्थान पर रहती हैं।

अब आसिया के जीवन पर एक किताब 'एनफिन लिबरे (आखिरकार आजादी मिली) आई है जिसमें उन्होंने आपबीती बयान की है। फ्रांस में बुधवार को प्रकाशित हुई इस किताब का अंग्रेजी संस्करण सितंबर में आएगा।

फ्रांस की पत्रकार एन-इजाबेल तोलेत इस किताब की सह-लेखिका हैं और वे कनाडा में आसिया बीबी के समर्थन में एक अभियान भी चला चुकी हैं। तोलेत एक मात्र पत्रकार हैं जिन्हें कनाडा में आसिया बीबी से मिलने दिया गया।

> *कनाडा* में सुरक्षित जीवन जी रहीं आसिया बीबी कभी भी अपने वतन न लौटने की शर्त से बंधी हुई हैं। उन्होंने कहा, 'इस अजनबी देश में मैं एक नए गंतव्य, शायद कह लें एक नए जीवन के लिए तैयार हूं। लेकिन किस कीमत पर? मैं उस समय बुरी तरह से टूट गई जब मैं अपने पिता को अलविदा कहे बिना, अपने परिवार वालों से मिले बिना यहां के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान मेरा देश है। मुझे अपने देश से प्यार है लेकिन मैं हमेशा के लिए निर्वासन में हूं।'

किताब में आसिया बीबी ने जेल में बिताए अपने दिनों, रिहाई से मिली राहत और एक नए जीवन को संवारने में आ रही दिक्कतों का जिक्र करते हुए कहा है, 'आप मीडिया के जरिए मेरी कहानी जानते हैं। लेकिन जेल, फिर यहां नई जिंदगी, नई शुरूआत के बारे में आप कुछ नहीं जानते।' उन्होंने कहा, 'मैं कट्टरता की कैदी हो गई थी। आंसू ही जेल में मेरा एकमात्र सहारा थे।' आसिया बीबी ने किताब में पाकिस्तान में जेल की बुरी स्थिति के बारे में बताया है जहां उन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था।

उन्होंने कहा, 'मेरी कलाइयां जलने लगती थीं, सांस लेना मुश्किल था। मेरी गर्दन में लोहे की पट्टी बंधी रहती थी जिसे गार्ड एक नट के जरिए कस सकता था। यह पट्टी लोहे की जंजीर से जुड़ी थी और बेहद लंबी थी, जिसका दूसरा छोर मेरी कलाइयों को जकड़ता था। जंजीर गंदे फर्श पर पड़ी रहती थी। आसपास केवल अंधेरा था और था मौत का अहसास।' आसिया बीबी ने कहा कि दूसरे कैदी भी उनके प्रति कोई अपनापन या रहम नहीं दिखाते थे।

मुसलिम बहुल पाकिस्तान में ईशनिंदा एक ऐसा अपराध है जिसमें मौत की सजा हो सकती है या महज आरोप भर से कोई भीड़ का शिकार हो सकता है। आसिया बीबी का झगड़ा 2009 में एक मुसलिम उलेमा खादिम हुसैन रिजवी से हो गया था जिसके बाद उसने उन पर ईश निंदा का आरोप लगा दिया।

आसिया बीबी इस आरोप से इनकार करती रही हैं। उन्होंने किताब में लिखा है कि मुसलिम बहुल देश में अल्पसंख्यक ईसाइयों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

फिलहाल कनाडा में सुरक्षित जीवन जी रहीं आसिया बीबी कभी भी अपने वतन न लौटने की शर्त से बंधी हुई हैं। उन्होंने कहा, 'इस अजनबी देश में मैं एक नए गंतव्य, शायद कह लें एक नए जीवन के लिए तैयार हूं। लेकिन किस कीमत पर? मैं उस समय बुरी तरह से टूट गई जब मैं अपने पिता को अलविदा कहे बिना, अपने परिवार वालों से मिले बिना यहां के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान मेरा देश है। मुझे अपने देश से प्यार है लेकिन मैं हमेशा के लिए निर्वासन में हूं।'

चीन : कोरोना से निपटने के लिए चार अरब डॉलर की राशि आबंटित

बेजिंग, 30 जनवरी (भाषा)।

चीन ने खतरनाक कोरोना वायरस को रोकने के प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए गुरुवार को करीब चार अरब डॉलर की राशि आवंटित की, वहीं जैक मा और बिल एंड मेलिंडा गेट्स के संगठन भी मदद कर रहे हैं। इस जानेलवा वायरस से चीन में अब तक 170 लोग जान गंवा चुके हैं।

चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में दिसंबर में कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुआ और अब पूरे देश में इसके मामले देखे जा रहे हैं। चीन के अधिकारी इस आपदा को काबू में करने की कोशिश में लगे हैं तो भारत समेत अन्य देश वुहान व हुबेई प्रांत के अन्य शहरों से अपने नागरिकों को निकालने की योजना पर काम कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने गुरुवार को बताया कि 38 और लोगों के जान गंवाने के बाद देश में इस वायरस से मृतक संख्या 170 हो गई है, वहीं संक्रमण के कुल 7711 मामलों की पुष्टि हुई है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई छेड़ने के लिए 27.3 अरब युआन (करीब 3.94 अरब डॉलर) की राशि आवंटित की है। शिंहुआ समाचार एजंसी के अनुसार कोरोना वायरस की रोकथाम और उस पर नियंत्रण के लिए राशि आवंटित की गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि समयबद्ध तरीके से कोरोना वायरस की रोकथाम और उस पर नियंत्रण के लिए वित्तीय और कर उपाय तेज करने होंगे। शिंहुआ के अनुसार सरकार ने वायरस संक्रमित रोगियों के साथ संपर्क में रहते हुए काम कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए 300 युआन (करीब 42 डॉलर) की विशेष दैनिक सब्सिडी की घोषणा भी की है।

इस बीच कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के मकसद से वैक्सीन विकसित करने के लिए अनुसंधान बढ़ाने को भी धन दिया जा रहा है। खबरों के मुताबिक चीन के दूसरे सबसे धनवान शख्स अलीबाबा संस्थापक जैक मा ने अपने जैक मा फाउंडेशन के माध्यम से कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के प्रयासों में मदद के लिए 1.4 करोड़ डॉलर की मदद का एलान किया है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने चीन और अफ्रीका में एक करोड़ डॉलर की सहायता की घोषणा की है।

चीन के साथ लगने वाली सीमा बंद करेगा रूस

मास्को, 30 जनवरी (एएफपी)।

रूस ने गुरुवार को कहा कि वह कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर चीन के साथ लगने वाली अपनी सीमा बंद कर रहा है।

रूस की समाचार एजंसी ने बताया कि प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन ने एक सरकारी बैठक में कहा कि दूरस्थ पूर्व में (चीन के साथ लगने वाली) सीमा बंद करने के लिए कदम उठाने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

जलवायु पर वैश्विक जागरूकता के प्रचारकों में भारतीय कार्यकर्ता भी

लंदन, 30 जनवरी (भाषा)।

वैश्विक एकता की वकालत करते हुए 140 से अधिक देशों के 2000 प्रचारक और सामाजिक कार्यकर्ता गुरुवार को जारी किए गए उस पत्र का समर्थन कर रहे हैं जिसमें जनता और धरती के लिए विशेष रूप से जलवायु से संबंधित मौजूदा स्थिति को 'आपातकाल' कहा गया है। दुनिया के 20 जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पत्र जारी किया है जिनमें भारतीय लैंगिक अधिकार कार्यकर्ता तृषा शेट्टी और पाकिस्तानी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसूफजई शामिल हैं।

ब्रिटेन में जेल से सुनवाई के लिए पेश होगा नीरव मोदी

लंदन, 30 जनवरी (भाषा)।

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुरुवार को ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में नियमित सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की कर्ज धोखाधड़ी और धनशोधन मामलों में भारत में वांछित है। ब्रिटेन में उसके प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई चल रही है।

वैंड्सवर्थ कारागार में कैद नीरव मोदी जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश होगा। उसके प्रत्यर्पण पर सुनवाई 11 मई से शुरू होनी है और इसके करीब पांच दिन चलने का अनुमान है। नीरव मोदी ने पिछले साल नवंबर में घर में नजरबंदी की गारंटी की पेशकश करते हुए जमानत की अर्जी लगाई थी। यह एक अभूतपूर्व पेशकश थी क्योंकि आतंकवाद के मामलों में संदिग्ध व्यक्तियों को इस प्रकार निरुद्ध किया जाता है।

इजराइल की विमानन कंपनी ने रद्द कीं बेजिंग जाने वाली उड़ानें

यरुशलम, 30 जनवरी (एएफपी)।

इजराइल के राष्ट्रीय विमानन कंपनी इल आल ने गुरुवार को घोषणा की कि वह चीन के नए कोरोना वायरस महामारी के कारण बेजिंग जाने वाली उड़ानें निलंबित कर रही है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने इन रिपोर्टों की पुष्टि की कि इल आल ने बेजिंग जाने वाली उड़ानें 25 मार्च तक के लिए रोक दी हैं। विश्व स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार अभी तक इस संक्रमण से 170 लोगों की मौत हो चुकी है।

प्रवक्ता ने बताया कि चीन में अन्य स्थानों के लिए उनकी उड़ानें सामान्य रूप से जारी रहेंगी। इजराइल में अभी तक कोरोना वायरस की कोई घटना सामने नहीं आई है लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यह एहतियात बरतने का समय है। मंत्रालय ने कहा कि उसने चीन से इजराइल आने वाले यात्रियों से आग्रह किया है कि स्वस्थ होने के बाद भी वे कुछ दिन तक लोगों के संपर्क में आने से बचें।

सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की दो दिन की हड़ताल आज से

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी शुक्रवार से दो दिन की हड़ताल पर रहेंगे। इससे सामान्य बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो सकता है। वेतन संशोधन को लेकर प्रबंधन के साथ बातचीत में सहमति नहीं बनने के बाद बैंक यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) सहित विभिन्न बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है कि हड़ताल से उनका सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रभावित हो सकता है। सरकारी बैंकों की हड़ताल ऐसे समय हो रही है, जबकि शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया जाना है।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें आल इंडिया बैंक आफिसर्स कंफेडरेशन (एआइबीओसी), आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआइबीइए) और नेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडब्लू) सहित नौ बैंक यूनियनें शामिल हैं। एआइबीओसी के अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि इससे पहले मुख्य श्रमायुक्त के साथ बैठक बेनतीजा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मियों का वेतन संशोधन नवंबर, 2017 से लंबित है।

एआइबीइए के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि भारतीय बैंक संघ (आइबीए) के साथ हमारी मांगों को लेकर गुरुवार को हुई बैठक विफल रही है। ऐसे में हम शुक्रवार से दो दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। यूएफबीयू ने एक परिपत्र में आरोप लगाया है कि आइबीए वेतन संशोधन की उनकी मांग पर सख्त रवैया अपना रहा है। एनओबीडब्लू के उपाध्यक्ष अश्विनी राणा ने कहा कि यूएफबीयू की 13 जनवरी को मुंबई में हुई बैठक में हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमें अपनी मांगों के समर्थन में अपने आंदोलन को तेज करना होगा।

तेलंगाना में बलात्कार, हत्या के दोषी तीन लोगों को मृत्युदंड

हैदराबाद, 30 जनवरी (भाषा)।

तेलंगाना की एक विशेष अदालत ने पिछले साल एक दलित महिला से बलात्कार एवं हत्या मामले में एक महीने से भी कम समय में सुनवाई पूरी करते हुए तीनों दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों पर 26-26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अनुसूचित जाति से संबंधित 30 वर्षीय महिला का शव 25 नवंबर, 2019 को कोमरम भीम-आसिफाबाद जिले के लिंगापुर मंडल में घटना के एक दिन बाद मिला था। उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। महिला के शरीर पर चाकू घोंपने के निशान थे। अतिरिक्त सरकारी वकील एम रामना रेड्डी ने कहा कि तीनों आरोपियों को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धाराओं 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार) और 302 (हत्या) के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।

एक महीने से भी कम समय में हुई सुनवाई पूरी

अदालत ने उन्हें सभी धाराओं के तहत दोषी ठहराया और मृत्युदंड की सजा सुनाई। महिला गुब्बारे बेचकर गुजारा करती थी। फैसले पर खुशी जताते हुए पीड़िता के पति ने कहा, 'हमें खुशी है कि न्याय मिला और हमने अदालत से अनुरोध किया है कि दोषियों को जल्द फांसी पर लटकाया जाए।' तेलंगाना सरकार ने मामले में त्वरित सुनवाई के लिए पिछले महीने पांचवे अतिरिक्त सत्र अदालत को विशेष अदालत का दर्जा देने का आदेश जारी किया था।

14 दिसंबर, 2019 को इस संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया और सुनवाई 23 दिसंबर से शुरू हुई। 20 जनवरी को दलीलें पूरी हुईं और मामले में फैसले के लिए तिथि तय की गई। अभियोजन पक्ष ने मामले में 25 गवाहों को पेश किया और दिल्ली में निर्भया सामूहिक बलात्कार में दोषियों को दी गई मृत्युदंड की सजा की तर्ज पर ही इन दोषियों को भी मृत्युदंड की सजा देने का अनुरोध किया।

इससे पहले तीनों आरोपियों ने मामले में खुद को बेकसूर बताया था। दिसंबर की शुरुआत में महिला के परिवार और विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर 'दिशा' (महिला पशुचिकित्सक) सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में चारों आरोपियों की 'मुठभेड़' में मौत की तर्ज पर इन तीनों आरोपियों के लिए भी मृत्युदंड की मांग की। पशुचिकित्सक मामले में चारों आरोपी 6 दिसंबर, 2019 को हैदराबाद के बाहरी इलाके में पुलिस के साथ कथित गोलीबारी में मारे गए थे।

भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पांच गिरफ्तार

तिरुचिरापल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

पुरानी दुश्मनी में भाजपा कार्यकर्ता विजय रघु की हत्या के मामले में गुरुवार को पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुदरवेंदन, हरि प्रसाद, यासीर और सचिन (सभी की उम्र 19- 20 वर्ष के बीच) और मोहम्मद बाबू (24), के रूप में की हुई।

पुलिस ने बताया कि पांचों को केंद्रीय कारागार में डाल दिया गया है। उसने बताया कि पालकराय में सोमवार को भाजपा के क्षेत्रीय सचिव विजय रघु (40) बाजार क्षेत्र में पार्किंग शुल्क जमा कर रहे थे तभी गिरोह ने घेर कर उनकी हत्या कर दी।

कल से गोवा वालों को नहीं मिलेगा कैसिनो में प्रवेश : मुख्यमंत्री

पणजी, 30 जनवरी (भाषा)।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को घोषणा की कि एक फरवरी से राज्य में संचालित कैसिनो में राज्य के लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

सावंत ने संवाददाताओं से कहा कि माल एवं सेवा कर आयुक्त इस प्रतिबंध को लागू करेंगे जो कि गेमिंग कमिश्नर भी हैं। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल और गोवा के स्थानीय लोग राज्य में कैसिनो पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये प्रतिष्ठान स्थानीय संस्कृति को विकृत कर रहे हैं और साथ ही परिवारों के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे हैं।

इस तटीय राज्य में अपतटीय क्षेत्रों में छह और तटवर्ती क्षेत्रों में दर्जन भर कैसिनो चलते हैं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग आते हैं।

महिलाओं के साथ धार्मिक भेदभाव के मुद्दे नौ न्यायाधीशों की पीठ तय करेगी

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विभिन्न धर्मों और केरल के सबरीमला मंदिर समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से होने वाले भेदभाव से जुड़े मामले में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ तीन फरवरी को चर्चा के मुद्दे तय करेगी। न्यायालय ने शुरू में ही वकीलों से इस बात पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की कि उनमें उन विधिक मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई कि नौ न्यायाधीशों की पीठ किस पर निर्णय करेगी।

संविधान पीठ मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, दाउदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के खतने और गैर पारसी पुरुषों से विवाह करने वाली पारसी महिलाओं के पवित्र अग्नि स्थल अगियारी में जाने पर पाबंदी से जुड़े मुद्दों पर विचार करेगी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि नौ न्यायाधीशों की पीठ जिरह करने वाले कुछ वकीलों द्वारा तय किए गए मुद्दों पर भी विचार करेगी और कुछ सामान्य कानूनी सवालों को रेखांकित करने की कोशिश करेगी जिन पर उसे निर्णय देना होगा। उन्होंने कहा कि पीठ सुनवाई का कार्यक्रम भी तय करेगी।

इस पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और सूर्य कांत भी शामिल हैं। पीठ ने कहा, 'हम थोड़े निराश हैं क्योंकि आप किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके। अब नौ न्यायाधीशों की पीठ आप (वकीलों) में से कुछ वकीलों द्वारा दिए गए सवालों को देखेगी और तीन फरवरी को इस मामले को स्पष्ट करने की कोशिश करेगी और सुनवाई के कार्यक्रम और तरीके पर फैसला लेगी।'

सरकार ने मोबाइल के आइएमईआइ नंबर से जुड़ी प्रक्रिया अपने हाथ में ली

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

दूरसंचार विभाग ने देश में मोबाइल फोन के लिए आइएमईआइ नंबर जारी करने और उसके प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रिया निजी निकाय एमएसएआइ से अपने हाथ में ले ली है।

आइएमईआइ (अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान) संख्या किसी भी मोबाइल उपकरण की 15 अंकों का विशेष नंबर है। वैश्विक उद्योग संगठन जीएसएमए और उसके अधिकृत संगठन इसे आबंटित करते हैं। जब मोबाइल खो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए आइएमईआइ संख्या की जरूरत होती है।

> ***आइएमईआइ नंबर*** जारी करने और उसका प्रबंधन निजी निकाय एमएसएआइ के हाथ में था ***दूरसंचार विभाग*** ने नकली और फर्जी आइएमईआइ संख्या वाले मोबाइल फोन के आयात पर रोक लगाने के लिए मई 2015 में एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी।

आइएमईआइ से जुड़ी प्रकिया का प्रबंधन मोबाइल स्टैंडर्ड अलायंस ऑफ इंडिया (एमएसएआइ) कर रहा है। दूरसंचार विभाग ने नकली और फर्जी आइएमईआइ संख्या वाले मोबाइल फोन के आयात पर रोक लगाने के लिए मई 2015 में एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी।

दूरसंचार विभाग ने उद्योग निकायों और संबंधित सरकारी विभागों को 28 जनवरी को भेजे पत्र में कहा, 'सरकार ने एमएसएआइ द्वारा परिचालित प्रणाली को बदलने का फैसला किया है और इसलिए एक नई प्रणाली इंडियन काउंटरफिटेड डिवाइस रजिस्ट्रेशन (आइसीडीआर) विकसित की गई है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) द्वारा तैयार किया गया है। यह एसओपी के क्रियान्वयन के लिए दूरसंचार विभाग की अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) इकाई है।' नई प्रणाली को सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआइआर) के वेब पोर्टल पर शुरुआती स्तर पर शुरू किया गया है। सीईआइआर का उपयोग चुराए या गायब हुए मोबाइल फोन पर सभी सेवाओं को रोकने का काम करता है। यह व्यवस्था सिम हटाने या आइएमईआइ संख्या बदलने पर भी सभी नेटवर्क पर काम करेगी।

भारत की सोने की मांग 2019 में नौ फीसद घटी : डब्लूजीसी

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

आर्थिक नरमी और स्थानीय स्तर पर ऊंची कीमतों की वजह से भारत की सोने की मांग 2019 में 9 फीसद घटकर 690.4 टन पर आ गई है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्लूजीसी) ने गुरुवार को अपनी रपट में यह बात कही। हालांकि, भारत में सोने की मांग 2020 में बढ़कर 700-800 टन तक रह सकती है। आर्थिक सुधारों से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ने और लोगों के ऊंची कीमतों को स्वीकार कर लेने से सोने की मांग में तेजी आने की संभावना है।

डब्लूजीसी ने अपनी हालिया रपट में कहा कि स्थानीय बाजार में, 2019 के अंत में सोने का भाव 39,000 रुपए प्रति दस ग्राम से ऊपर रहा। यह 2018 की तुलना में करीब 24 फीसद अधिक है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्लूजीसी) भारत के प्रबंध निदेशक सोमसुंदरम पीआर ने बताया, 'नीतिगत उपायों, आर्थिक वृद्धि में व्यापक तेजी आने और लोगों के सोने की बढ़ी कीमतों को स्वीकार कर लेने के बाद 2020 में सोने की मांग 700-800 टन के दायरे में रहेगी।' उन्होंने कहा कि डब्लूजीसी को उम्मीद है कि इस साल उद्योग को ज्यादा पारदर्शी और संगठित करने के लिए नीति आधारित और उद्योग आधारित पहल की जाएगी।

सुंदरम ने कहा, 'सरकार ने 15 जनवरी 2020 को सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। कारोबारियों को मौजूदा बिना हॉलमार्क वाली ज्वैलरी बेचने या बदलने के लिए एक साल का समय दिया गया है। यह भारतीय सोने को और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।' परिषद ने कहा कि भारत में सोने की मांग 2018 में 760.4 टन से गिरकर 2019 में 690.4 टन पर रह गई। इसमें आभूषणों की मांग 598 टन से घटकर 544.6 टन जबकि बिस्कुट व सिक्कों की मांग 162.4 टन से कम होकर 145.8 टन रही।

हालांकि, मूल्य के आधार पर सोने की मांग तीन फीसद बढ़कर 2,17,770 करोड़ रुपए रही, जो 2018 में 2,11,860 करोड़ रुपए थी। परिषद ने कहा कि भारत का सोना आयात 2019 में 14 फीसद गिरकर 646.8 टन रह गया। 2018 में यह 755.7 टन पर था। सोमसुंदरम ने कहा, '2019 में स्थानीय स्तर पर मांग गिरने और पुनर्चक्रित (रीसाइकिल) सोने में वृद्धि से आयात में गिरावट आई है।

मेरे पद्मश्री सम्मान से मेरे पिता का क्या लेना-देना : अदनान समी

मुंबई, 30 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तानी मूल के भारतीय गायक अदनान समी को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के बाद से शुरू हुए विवाद पर उनका कहना है कि वह एक कलाकार हैं और उनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के चलते उनका नाम विवादों में घसीट रहे हैं। उन्होंने इस विवाद को लेकर सवाल खड़ा किया कि उनके पिता का उनके पुरस्कार से क्या लेना-देना है।

दरअसल समी के पिता पाकिस्तान वायु सेना में पायलट थे और इसीलिए समी के नाम पर विवाद है लेकिन समी पूरे विवाद को गैरजरूरी मानते हैं। समी को 2016 में भारत की नागरिकता दी गई थी। उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुने जाने पर सरकार का 'अनंत आभार' व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा, 'आलोचना करने वाले कुछ छोटे-मोटे राजनेता हैं। वे किसी राजनीतिक एजंडा के तहत ये कर रहे हैं और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं नेता नहीं हूं, मैं संगीतकार हूं।' उन्होंने कहा, 'मेरे पिता सम्मानित लड़ाकू पायलट थे और एक पेशेवर सैनिक थे। उन्होंने अपने देश के प्रति अपना फर्ज निभाया। उसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूं। वह उनका जीवन था और उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। मैंने उससे लाभ नहीं उठाया और न ही उसका श्रेय लिया। ठीक इसी प्रकार से मैं जो करता हूं उसका श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता। मेरे पुरस्कार का मेरे पिता से क्या लेना देना? यह गैरजरूरी है।' उन्होंने कहा,' अब मैं एक भारतीय नागरिक हूं, इस पुरस्कार को पाने का पूरा हकदार हूं।

वे मेरी पाकिस्तानी पृष्ठभूमि को सामने ला रहे हैं, यह हास्यास्पद और चौंकाने वाला है। वे किसी भी चीज को उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है।'

www.readwhere.com

खबर कोना

हैदराबाद में गुरुवार को प्रीमियर बैडमिंटन लीग के दौरान हैदराबाद हंटर्स की पीवी सिंधू और बंगलुरू रैप्टर्स की ताई जू यिंग ट्रॉफी के साथ।

सौराष्ट्र के खिलाफ मुंबई टीम में सूर्यकुमार की वापसी

मुंबई, 30 जनवरी (भाषा)।

सीनियर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को सौराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्राफी मुकाबले के लिए मुंबई की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। मुंबई क्रिकेट संघ ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर टीम की घोषणा की। सूर्यकुमार भारत ए टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर गए थे। वह हालांकि तीन लिस्ट ए मैचों में सिर्फ 60 रन ही बना पाए। चार फरवरी से राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ होने वाले इस मैच के लिए आदित्य तारे को कप्तान बरकरार रखा गया है। टीम इस प्रकार है: आदित्य तारे (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, सिद्धेश लाड, जय बिस्टा, शुभम रंजने, सरफराज खान, आकाश पारकर, शम्स मुलानी, तुषार देशपांडे, रायस्टन डियाज, शशांक अतार्डे, विनायक भोईर, आकिब कुरैशी, भूपेन लालवानी और दीपक शेट्टी।

अयोनिका, विजयवीर ने राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में जीत दर्ज की

तिरुवनंतपुरम, 30 जनवरी (भाषा)।

ओलंपियन अयोनिका पॉल और विजयवीर सिद्धू ने राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में मंगलवार को क्रमशः महिलाओं की दस मीटर एयर राइफल टी1 और जूनियर पुरुष 25 मीटर पिस्टल टी2 में जीत दर्ज की। अयोनिका ने आठ महिलाओं के फाइनल में तोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाली अपूर्वी चंदेला और अंजुम मोदगिल जैसी निशानेबाजों को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। अयोनिका ने 252.0 का स्कोर बनाया। वह अपूर्वी के विश्व रेकार्ड 252.9 से केवल 0.9 अंक पीछे रही। अपूर्वी को आज 229.8 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। हिमाचल की जीना खिट्टा ने 251.1 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। जीना ने इसके अलावा जूनियर महिला ट्रायल्स भी जीता। चंडीगढ़ के विजयवीर ने जूनियर पुरुष 25 मीटर पिस्टल में कुल 585 के स्कोर के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने तीन 'इनर 10' स्कोर बनाए जो दूसरे स्थान पर रहने वाले पंजाब के राजकंवर सिंह संधू से अधिक थे।

ओड़ीशा ने असम को पारी और तीन रन से हराया

कटक, 30 जनवरी (भाषा)।

ओड़ीशा ने गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के दम पर रणजी ट्राफी एलीट ग्रुप सी मैच के चौथे और अंतिम दिन असम को पारी और तीन रन से हराया। पहली पारी में 198 रन से पिछड़ने के कारण फॉलोआन को मजबूर हुई ओड़ीशा की टीम राजेश मोहंती (30 रन पर चार विकेट), देवव्रत प्रधान (53 रन पर तीन विकेट) और सूर्यकांत प्रधान (53 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने दूसरी पारी में भी 195 रन पर सिमट गई। असम की टीम आज बिना विकेट खोए 102 रन से आगे खेलने उतरी।

आस्ट्रेलिया ओपन : फेडरर को हराकर जोकोविच फाइनल में

मेलबर्न, 30 जनवरी (एएफपी)।

नोवाक जोकोविच ने अपने चोटिल प्रतिद्वंद्वी रोजर फेडरर की उम्मीदों पर पानी फेरकर गुरुवार को रेकार्ड आठवीं बार आस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल में जगह बनाई। इस जीत से उन्होंने 17वें ग्रैंडस्लैम खिताब की तरफ कदम बढ़ाए। इन दोनों के बीच 50वें मुकाबले में सर्बियाई खिलाड़ी ने शुरुआत में थोड़ा ढिलाई बरती लेकिन जल्द ही दबदबा बना दिया और स्विट्जरलैंड के दिग्गज को 7-6 (7/1), 6-4, 6-3 से हराया।

जोकोविच फाइनल में पांचवीं वरीयता प्राप्त डोमिनिक थिएम या सातवीं रैंकिंग के जर्मन अलेक्सांद्र जेवरेव से भिड़ेंगे। फाइनल में रेकार्ड जोकोविच के पक्ष में रहा। इससे पहले उन्होंने यहां सातों बार फाइनल में जीत दर्ज की। यही नहीं रविवार को जीत दर्ज करने पर सर्बियाई दिग्गज फिर से नंबर एक रैंकिंग पर काबिज हो जाएगा क्योंकि राफेल नडाल क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए थे।

मौजूदा चैंपियन जोकोविच ने 26वीं बार ग्रैंडस्लैम फाइनल में पहुंचने के बाद कहा कि आज कोर्ट पर उतरने के लिए रोजर का आभार क्योंकि वह वास्तव में चोटिल थे और यहां तक कि अच्छी तरह से मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। जोकोविच ने कहा कि उन्होंने पहले सेट में अच्छी शुरुआत की और मैं थोड़ा नर्वस था। मेरे लिए पहला सेट जीतना अहम था। मानसिक रूप से मैं उसके बाद सहज हो गया था।

मेलबर्न में यह चौथा अवसर है जब जोकोविच ने सेमी फाइनल में फेडरर को हराया। इससे पहले 2008, 2011 और 2016 में भी उन्होंने फेडरर को सेमी फाइनल से आगे नहीं बढ़ने दिया था। यहां 2018 में खिताब जीतने वाले फेडरर ग्रोइन की चोट के बावजूद कोर्ट पर उतरे थे। वह टेनिस सैंडग्रेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में चोटिल हो गए थे।

उन्हें मैच से पहले अपने दाएं पांव के ऊपरी हिस्से में पट्टी बांधे हुए देखा गया था और यह भी कहा जा रहा था कि वह मैच से हट सकते हैं।

मुकाबला खत्म होने के बाद सर्बिया के जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर

17 वें ग्रैंडस्लैम खिताब की तरफ कदम बढ़ाए नोवाक जोकोविच ने

26 वीं बार ग्रैंडस्लैम फाइनल में पहुंचे मौजूदा चैंपियन जोकोविच

04 बार मेलबर्न में जोकोविच ने सेमी फाइनल में फेडरर को हराया

रोहन बोपन्ना की हार से भारतीय चुनौती समाप्त

मेलबर्न, 30 जनवरी (भाषा)।

रोहन बोपन्ना और यूक्रेन की उनकी जोड़ीदार नादिया किचेनोक की गुरुवार को क्वार्टर फाइनल में सीधे सेटों में हार के साथ आस्ट्रेलिया ओपन में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। भारत और यूक्रेन की जोड़ी को 47 मिनट चले एकतरफा मुकाबले में निकोला मेकटिच और बारबोरा क्रेसिकोवा की पांचवी वरीय जोड़ी के खिलाफ 0-6, 2-6 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

बोपन्ना और किचेनोक की जोड़ी शुरू से ही जूझती दिखी और अपनी सर्विस बरकरार रखने में विफल रही। क्रोएशिया और चेक गणराज्य की जोड़ी ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया और बिना कोई गेम गंवाए पहला सेट जीत लिया।

दूसरे सेट में बोपन्ना और किचेनोक ने पहले गेम में अपनी सर्विस बचाई लेकिन इस जोड़ी ने इसके बाद दो बार सर्विस गंवाई जिससे मेकटिच और बारबोरा की जोड़ी ने सेमी फाइनल में जगह बनाई। अंतिम बार आस्ट्रेलिया ओपन में खेल रहे भारत के अनुभवी लिएंडर पेस और उनकी जोड़ी येलेना ओस्टापेंको को भी मंगलवार को मिश्रित युगल के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा था।

और खिलाड़ियों को यूरोप में खेलने का मौका मिलेगा : बाला देवी

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

यूरोप के शीर्ष क्लब से अनुबंध करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर एन बाला देवी को उम्मीद है कि जल्द ही अन्य खिलाड़ियों को भी यहां खेलने का मौका मिलेगा। उनका मानना है कि स्कॉटलैंड की टीम रेंजर्स एफसी के साथ उनके अनुबंध से देश की अन्य खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और राष्ट्रीय टीम के स्तर में सुधार होगा।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की विज्ञप्ति में बाला देवी के हवाले से कहा गया, 'देश में महिला फुटबॉल जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है कि कई और युवा लड़कियां यूरोप में खेलने जाएंगी और भविष्य में राष्ट्रीय टीम में सुधार होगा।'

कीवी टीम में शामिल हुए जेमीसन

वेलिंगटन, 30 जनवरी (भाषा)।

मुख्य तेज गेंदबाजों के चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए नए गेंदबाजों को चुनना पड़ा। इसमें देश के सबसे लंबे क्रिकेटर काइल जेमीसन भी शामिल हैं। हैमिल्टन में पांच फरवरी से शुरू हो रही श्रृंखला के दौरान छह फुट आठ इंच लंबे जेमीसन को पदार्पण का मौका मिल सकता है। स्कॉट कुगेलिन और हामिश बेनेट ने लंबे समय बाद टीम में वापसी की है।

चोट के कारण ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्युसन और मैट हेनरी जैसे गेंदबाज श्रृंखला के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। काइला के नाम से मशहूर जेमीसन ने घरेलू क्रिकेट में अपनी लंबाई का अच्छा फायदा उठाया है और उनके बाउंसर का सामना करने में बल्लेबाजों को परेशानी होती है। ऑकलैंड में जन्में और केंटरबरी में पले-बढ़े 25 साल के जेमीसन ने हाल में न्यूजीलैंड 'ए' की ओर से यहां दौरे पर आई भारत ए के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन किया था।

> "हमने टी-20 श्रृंखला में देखा है कि भारतीय टीम हमेशा की तरह काफी मजबूत है। हमारे गेंदबाजी आक्रमण में नयापन है, बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता है और उम्मीद है कि विश्व कप फाइनल में खेलने वाले शीर्ष आठ बल्लेबाज खेलेंगे। -गैरी स्टीड, कोच

जेमीसन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच पीटर फुल्टन से भी लंबे हैं जिन्हें 'टू मीटर पीटर' बुलाया जाता है। न्यूजीलैंड बोर्ड ने 2016 में उन्हें लेकर ट्वीट किया था, 'टू मीटर पीटर से आगे बढ़िए। न्यूजीलैंड के सबसे लंबे क्रिकेटर 2.03 मीटर (छह फीट आठ इंच) के काइल जेमीसन से मिलिए।'

टीम को अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउथी से काफी उम्मीदें होंगी जबकि कोलिन डि ग्रैंडहोम को अंतिम दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए बाहर किए जाने के बाद वनडे टीम में जगह मिली है। जिमी नीशाम और मिशेल सेंटनर ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे।

इस बीच ईश सोढ़ी को सिर्फ पहले एकदिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है। भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच सात फरवरी से क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे अनौपचारिक टैस्ट के लिए उन्हें रिलीज किया जाएगा। कोच गैरी स्टीड ने कहा कि उनकी टीम आगामी श्रृंखला में मिलने वाली चुनौती से वाकिफ है और उनके बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

एकदिवसीय टीम : केन विलियमसन (कप्तान), हामिश बेनेट, टॉम ब्लंडेल, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मार्टिन गुप्टिल, काइल जेमीसन, स्कॉट कुगेलिन, टॉम लैथम, जिमी नीशाम, हेनरी निकोल्स, मिशेल सेंटनर, ईश सोढ़ी (पहले वनडे के लिए), टिम साउथी और रोस टेलर।

बेंच स्ट्रेंथ आजमा सकता है भारत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला आज

वेलिंगटन, 30 जनवरी (भाषा)।

श्रृंखला में विजयी बढ़त बनाने के बाद भारत शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में बैंच स्ट्रैंथ को आजमा सकता है। साथ ही विराट कोहली की टीम मेजबान टीम के खिलाफ आत्ममुग्धता से बचना चाहेगी। मोहम्मद शमी के बेहतरीन अंतिम ओवर और रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने बुधवार को न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 3-0 की विजयी बढ़त बना ली।

दोनों टीमें गुरुवार को यात्रा करके हैमिल्टन से वेलिंगटन पहुंची और शनिवार को माउंट मोनगानुई रवाना होंगी जहां रविवार को अंतिम टी-20 खेला जाएगा। इससे दोनों टीमों को नेट अभ्यास के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा। भारत के पहले ही श्रृंखला जीतने के बाद दोनों टीमें इसी साल होने वाले टी-20 विश्व कप को देखते हुए बाकी बचे मैचों में सभी संयोजनों को आजमाना चाहेंगी।

भारतीय टीम के पास 5-0 के क्लीनस्वीप के साथ इतिहास रचने का मौका है। भारत हालांकि अगर प्रयोग करने का विकल्प चुनता है तो संजू सैमसन और ऋषभ पंत को मौका दिया जा सकता है। पंत को अंतिम एकादश में जगह मिलने की संभावना अधिक है लेकिन उनका चयन इस पर निर्भर करेगा कि किस बल्लेबाज को बाहर किया जाता है और लोकेश राहुल विकेटकीपिंग जारी रखते हैं या नहीं।

गेंदबाजी विभाग में बदलाव की अधिक उम्मीद है। वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और नवदीप सैनी मौके का इंतजार कर रहे हैं। तीनों को हालांकि एक साथ मौका नहीं मिलेगा लेकिन टीम प्रबंधन एक स्पिनर और एक तेज गेंदबाज को रोटेट कर सकता है। सुंदर आस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों पर कोहली की नई गेंद की रणनीति का हिस्सा हैं। जसप्रीत बुमराह के खेलने पर भी फैसला किया जा सकता है।

न्यूजीलैंड की अंतिम एकादश में बदलाव तय है। कोलिन डि ग्रैंडहोम को अंतिम दो मैचों के लिए टीम में जगह नहीं मिली है और उनकी जगह बल्लेबाज टॉम ब्रूस को शामिल किया गया है। मेजबान टीम अपने बल्लेबाजी क्रम को मजबूत कर सकती है क्योंकि अब तक उसका मध्यक्रम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया है।

(फाइल फोटो)

भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच भरत अरुण और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह

भारत 'ए' 216 पर सिमटा, मेजबान ने बनाए 105 रन

क्राइस्टचर्च, 30 जनवरी (भाषा)।

शुभमन गिल की 83 रन की पारी के बावजूद भारत 'ए' गुरुवार को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनौपचारिक टैस्ट के पहले दिन 216 रन पर सिमट गया। इससे मेजबान टीम ने अपना पलड़ा भारी रखा। न्यूजीलैंड 'ए' ने इसके जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट पर 105 रन बनाए। मेजबान टीम अब सिर्फ 111 रन से पीछे है जबकि उसके आठ विकेट शेष हैं।

न्यूजीलैंड ए के कप्तान हामिश रदरफोर्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हेगले ओवल में भारत ए ने 17वें ओवर तक 34 रन पर तीन विकेट गंवा दिए। भारतीय टैस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल खाता खोले बिना पवेलियन लौटे।

बीस साल के गिल को इसके बाद कप्तान हनुमा विहारी (51) के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 119 रन जोड़कर पारी को संभाला। गिल ने स्वच्छंद होकर बल्लेबाजी की और कई आकर्षक शॉट खेले। ऑफ स्पिनर कोल मैकोची (33 रन पर तीन विकेट) ने विहारी को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। विहारी ने मैकोची पर स्वीप शॉट खेला लेकिन गेंद सिली मिड ऑन पर खड़े रचिन रविंद्र के पैर से टकराकर हवा में उछल गई और विकेटकीपर डेन क्लीवर ने आसान कैच लपका।

> **न्यूजीलैंड 'ए' ने जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट पर 105 रन बनाए। मेजबान टीम अब सिर्फ 111 रन से पीछे है जबकि उसके आठ विकेट शेष हैं।**

विहारी ने 79 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके मारे। माइकल रे (54 रन पर चार विकेट) ने इसके बाद गिल को भी पवेलियन की राह दिखाकर भारत ए का स्कोर पांच विकेट पर 183 रन किया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 83 गेंद का सामना करते हुए नौ चौके और दो छक्के मारे। इसके बाद भारतीय पारी को सिमटने में अधिक समय नहीं लगा।

त्रिकोणीय श्रृंखला में भारतीय महिला टीम की भिड़ंत इंग्लैंड से

कैनबरा, 30 जनवरी (भाषा)।

विश्व टी-20 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम शुक्रवार को त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड से भिड़ेगी। दुनिया की शीर्ष दो टीमों इंग्लैंड और मेजबान आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों से भारत को आइसीसी टी-20 विश्व कप की तैयारी करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। भारतीय महिला टीम को आइसीसी टूर्नामेंटों में पहली खिताबी जीत का इंतजार है।

भारतीय टीम 2017 एकदिवसीय विश्व कप में खिताब जीतने के करीब पहुंची थी लेकिन फाइनल में उसे इंग्लैंड के खिलाफ नौ रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके एक साल बाद भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज में विश्व टी-20 के सेमी फाइनल में भी इंग्लैंड के ही खिलाफ हार झेलनी पड़ी।

जिब्राल्टर शतरंज में चार भारतीय संयुक्त दूसरे स्थान पर

जिब्राल्टर, 30 जनवरी (भाषा)।

युवा खिलाड़ी आर प्रग्नानंदा ने रूस के मिखाइल कोबालिया के साथ ड्रॉ खेला जिससे 18वें जिब्राल्टर शतरंज महोत्सव में वह तीन अन्य भारतीयों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। मास्टर्स वर्ग में बुधवार को नौ दौर के बाद पांच खिलाड़ी सात अंक के साथ शीर्ष पर हैं। वैंग हो, डेविड पैराव्यान, परहैम माघशूडलू, मुस्ताफ यिलमाज और आंद्रे एसिपेंको संयुक्त रूप से शीर्ष पर चल रहे हैं।

टूर्नामेंट में अब जब एक दौर का खेल बाकी है तब बी अधिबान, प्रग्नानंदा, कार्तिकेयन मुरली और आर्यन चोपड़ा सहित 16 खिलाड़ी 6.5 अंक के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। भारतीय खिलाड़ियों में 14 साल के प्रग्नानंदा ने 35 चाल के बाद कोबालिया से ड्रॉ खेला।

आइसीसी ने अनुराग दहिया को बनाया मुख्य व्यावसायिक अधिकारी

दुबई, 30 जनवरी (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने गुरुवार को अनुभवी मीडिया पेशेवर अनुराग दहिया को अपना मुख्य व्यावसायिक अधिकारी (सीसीओ) नियुक्त किया। दहिया को स्टार क्रिकेट को लांच करने का श्रेय जाता है।

मैदान में लौटकर राहत महसूस कर रहे चोपड़ा

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

नीरज चोपड़ा के लिए ओलंपिक में क्वालीफाई करने से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेना ही बड़ी राहत की बात है। भाला फेंक के इस एथलीट ने कहा कि चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी से उनकी उम्मीद बंधी है कि बुरा दौरा गुजर चुका है। चोपड़ा ने मंगलवार को पोटचेफ्सट्रूम में एसीएनई लीग में 87.86 मीटर भाला फेंककर तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया।

हरियाणा का यह 22 वर्षीय एथलीट अभी दक्षिण अफ्रीका में अभ्यास कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करके अच्छा और राहत महसूस कर रहा हूं। सबसे अच्छा अहसास हालांकि चोट और उसके बाद ऑपरेशन से उबरकर प्रतियोगिताओं में वापसी करना है।

> *चोपड़ा* ने मंगलवार को पोटचेफ्सट्रूम में एसीएनई लीग में 87.86 मीटर भाला फेंककर तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया।
>
> *चोपड़ा* ने जकार्ता एशियाई खेलों में 88.06 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था।

उन्होंने 87.86 मीटर भाला फेंका जो कि उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चोपड़ा ने जकार्ता एशियाई खेलों में 88.06 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। इस स्टार एथलीट ने कहा कि उनका ध्यान अब जुलाई अगस्त में होने वाले तोक्यो ओलंपिक में पदक जीतना है।

चोपड़ा ने कहा कि ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने के बाद अब मैं बिना दबाव के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता हूं। इसके साथ ही ओलंपिक से पहले की प्रतियोगिताओं में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए अपने अभ्यास और तकनीक पर भी ध्यान दूंगा। मैं ओलंपिक में पदक जीतने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और इस प्रदर्शन से मेरी उम्मीद बंधी है।

पाक में मैचों के लिए संगकारा को एमसीसी टीम की कमान

लंदन, 30 जनवरी (भाषा)।

मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने अपने मौजूदा अध्यक्ष कुमार संगकारा की अगुआई में पाकिस्तान में अगले महीने तीन मैच खेलने के लिए 12 सदस्यीय टीम घोषित की है। इसमें इंग्लैंड की काउंटी टीम के नियमित खिलाड़ियों को जगह मिली है। एमसीसी की टीम पीएसएल की दो टीमों लाहौर कलंदर्स और मुलतान सुल्तान्स के खिलाफ टी-20 प्रारूप में दो मैच खेलने के अलावा पाकिस्तान की घरेलू टी-20 चैंपियन नॉर्दर्न के खिलाफ भी खेलेगी।

एमसीसी टीम में इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर रवि बोपारा के अलावा काउंटी टीम के कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान में पिछले साल दिसंबर में 10 साल से भी अधिक समय बाद टैस्ट क्रिकेट की वापसी हुई थी जब श्रीलंका की टीम वहां दो टैस्ट की श्रृंखला खेलने गई थी।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 75, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com